

निवेशक सेवाएं कक्ष

INVESTOR SERVICES CELL

वेबसाईट / website: www.indianbank.in

इमेल / e mail: ibinvestorrelations@indianbank.co.in

वापीरेट कार्यालय : 254-260, अब्वै षण्मगम सालै, रायपेटटा, चेन्नई -600 014 Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai,

Royapettah, Chennai - 600 014

दूरभाष/Ph: Dept: 044 - 2813 4076, 2813 4698, 2813 4484

Ref: ISC/283/2020-21

Date: 05.11.2020

The Vice President National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Bandra- Kurla Complex

Bandra East, Mumbai-400 051

NSE Symbol: INDIANB

The Vice President BSE Ltd. 25, P. J. Towers

Dalal Street, Mumbai-400001

BSE Scrip Code- 532814

Dear Sir/Madam,

Subject: Copy of Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Bank scheduled to be held on 30.11.2020

In terms of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we are enclosing a copy of Notice of the Extraordinary General Meeting of the shareholders of the Bank scheduled to be held on 30.11.2020 for your kind perusal and records please.

Yours faithfully,

Ipavel (Arun Kumar Bansal) General Manager-CFO



कॉर्पोरेट कार्यालय : 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै — 600 014

Corporate Office : 254 - 260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254–260, अब्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै – 600 014

नोटिस

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि इंडियन बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक सोमवार, 30 नवंबर 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी)/अन्य ऑडियो विजुअल साधन (ओएवीएम) के माध्यम से आयोजित की जाएगी, जिसका उद्देश्य निम्नांकित कारोबार का संचालन करना है:

कार्यसूची मद संख्या 1 (विशेष संकल्प):

बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से ₹ 18,975.53 करोड संचित हानि का विनियोजन।

विचार करने और उपयुक्त पाए जाने पर, विशेष संकल्प के रूप में निम्न संकल्प को पारित करनाः

*संकल्प पारित किया गया कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 ('अधिनियम') की धारा 3(2बीबीए), बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (बीआर अधिनियम) की धारा 17 (2), इनके किसी भी वैधानिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सिहत, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (योजना), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) संशोधन योजना, 2020 के रूप में संदर्भित राजपत्र अधिसूचना संख्या सीजी-डीएल-ई-23032020—218862 (एस. ओ.1200ई) दिनांक 23 मार्च, 2020 के अनुसार, किसी भी अन्य अनुमोदन के अधीन, यि आवश्यक हो, तो बैंक के शेयरधारकों की सहमति के साथ 01, अप्रैल 2020 को "शेयर प्रीमियम खाता" की जमा राशि रु 19,833,14,85,004.17 (रुपये उन्नीस हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ चौदह लाख पचासी हजार चार और सत्रह पैसे) की कुल राशि में से ₹ 18,975,52,95,417.96 (रुपए अठारह हजार नौ सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख पंचानवे हजार चार सौ सत्रह और छियानबे पैसे) को 01 अप्रैल, 2020 को केवल ₹ 18,975,52,95,417.96 (रुपए अठारह हजार नौ सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख पंचानवे हजार चार सौ सत्रह और छियानबे पैसे) के नामे शेष (संचित हानि) के समायोजन के लिए इंडियन बैंक (समामेलित बैंक) के आरक्षित और अधिशेष के तहत संचित हानि के खाते में अंतरण करके तदनुसार और लाभ और हानि खाते में नामे शेष को कम करना और चाल वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान इसे हिसाब में लेना।"

आगे संकल्प किया जाता है कि इस संकल्प को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बोर्ड को एतदद्वारा अपने पूर्ण विवेक से आवश्यकतानुरूप उचित समझकर वांछनीय सभी कार्य, कर्म, मामलों पर कार्रवाई करने हेतु प्राधिकृत किया जाता है एवं इसके साथ ही बोर्ड, उत्पन्न प्रश्न, किठनाई या संदेह का समाधान और आवश्यकतानुरूप ऐसे सभी कार्य, कर्म, मामलों और मुद्दों को अंतिम रूप दे सकते हैं एवं आवश्यक सभी दस्तावेजों और लेखों को निष्पादित कर सकते हैं।

कार्यसूची मद संख्या 2:

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 (इसके बाद 'बी आर अधिनियम' के रूप में संदर्भित) एवं राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके बाद 'योजना' के रूप में संदर्भित) के साथ पिठत बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके बाद 'अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 9 (3) (i) तथा इंडियन बैंक (शेयर और बैठक) विनियमन, 1999 संशोधित (इसके बाद 'विनियम' के रूप में संदर्भित) अधिनियम की धारा 19 के अनुसरण में अधिसूचना सं एफ़. सं 16/83/2013—बीओ. आई दिनांक 3 सितम्बर 2013, एफ़ सं 16/51/2012—बीओ. आई दिनांक 28 अप्रैल 2015 और भारत सरकार के दिनांक 20 जुलाई 2016 के अनुसार, 25 मार्च, 2015, 08 जुलाई, 2016 को सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर—सरकारी निदेशक के रूप में विचार के लिए भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड और उसके बाद कोई और संशोधन, (बाद में इसे 'भारत सरकार के दिशानिर्देश' के रूप में संदर्भित) के साथ पिठत भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीबीआर एपीपीटी बीसी सं 39/29.39.001/2016—17 दिनांक 24 नवम्बर 2016 इसके बाद और संशोधन, यदि कोई हो (बाद में 'आरबीआई निदेश' के रूप में संदर्भित) के साथ पिठत भारतीय रिज़र्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019 जो दिनांक 02, अगस्त 2019 को आरबीआई/डीबीआर/2019—20/71 मास्टर निदेश डीबीआर एपीपीटी सं: 9/29.67.001/2019—20 के जरिये बैंक के शेयरधारकों के बीच (केंद्र सरकार के अतिरिक्त) से एक निदेशक को चुनना और संशोधन के साथ या उसके बिना निम्नलिखित संकल्प (संकल्पों) को पारित करना:—

"संकल्प पारित किया गया कि बैंकिंग कंपनियां (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, प्रासंगिक योजना, संबंधित विनियम, आरबीआई के निर्देशों और सरकारी दिशानिर्देशों के तहत किए गए विनियमों के अनुसार केंद्र सरकार के अतिरिक्त बैंक के शेयरधारकों में से निर्वाचित एक निदेशक को सोमवार 21 दिसंबर 2020 को बैंक के निदेशक के रूप में तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 02.11.2020

(पद्मजा चुन्डूरू)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

टिप्पणियाँ

1. स्पष्टीकरण विवरणः

इस बैठक के कारोबार से संबंधित भौतिक तथ्यों को देनेवाला स्पष्टीकरण विवरण इसके साथ संलग्न है।

2. मतदान अधिकार :

कार्यसूची मद 1 – बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से संचित हानि का विनियोजन।

बैंक ने उक्त कार्यसूची मद हेतु शेयरधारकों के मतदान अधिकार निर्धारित करने हेतु अंतिम तारीख सोमवार 23 नवंबर, 2020 तय की है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 3 की उपधारा (2ई) के अनुसार केन्द्रीय सरकार के अलावा तत्संबंधित नए बैंक का कोई भी शेयरधारक अपने द्वारा धारित शेयरों के संबंध में, बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मतदान अधिकारों के दस प्रतिशत से अधिक, मतदान का प्रयोग करने का हकदार नहीं होगा।

इसके अतिरिक्त, भारतीय बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 10 के अनुसार यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर पंजीकृत है तो इस स्थिति में रिजस्टर में पहले पंजीकृत व्यक्ति को मतदान किए जाने का अधिकारी माना जाएगा। इसी प्रकार, यदि शेयर संयुक्त धारकों के नाम पर है तो उस स्थिति में पहले पंजीकृत व्यक्ति ही नामांकन और प्रतियोगिता में प्रतिभागिता के लिए पात्र होगा।

कार्यसूची मद 2 – शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9 (3)(i) एवं लागू अन्य कानून, नियम, विनियम, आरबीआई के निर्देश व इस संदर्भ में भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार, बैंक ने शेयरधारकों, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, में से निदेशकों के चुनाव में प्रतिभागिता (नामांकन, प्रतियोगिता एवं मतदान) हेतु एवं ईजीएम के शेयरधारक निदेशक के चुनाव की कार्यसूची मद हेतु उनके मतदान अधिकारों के निष्पादन हेतु शेयरधारकों की पात्रता निर्धारित के लिए करने के लिए निर्दिष्ट तारीख मंगलवार, 3 नवंबर 2020 तय की है।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9 (2 ई) में उल्लिखित प्रतिबंधों के विष्यान्तर्गत वह शेयरधारक, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, जिसे निर्दिष्ट तारीख पर शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, एक शेयरधारक निदेशक के चुनाव के लिए मतदान करने के लिए पात्र होगा तथा उस तारीख पर वह उसके द्वारा धारित प्रत्येक शेयर पर एक मत का अधिकारी होगा।

3. प्रौक्सी की नियुक्ति :

चूंकि बैठक वीसी / ओएवीएम के माध्यम से आयोजित की जानी हैं तथा शेयरधारक बैठक में शामिल हो प्रत्यक्ष रूप से मतदान कर सकते हैं अतः उनके स्थान पर बैठक में उपस्थिती या मतदान करने के लिए किसी प्रौक्सी को नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं है।

लॉकडाउन संपूर्णता से हटने या सभा करने पर प्रतिबंध में राहत मिलने और ऑडिटोरियम (बैठक स्थान) में बैठक का आयोजन किए जाने एवं शेयरधारकों के बैठक में उपस्थित रहने के पात्र होने की स्थिति में प्रौक्सी (बैंक कर्मचारी से इतर व्यक्ति) को नियुक्त किया जा सकता है तथा प्रौक्सी की सूचना कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, विंग 2 — सी, द्वितीय तल, 254 — 260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै —600 014 को ईजीएम की दिनांक से कम से कम 4 दिन पहले यानि बुधवार, 25 नवंबर, 2020 को कार्य—समय की समाप्ति पर या उससे पहले जमा कारवाई जाए।

4. प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति:

कोई भी व्यक्ति, किसी निगमित निकाय, जो बैंक का शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक बैठक में उपस्थित नहीं हो सकेगा अथवा मतदान नहीं कर सकेगा जब तक कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में उसकी नियुक्ति करने वाले संकल्प की प्रति जिसे उस बैठक, जिसमें उसे पारित किया गया है, के अध्यक्ष द्वारा सत्यप्रति के रूप में प्रमाणित किया गया है, कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्येषण्मुघम साले, रायपेट्टा, चेन्ने — 600 014 को या उक्त संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति की स्कैन ई—मेल के माध्यम से scrutinizer@snaco.net एवं इसकी प्रति investors@indianbank.co.in को बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात बुधवार, 25 नवंबर, 2020 को कार्य—समय की समाप्ति तक या उससे पूर्व प्राप्त न हो जाए।

5. उपस्थिती पर्ची सह प्रवेश पत्र

चूंकि बैठक वीसी / ओवीएम के माध्यम से संचालित की जा रही है अतः ईजीएम में उपस्थिती के लिए उपस्थिती पर्ची की आवश्यकता नहीं है।

लॉकडाउन संपूर्णता से हटने या सभा करने पर प्रतिबंध में राहत मिलने और ऑडिटोरियम में बैठक का आयोजन किए जाने और शेयरधारकों के बैठक में उपस्थित रहने के पात्र होने की स्थिति में शेयरधारकों के हित में उपस्थिती पर्ची सह प्रवेश पत्र को बैठक के स्थान पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

6. रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेन्ट के साथ पत्राचार:

भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने पंजीकृत पते में किसी प्रकार के परिवर्तन होने, अंतरण / ट्रांसिमशन हेतु अनुरोध करने के लिए बैंक के रिजस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेन्ट को निम्न पते पर संपर्क करें:--

कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड

(यूनिट : इंडियन बैंक) स्रुब्रमण्यम बिल्डिंग

नं -1, क्लब हाउस रोड,

चेन्नै 600 002

टेलीफोन - 044 - 28460390/91/92/93/94 (5 लाइनें)

ईमेल : investor@cameoindia.com या cameo@cameoindia.com

शेयरधारकों को त्वरित और प्रभावी सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से इंडियन बैंक ने अपने कॉर्पोरेट कार्यालय, चेन्नै में निवेशक सेवा कक्ष की स्थापना की है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी प्रकार की सहायता हेतु निम्नलिखित पते पर इस कक्ष से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं:

महाप्रबंधक – सीएफओ

इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय,

254-260, अव्वै षण्मगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

दूरभाष : 044-28134574

ई-मेल : cfo@indianbank.co.in

सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, 254—260, अव्वै षण्मुगम साले, रायपेट्टा, चेन्नै — 600 014

दूरभाष : 044-28134698

ई-मेल : ibinvestorrelations@indianbank.co.in

7. हरित पहल :

'हरित पहल' का समर्थन करने के उद्देश्य से, जिन शेयरधारकों ने अभी तक अपना ईमेल पंजीकृत / अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि यदि शेयर इलेक्ट्रॉनिक रूप में रखे गये हैं तो वे अपने डीपी के साथ अपना ईमेल पंजीकृत / अद्यतन करें और यदि शेयर भौतिक रूप में रखे गये हैं तो कैमियो कॉर्पोरेट सर्विसेज लिमिटेड के साथ अपना ईमेल पंजीकृत / अद्यतन करें।

8. बैठक में उपस्थिती की प्रक्रिया

- 1. सीडीएसएल ई—मतदान के द्वारा संचालित वीसी/ओएवीएम के माध्यम से शेयरधारक ईजीएम में उपस्थिती दर्ज करवा पाएगा। इसके लिए शेयरधारक https://www.evotingindia.com में शेयरधारक/सदस्य के रूप में रिमोट ई—मतदान के क्रेडेंशियल का प्रयोग कर लॉगिन करेंगे। शेयरधारकों के लिए वीसी/ओएवीएम का लिंक शेयरधारक/सदस्य लॉगिन में वहाँ उपलब्ध रहेगा जहां बैंक का ईवीएसएन प्रदर्शित होगा।
- 2. नोटिस में उल्लिखित प्रक्रिया के अनुसार, शेयरधारक बैठक शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में जुड़ सकते हैं। वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में प्रतिभागिता की सुविधा सबसे पहले जुड़ने वाले 1000 शेयरधारकों के लिए उपलब्ध रहेगी।
- 3. शेयरधारकों को सलाह दी जाती है कि बेहतर अनुभव के लिए वे लैपटाप / आई पैड का इस्तेमाल करें।
- 4. इसके अतिरिक्त बाधारहित बैठक के लिए शेयरधारकों को अच्छी तीव्रता वाले इन्टरनेट का प्रयोग एवं कैमरा ऑन किए जाने की आवश्यकता है।
- 5. मोबाईल हॉटस्पॉट के माध्यम से मोबाइल उपकरणों या टैबलेट या लैपटाप का उपयोग करने वाले कृपया नोट करें कि संबन्धित नेटवर्क में अस्थिरता के कारण ऑडियो / वीडियो की अदृश्यता हो सकती है। अतः उपरोक्त अवरोधों से बचने के लिए स्थिर वाई—फाई या लैन कनैक्शन के प्रयोग की सलाह दी जाती है।
- 6. यदि कोई शेयरधारक बैठक के दौरान अपने विचार प्रकट करना / प्रश्न पूछना चाहता है तो वह दिनांक 23.11.2020 तक या उससे पहले investors@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ई—मेल आईडी, मोबाईल नंबर बताते हुए स्वयं को स्पीकर के रूप में पंजीकृत करने हेतु अग्रिम निवेदन भेजे। वे शेयरधारक जिनके पास प्रश्न हैं किन्तु वे उन्हें ईजीएम के दौरान नहीं पूछना चाहते हैं, वह दिनांक 23.11.2020 तक या उससे पहले investors@indianbank.co.in पर अपना नाम, डीमैट खाता संख्या / फोलियो संख्या, ई—मेल आईडी, मोबाईल नंबर बताते हुए अपने प्रश्नों को हमें भेजे। उनके प्रश्नों के उत्तर उपयुक्त रूप से ईजीएम के दौरान या ई—मेल द्वारा दिये जाएंगे।
- 7. जिन शेयरधारकों ने स्वयं को स्पीकर के रूप पंजीकृत किया है वे केवल ईजीएम के दौरान ही अपने विचार प्रकट कर सकते हैं / प्रश्न पूछ सकते हैं।
- 8. सदन के लिए वीसी / ओवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित होने वाले शेयरधारकों गणना की जाएगी।

9. ई-मतदान के माध्यम से मतदान अधिकार का प्रयोग

सेबी (सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 44 के अनुसार, बैठक में उपस्थित रहने व मतदान के पात्र शेयरधारक रिमोट ई—मतदान के जरिये अपने मतदान का प्रयोग कर सकते हैं।

रिमोट ई-वोटिंग वैकल्पिक है।

शेयरधारकों / लाभकारी स्वामी के मतदान अधिकार निम्नलिखित के अंतर्गत हैं :

- (क) बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से 18,975.53 करोड़ रुपये की संचित हानि के विनियोजन से संबंधित कार्यसूची मद के लिए 23.11.2020 (उद्देश्य हेतु विनिर्दिष्ट तारीख) को इनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर पर
- (ख) शेयरधारक निदेशक के निर्वाचन संबंधी कार्यसूची मद के लिए 03.11.2020 (उद्देश्य हेतु अंतिम तारीख) को इनके द्वारा धारित इक्विटी शेयर पर

बैंक ने ई-मतदान मंच उपलब्ध करवाने वाली एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरि सर्विसेज (भारत) लिमिटेड को नियुक्त किया है।

10. ई—मतदान हेतु संवीक्षक

ईजीएम की तारीख पर रिमोट ई—मतदान प्रक्रिया के साथ मतदान की प्रक्रिया को न्यायोचित एवं पारदर्शी तरीके से संचालित करने हेतू बैंक ने श्री एस एन अनन्तसूब्रमणियन, कंपनी सचिव को संवीक्षक के तौर पर नियुक्त किया है।

11. ई-मतदान एवं संबन्धित प्रक्रिया

इलेक्ट्रानिक रूप से वोटिंग करने हेतु सदस्यों के लिए अनुदेश निम्नवत् हैं:--

इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन)	201103010
कार्यसूची मद संख्या 1 : बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से संचित हानि का विनियोजन	201103010
इलेक्ट्रानिक वोटिंग श्रृंखला संख्या (ईवीएसएन)	
कार्यसूची मद संख्या 2 : बैंक के शेयरधारकों, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, में से एक निदेशक का निर्वाचन	201103009

- (i) शेयरधारकों के मतदान अधिकार बैंक की पेड-अप इक्विटी शेयर पूंजी में उनके शेयर के हिस्से के समानुपात में होंगे
- (ए) शेयरधारक निदेशक के चुनाव से संबन्धित कार्यसूची मद हेतु 03.11.2020 (विनिर्दिष्ट तारीख)
- (बी) बैंक के शेयर प्रीमियम खाते में हुई 18975.53 करोड़ रुपए की हानि के विनियोजन से संबन्धित कार्यसूची मद हेतु 23.11.2020 (निर्धारित अंतिम तारीख)
- (ii) रिमोट ई—वोटिंग की सुविधा 26 नवंबर, 2020 को पूर्वाह्न 10.00 बजे से 29 नवंबर, 2020 अपराह्न 05.00 बजे तक सभी शेयरधारकों के लिए खुली रहेगी। इसके बाद सीडीएसएल द्वारा ई—वोटिंग मॉड्यूल को अपराह्न 05.00 बजे निष्क्रिय कर दिया जाएगा।
- (iii) शेयरधारक ई-वोटिंग वेबसाइट www.evotingindia.com में लागऑन करें।
- (iv) ''शेयरहोल्डर'' पर क्लिक करें।
- (v) अब अपने यूजर आईडी की प्रविष्टि करें।
 - (क) सीडीएसएल के लिए: 16 अंकों की लाभार्थी आईडी,
 - (ख) एनएसडीएल के लिए : 8 कैरेक्टर डीपी आईडी के बाद 8 डिजिट क्लाइंट आईडी,
 - (ग) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले शेयरधारकों को बैंक में पंजीकृत फोलियो नंबर दर्ज करना चाहिए।

या

वैकल्पिक रूप से, यदि आपने सीडीएसएल की ईएएसआई / ईएएसआईईएसटी ई—सेवाओं के लिए पंजीकृत किया हैं तो आप Login-Myeasi https://www.cdslindia.com पर अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग कर लॉग—इन कर सकते हैं। सीडीएसएल की ईएएसआई / ईएएसआईईएसटी ई—सेवाओं में सफलतापूर्वक लॉग—इन करने के बाद, ई—वोटिंग विकल्प पर क्लिक कर आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अपना वोट प्रत्यक्ष रूप से डाल सकते हैं।

- (vi) छवि सत्यापन को प्रदर्शित किए अनुसार दर्ज करें और लॉगिन पर क्लिक करें।
- (vii) यदि आप डीमैट फॉर्म में शेयर रख रहे हैं और www.evotingindia.com पर लॉग-इन किया है और किसी अन्य कंपनी के मतदान में शामिल हुये है, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग कर सकते है।
- (viii) यदि आप पहली बार उपयोगकर्ता हैं तो नीचे दिए गए चरणों का पालन करें –

	डीमैट फॉर्म और भौतिक फॉर्म में शेयर रखने वाले शेयरधारकों के लिए	
पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी अल्फा—न्यूमरिक 10 अंकोंवाला अपना पैन दर्ज करें (डीमेट शेयरधारक और भौतिक शेयरधारक दोनों के लिए लागू)	
	 जिन शेयरधारकों ने बैंक / निक्षेपागार प्रतिभागी के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे अपने बैंक / आरटीए द्वारा दिए गए अनुक्रम संख्या का उपयोग करें या बैंक / आरटीए से संपर्क करें। 	
लाभांश बैंक विवरण या	लॉगिन करने के लिए अपने डीमैट खाते में या बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज जन्म तिथि (dd/mm/yyyy प्रारूप में) दर्ज करें।	
जन्म तिथि	 यदि दोनों विवरण डिपॉजिटरी या बैंक के साथ दर्ज नहीं हैं, तो निर्देश (v) में उल्लिखित लाभांश बैंक विवरण फील्ड में सदस्य आईडी / फोलियो संख्या दर्ज करें। 	

- (ix) इन विवरणों को उचित रूप से दर्ज करने के बाद, "SUBMIT" टैब पर क्लिक करें।
- (x) भौतिक रूप में शेयर रखनेवाले शेयरधारक इसके बाद सीधे कंपनी चयन स्क्रीन में पहुँच जाएँगे। तथापि डीमैट रूप में शेयर धारित करनेवाले सदस्य, अब ''पासवर्ड सृजन'' के मेनु में पहुँचेंगे जहाँ उनसे अनिवार्यतः अपेक्षा की जाती है कि वे नये पासवर्ड फील्ड में अपने लाग—इन पासवर्ड को प्रविष्ट करें। कृपया नोट करें कि इस पासवर्ड का प्रयोग डीमैट धारकों द्वारा अन्य किसी भी कंपनी के संकल्पों के लिए वोट करने हेतु भी किया जाएगा, जहाँ वे वोट देने के लिए पात्र हैं बशर्ते कि कंपनी सीडीएसएल प्लैटफार्म के जिरए ई— मतदान का विकल्प उपलब्ध कराती है। हमारी सलाह है कि आप किसी अन्य व्यक्ति के साथ पासवर्ड साझा न करें और अपने पासवर्ड को गोपनीय रखने हेतु अत्यन्त सावधानी बरतें।
- (xi) भौतिक रूप में शेयर रखने वाले सदस्यों के लिए, इस नोटिस में निहित प्रस्तावों पर केवल ई-मतदान के लिए विवरण का उपयोग किया जा सकता है।
- (xii) संबंधित < कंपनी का नाम> ईवीएसएन पर क्लिक करें, जिस पर आप मतदान देना चाहते हैं।
- (xiii) वोटिंग के पृष्ठ पर आप संकल्प का वर्णन पाएँगे और उसके सामने मतदान हेतु ''हाँ / नहीं'' का विकल्प होगा। अपनी इच्छानुसार "हाँ" या "नहीं" का चयन करें। "हाँ" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत हैं और "नहीं" विकल्प का अभिप्राय यह है कि आप संकल्प से सहमत नहीं हैं।

- (xiv) आप संपूर्ण संकल्पों को देखना चाहते हैं तो "संकल्प फाइल लिंक" पर क्लिक करें।
- (xv) आपने जिस संकल्प पर मतदान देने का निर्णय लिया है, उसको चुनने के बाद ''सिम्पट'' पर क्लिक करें। एक पुष्टिकरण बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं तो ''ओके''(OK) पर क्लिक करें या अपना वोट बदलना चाहते हैं तो ''कैन्सल'' पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को आशोधित करें।
- (xvi) आप जब एक बार संकल्प पर अपना वोट ''पुष्टिकृत'' (CONFIRM) कर देते, तो आपको उसे बदलने नहीं दिया जाएगा।
- (xvii) वोटिंग के पृष्ठ पर प्रिंट करने के लिए यहाँ क्लिक करें" पर क्लिक करके आप अपने द्वारा किए वोट को प्रिंट भी कर सकेंगे।
- (xviii) यदि डी—मैट खाताधारक, अपने बदले गए पासवर्ड को भूल जाता है तो उपयोगकर्ता आईडी और छवि सत्यापन कोड को दर्ज करें और "पासवर्ड भूल गए" पर क्लिक करें और सिस्टम द्वारा बताए गए विवरण दर्ज करें।
- (xix) शेयरधारक सीडीएसएल के मोबाइल ऐप 'एम—वोटिंग' का उपयोग करके भी अपना वोट दे सकते हैं। एम— वोटिंग ऐप को संबंधित स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। कृपया अपने मोबाइल पर मतदान करते समय मोबाइल ऐप द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करें।

(XX) गैर-व्यक्तिगत शेयरधारक और कस्टोडियन के लिए नोट -

- गैर—व्यक्तिगत शेयरधारकों (अर्थात, वैयक्तिक, एचयूएफ़, एनआरआई आदि से अन्य) और कस्टोडियन को www.evotingindia.com पर लॉग इन करना होगा और खुद को 'कोर्पोरेट्स' मॉड्यूल में पंजीकृत करना होगा।
- संस्था की मोहर और हस्ताक्षर सहित पंजीकरण फॉर्म की स्कैन प्रति को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ईमेल करना होगा ।
- लॉग—इन विवरण प्राप्त करने के बाद व्यवस्थापक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करके एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाना होगा । अनुपालन उपयोगकर्ता उस खाते (खातों) को लिंक करने में सक्षम होगा जिसके लिए वे मतदान करना चाहते हैं।
- लॉग—इन में लिंक किए गए खातों की सूची को helpdesk.evoting@cdslindia.com पर मेल की जानी चाहिए और उन खातों का अनुमोदन होने के पश्चात वे अपना मतदान कर सकेंगे।
- बोर्ड के संकल्प और पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) की एक स्कैन प्रति जो उन्होंने कस्टोडियन के पक्ष में जारी की है, यदि कोई है, तो इसे सत्यापित करने के लिए स्क्रूटिनीज़र के लिए सिस्टम में पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए ।
- वैकल्पिक रूप से गैर—व्यक्तिगत शेयरधारकों ने यदि उन्होंने अलग—अलग टैब से मतदान किया है और जांच के लिए सीडीएसएल ई—वोटिंग सिस्टम में उसे अपलोड नहीं किया है तो उन्हें संबंधित बोर्ड के प्राधिकृत संकल्प / प्राधिकरण पत्र आदि को विधिवत प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता, जो वोट करने के लिए अधिकृत हैं, के सत्यापित हस्ताक्षर के साथ संवीक्षक और बैंक को ईमेल पते यथा; murali@cameoindia.com तथा investors@indianbank.co.in पर भेजने की आवश्यकता होती है।

यदि आपको ईजीएम बैठक में भाग लेने और ई—वोटिंग प्रक्रिया द्वारा ई—वोटिंग करने से संबन्धित कोई प्रश्न पूछना है या समस्या है, तो तो आप www.evotingindia.com पर सहायता अनुभाग के तहत उपलब्ध अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों तथा ई—वोटिंग मैनुअल का संदर्भ ले सकते हैं या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल कर सकते हैं या श्री नितिन कुंदर (022—23058738) या श्री महबूब लखानी (022—23058543) या श्री राकेश दलवी (022—23058542) से संपर्क कर सकते हैं।

इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों द्वारा मतदान की सुविधा से जुड़ी सभी शिकायतें श्री राकेश दलवी, प्रबंधक, (सीडीएसएल), सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड, ए विंग, 25वीं मंजिल, मैराथन पयूचरेक्स, मफतलाल मिल कम्पाउंड्स, एनएम जोशी मार्ग, लोअर परेल (पूर्व), मुंबई — 400013 को प्रेषित करें या helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई—मेल भेजें या 022—23058542 / 43 पर कॉल करें।

- (xxi) इस नोटिस में प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई—वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत नहीं हैं
 - (ए) भौतिक शेयरधारकों के लिए— कृपया आवश्यक विवरण जैसे कि फोलियो नंबर, शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाणपत्र की स्कैन की गई कॉपी (पृष्ठ के दोनों तरफ का), पैन (पैन कार्ड की स्वप्रमाणित स्कैन कॉपी), आधार (आधार की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति) कार्ड) बैंक / आरटीए के ईमेल आईडी murali@cameoindia.com पर ईमेल द्वारा प्रदान करें।
 - (बी) डीमैट अंशधारकों के लिए कृपया डीमैट खाता विवरण (सीडीएसएल —16 अंकों की लाभार्थी आईडी या एनएसडीएल —16 अंक डीपीआईडी + सीएलआईडी), नाम, ग्राहक की समेकित खाता विवरण की मास्टर या प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व सत्यापित स्कैन की गई प्रति), आधार (आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतिलिपि) बैंक / आरटीए ईमेल आईडी पर प्रदान करें।

12. ईजीएम में मतदान

कार्यसूची मदों पर चर्चा के बाद बैंक इन कार्यसूची मदों के संदर्भ में मतदान शुरू करेगा। यह मतदान इस उद्देश्य हेतु नियुक्त किए गए संवीक्षक के द्वारा संचालित व परीक्षित किया जाएगा। वीसी/ओएवीएम या भौतिक रूप से आयोजित होने वाले बैठक में शामिल होने वाले शेयरधारक/परोक्षी/अधिकृत प्रतिनिधि अपना मतदान प्रक्रिया के दौरान अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। यद्यपि वे शेयरधारक जोकि रिमोट ई—मतदान के जरिये अपना मत दे चुके हैं वे भौतिक बैठक के दौरान होने वाली मतदान प्रक्रिया में द्बारा मतदान के पात्र नहीं होंगे।

13. ईजीएम के दौरान ई-मतदान के संबंध में शेयधारकों के लिए निर्देश निम्नलिखित हैं :

- 1. ईजीएम के दौरान ई-मतदान की प्रक्रिया उपरलिखित रिमोट ई-मतदान के निर्देशों के समान ही है
- 2. केवल वे शेयरधारक, जोकि वीसी/ओएवीएम के माध्यम से ईजीएम में उपस्थित हैं और रिमोट ई—मतदान के माध्यम से संकल्प पर मतदान नहीं किया है एवं ऐसा करने से प्रतिबंधित भी नहीं हैं, ईजीएम के दौरान ई—मतदान हेतु पात्र होंगे।
- 3. उन शेयरधारकों, जिन्होंने ईजीएम के दौरान उपलब्ध ई—मतदान के माध्यम से मतदान किया है किन्तु वे वीसी/ ओएवीएम के माध्यम से होने वाली बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं, के मतों को अवैध माना जाएगा क्योंकि बैठक के दौरान ई—मतदान की सुविधा केवल बैठक में उपस्थित रहने वाले शेयरधारकों के लिए उपलब्ध होगी।
- 4. रिमोट ई—मतदान के माध्यम से मतदान करने वाले शेयरधारक ईजीएम में उपस्थित रहने के पात्र होंगे। यद्यपि वे ईजीएम के दौरान मतदान हेतु पात्र नहीं होंगे।

14. एजीएम के दौरान रिमोट ई-मतदान और ई-मतदान के परिणाम:

रिमोट ई—मतदान के परिणामों को एजीएम बैठक में ई—मतदान के परिणामों के साथ एकत्र किया जाएगा जिसकी घोषणा बैंक द्वारा अपनी वेबसाइट पर की जाएगी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को भी सूचित किया जाएगा।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 02.11.2020

(पद्मजा चुन्डूरू)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

स्पष्टीकरण विवरण

कार्य सूची मद 1

बैंक के शेयर प्रीमियम खाते से ₹18,975.53 करोड़ की संचित हानि का विनियोजन।

यथास्थिति 31.03.2020 को इंडियन बैंक (आईबी), पूर्ववर्ती इलाहाबाद बैंक (ई—एबी) और यथास्थिति 01.04.2020 को संयुक्त इकाई की आरक्षित निधियाँ निम्नानुसार हैं :

(राशि ₹ करोड़ में)

आरक्षित निधियाँ	आईबी	ई-एबी	संयुक्त
	31.03.2020	31.03.2020	01.04.2020
सांविधिक आरक्षित निधि	4,694.20	3,204.39	7,898.59
पुनर्मूल्यन आरक्षित निधि	2,987.84	2,909.99	5,897.83
पूंजी आरक्षित निधि – अन्य	388.55	476.75	865.30
धारा 36(1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित निधि	725.52	1,450.00	2,175.52
धारा 36(1)(viiia) के तहत विशेष आरक्षित निधि	58.20	1.91	60.11
राजस्व आरक्षित निधि	7,448.29	3,221.79	10,670.08
ऑलबैंक फाइनांस लिमिटेड (एबीएफएल) की सामान्य			
आरक्षित निधि, मार्च 2018 में ई—एबी में विलय की			
गई ई-एबी की पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी संस्था	0.00	0.08	0.08
लाभ / (हानि)	99.16	-19131.97	-19,032.81
एबीएफएल की लाभ/(हानि)	0.00	57.28	57.28
निवेश आरक्षित निधि	47.79	138.59	186.38
शेयर प्रीमियम	4,026.65	15,806.50	19,833.15
निवेश उतार–चढ़ाव आरक्षित निधि	566.99	0.00	566.99
विदेशी मुद्रा ट्रांसलेशन आरक्षित निधि	437.26	0.00	437.26
कुल	21,480.45	81,35.31	29,615.76
समामेलीकरण आरक्षित निधि	0.00	0.00	4,006.92
कुल			33,622.68

यथास्थिति 01 अप्रैल, 2020 इंडियन बैंक (समामेलित इकाई) की ओपनिंग तुलनपत्र के अनुसार प्रीमियम सहित पहले के शेयर निर्गम के परिणामस्वरूप ₹19,833.15 करोड़ की राशि शेयर प्रीमियम खाते में जमा है। इसके अतिरिक्त समामेलित इकाई के रिजर्व और सरप्लस के तहत 01 अप्रैल, 2020 तक निवल संचित हानि के रूप में कुल ₹18,975.53 राशि बकाया है।

बैंक यह प्रस्ताव करता है की संचित हानियों को समाप्त करने के उद्देश्य से शेयर प्रीमियम खाते की राशि का उपयोग किया जाए।

तदनुसार, बैंक ने समामेलित इकाई के ओपनिंग बकाया तिथि अर्थात 01 अप्रैल, 2020 को 'शेयर प्रीमियम खाता' में जमा के रूप में बकाया राशि ₹19,833,14,85,004.17 (उन्नीस हजार आठ सौ तैंतीस करोड़ चौदह लाख पचासी हजार चार रुपए और सन्नह पैसे मान्न) में से चालू वित्त वर्ष 2020—21 के दौरान, ₹18,975,52,95,417.96 (अठारह हजार नौ सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख निन्यानवे हजार चार सौ सन्नह रुपए और छियान्वे पैसे मान्न) का उपयोग करने का प्रस्ताव करता है जिसे शेयर प्रीमियम खाता के जमा बकाया में से लाभ और हानि खाता में ₹18,975,52,95,417.96 (अठारह हजार नौ सौ पचहत्तर करोड़ बावन लाख निन्यानवे हजार चार सौ सन्नह रुपए और छियान्वे पैसे मान्न) नामे बकाया में अंतरण किया जाय और तदनुसार शेयर प्रीमियम खाता में राशि को कम किया जाय।

उपर्युक्त प्रस्तावित शेयर प्रीमियम में कटौती, यदि अनुमोदित और अंतिम रूप से क्रियान्वित हो, का प्रभाव यह होगा कि यथास्थिति 01 अप्रैल, 2020 को ₹18,975,52,95,417.96 की संचित हानि समाप्त हो जाएगी।

बैंक का विचार है कि यह वर्तमान परिदृश्य में बैंक के लिए सबसे व्यावहारिक और आर्थिक रूप से कुशल विकल्प है ताकि बैंक की वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके। बैंक अपनी वास्तविक वित्तीय स्थिति का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम होगा जो शेयरधारकों को लाभान्वित करेगा क्योंकि उनकी धारिता बेहतर मूल्य प्राप्त करेगी और बैंक के शेयरधारकों के लाभ के अवसरों को बढ़ाने में सक्षम होगी जिसमें उचित समय सीमा के भीतर लागू प्रावधान के अनुसार लाभांश भुगतान शामिल है। इस प्रस्ताव से बैंक समयबद्ध तरीके से अपनी टर्नअराउंड योजना को प्राप्त करने के लिए बेहतर स्थिति में रहेगा।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 किसी भी खोई हुई या उपलब्ध परिसंपत्तियों द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई प्रदत्त पूंजी को रद्द करके अपनी प्रदत्त पूंजी को कम करने का प्रावधान करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विधिक प्रावधान) योजना, 1980 संशोधित रूप राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विधिक प्रावधान) संशोधन योजना, 2020 राष्ट्रीयकृत बैंक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 में संदर्भित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए अपने शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि का भुगतान करने की अनुमित देता है।

चूँकि संचित हानियों को दूर करने के उद्देश्य से बैंक के शेयर प्रीमियम खाते के प्रस्तावित उपयोग को पूंजीगत कमी माना जाएगा इसलिए बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 3(2बीबीए) के प्रावधानों के अनुसरण में विशेष संकल्प के माध्यम से बैंक के शेयरधारकों की स्वीकृति मांगी जा रही है।

बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 17 (2) में यह प्रावधान है कि जब बैंक शेयर प्रीमियम खाते से किसी भी राशि या राशियों को विनियोजित करता है तो ऐसे विनियोग की तारीख से इक्कीस दिनों के भीतर ऐसे विनियोजन से संबंधित परिस्थितियों का विवरण देते हुए इस तथ्य के संबंध भारतीय रिज़र्व बैंक को रिपोर्ट करें। बैंक निर्धारित अविध के भीतर इस अपेक्षा का अनुपालन करें।

शेयर प्रीमियम खाते में कटौती जिसमें शेयर प्रीमियम खाते की जमा राशि में कटौती कर पी एण्ड एल खाते में नामे बकाया को समाप्त करना शामिल है के संबंध में बैंक को अपने शेयरधारकों का विचार का निर्वहन करना आवश्यक नहीं है। तदनुसार, शेयर प्रीमियम खाते में कटौती के बाद बैंक की इक्विटी पूंजी संरचना और शेयरधारिता पैटर्न अपरिवर्तित रहेगी। शेयरों का बही मूल्य भी अपरिवर्तित रहेगा।

शेयरधारिता पैटर्न :

क्र.सं.	श्रेणी	शेयर प्रीमियम खाते में कटौती से पहले				The state of the s	पम खाते में के बाद
		शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत (%)	शेयरों की संख्या	शेयरधारिता प्रतिशत (%)		
ए	प्रवर्तक शेयरधारिता : भारत सरकार	994549600	88.06	994549600	88.06		
बी	गैर प्रवर्तक शेयरधारिता:	134816970	11.94	134816970	11.94		
	कुल	1129366570	100.00	1129366570	100.00		

शेयरधारकों और लेनदारों के अधिकार पूर्वाग्रह से प्रभावित नहीं हैं।

निदेशक मंडल ने बैंक और इसके शेयरधारकों के सर्वोत्तम हित में शेयर प्रीमियम खाते के उपयोग के उपरोक्त प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है और इसलिए शेयरधारकों द्वारा अनुमोदन के लिए भी सिफारिश की है।

निदेशकों और अन्य प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों की अभिरुचि

बैंक के किसी भी निदेशक और प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तिय या उनके संबंधियों को उपरोक्त संकल्प में रुचि नहीं है।

कार्य सूची मद 2

एक शेयरधारक निदेशक का निर्वाचन :

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम) की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत शेयरधारकों, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, में से ही निदेशक का निर्वाचन किया जाना बताया गया है एवं अनुभाग में अन्य बातों के साथ ही यह बताया गया है यदि बैंक द्वारा जारी सार्वजनिक शेयरधारिता कुल चुकता पूंजी की 16 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी तो शेयरधारकों, केंद्रीय सरकार के अतिरिक्त, द्वारा उन्हीं में से किसी एक को निदेशक निर्वाचित किया जाएगा।

डॉ. भारत कृष्ण शंकर का निर्वाचन शेयरधारक निदेशक के तौर पर किया गया था एवं उन्होंने 21 दिसंबर, 2017 को अगले तीन वर्षों के लिए पदभार ग्रहण किया था। अतः उनका 3 वर्ष का कार्यकाल 20 दिसंबर, 2020 को समाप्त हो जाएगा।

चूंकि बैंक में सार्वजनिक शेयरधारिता बैंक की कुल चुकता पूंजी के 16 प्रतिशत से नीचे है, अतः बैंक एक शेयरधारक निदेशक का चुनाव कर सकता है।

मौजूदा शेयरधारक निदेशक का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उत्पन्न हुई रिक्तियों को भरने के लिए बैंक के शेयरधारकों (केंद्रीय सरकार के अलावा) का प्रतिनिधित्व करने वाले एक निदेशक का चयन करने हेतु एक असाधारण आम बैठक बुलाई गई है।

शेयरधारक (केंद्रीय सरकार के अलावा) प्रासंगिक अधिनियम / विनियम अधिनियम / योजना / विनियमों / आरबीआई निर्देशों / केंद्रीय सरकार के निर्देशों / प्रासंगिक उद्धरणों / भाग जिनका कहीं और पुनरुत्पादन किया गया हो, में प्रस्तुत विस्तृत प्रक्रिया के अनुसार अपना नामांकन भेजने के लिए पात्र हैं।

कानूनी प्रावधान

निम्नलिखित विवरणी इस संदर्भ में लागू विविध अधिनियमों / विनियम / योजना / अधिसूचना में निहित प्रावधानों को इंगित करती है :

अधिनियम / योजना / विनियम / अधिसूचना	प्रावधान	संक्षिप्त विवरण
बैंककारी विनियमन अधिनियम,1949	धारा 5 (एनई) धारा 16 (1) धारा 20	 सारभूत हित कॉमन निदेशकों का प्रतिषेध किसी भी निदेशक को या उसके पक्ष में ऋण दिये जाने पर प्रतिबंध
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970	धारा 3 (2ई) धारा 9(3)(i) धारा 9(3ए) (ए) से (सी) धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) धारा 9(3बी)	 मतदान अधिकार पर प्रतिबंध शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले निदेशकों की संख्या कुछ क्षेत्रों में विशेष ज्ञान कोई भी व्यक्ति, जब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड, ईमानदारी एवं आरबीआई द्वारा बताए गए मानदंडों के अनुसार उचित व उपयुक्त न हो, निदेशक हेतु चयन के लिए पात्र नहीं होगा वह चयनित निदेशक जोकि उक्त अधिनियम के धारा 9(3ए) और धारा 9(3एए) की आवश्यकताएँ पूरी नहीं करता उसे आरबीआई द्वारा हटा दिये जाने का अधिकार है विश्वस्तता एवं गोपनीयता की बाध्यता
राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970	खंड 9(4) खंड10 खंड11 खंड 11ए खंड 11 बी खंड 12(8)	 निर्वाचित निदेशकों का कार्यकाल बैंक के निदेशक के हेतु अपात्रता निदेशक का कार्यालय को छोड़ा जाना चयनित निदेशक को कार्यालय से हटाया जाना चयनित निदेशक के कार्यालय में आकिस्मक रिक्ति को भरा जाना कुछ निदेशकों की अभिरुचि के अनुसार उनके द्वारा हितों का प्रकटीकरण

इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम,1999, यथा संशोधित	विनियम 10 विनियम 53 विनियम 55 विनियम 56 विनियम 57 विनियम 58 विनियम 59 विनियम 60 विनियम 61	 संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग सामान्य बैठकों में मतदान सामान्य बैठकों में चुने जाने वाले निदेशक शेयरधारकों की सूची निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों का नामांकन नामांकनों की जांच निर्वाचन में विवाद मतदान अधिकार विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान परोक्षी
आरबीआई / डीबीआर / 2019—20 / 71 मास्टर निदेश डीबीआर / एपीपीटी संख्या 9 / 29.67.001 / 2019 दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निवांचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निदेश,2019	बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970 की धारा 9(3एए) और धारा 9(3एबी) के अनुसार	भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019
प्त्र संदर्भ एफ संख्या16/83/2013—(जीओआई) वित्त मंत्रालय, दिनांकित 3 सितंबर, 2013 और भारत सरकार द्वारा जारी संशोधित दिशानिर्देश जोिक आंशिक गैर कार्यकारी निदेशक की नियुक्ति हेतु केंबिनेट की नियुक्ति समिति द्वारा 25 मार्च 2015 को स्वीकृत किए गए थे जोिक भारत सरकार की पत्र संख्या एफ संख्या 16/51/2012—बीओ—I दिनांकित 28 अप्रैल 2015 के जरिये अग्रेषित हैं एवं भारत सरकार की पत्र संख्या एफ संख्या 16/51/2012—बीओ—I दिनांकित 20 जुलाई 2016, ओएम दिनांक 3 सितंबर 2013 के साथ पठित संशोधित दिशानिर्देश दिनांकित 8 जुलाई, 2016, के जरिये अग्रेषित हैं		सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में आंशिक गैर— सरकारी निदेशकों की नियुक्ति से संबन्धित भारत सरकार के दिशानिर्देश
आरबीआई मास्टर परिपत्र आरबीआई /2015—16/95 डीबीआर संख्या डीआईआर.बीसी.10/13.03.00/2015—16 दिनांकित 1 जुलाई, 2015		निदेशकों के रिशतेदारों को ऋण और अग्रिम दिये जाने से संबन्धित
सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएँ एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015		स्वतंत्र निदेशक से संबन्धित प्रावधान

शेयरधारकों की सहूलियत के लिए अधिनियम, विनियम अधिनियम, योजना, विनियम, आरबीआई परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.संख्या39/29.39.001/2016—17 दिनांकित 24 नवंबर, 2016 के साथ पिटत बैंविवि.नियु.सं. 9/29.67.001/2019—20 मास्टर निदेश दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) निदेश, 2019 एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के उद्धरण बैंक की वैबसाइट www.indianbank.in में दिये गए हैं। यह उद्धरण उम्मीदवारों द्वारा आवेदन किए जाने पर उन्हें ई—मेल के द्वारा भेजे जाएंगे। आवेदन पत्र पर सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्वे षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै —600 014 लिखें तथा यह आवेदन हमें नामांकन फॉर्म जमा किए जाने की अंतिम दिनांक यथा शुक्रवार, 13 नवंबर, 2020 पर या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए।

चुनाव में प्रतिभागिता

जैसा पहले ही इंगित किया जा चुका है कि शेयर धारक / हिताधिकारी स्वामी जिनके नाम शेयरधारक रजिस्टर में शामिल हैं वे विनिर्दिष्ट तारीख यानि मंगलवार, 3 नवंबर, 2020 को केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारकों के बीच निदेशकों के चुनाव में भाग लेने यानी नामांकन, प्रतियोगिता और मतदान के अधिकारी होंगे।

बैंक के निदेशक के तौर पर चुनाव हेतु आवश्यक अर्हता :

अधिनियम की धारा 9(3ए) के अनुसार एक प्रतिभागी, जोकि बैंक में शेयरधारक है और अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अनुसार बैंक के निदेशक बनने की इच्छा रखता / रखती है, वह

क. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषय(यों) में विशेष ज्ञाता या अनुभवी होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii बैंकिग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थव्यवस्था
- v. वित्त
- vi. कानून
- vii. लघु स्तर उद्यम
- viii. या अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान और अनुभव जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयुक्त होगा।

(आरबीआई ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.संख्या.39 / 29.39.001 / 2016 व 2017 के माध्यम से निम्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता क्षेत्र में विस्तार किया है — (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन तािक बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों पर विचार किया जा सके।

- ख. जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला
- ग. किसानों, कामगारों एवं कारीगरों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला

अधिनियम की धारा 9(3एए) के अनुसार कोई भी व्यक्ति तब तक धारा 9(3) (i) अंतर्गत निदेशक के लिए चयनित होने हेतु योग्य नहीं होगा जब तक कि वह अपने कार्य—निष्पादन रिकॉर्ड, ईमानदारी तथा आरबीआई द्वारा इस संदर्भ में समय समय पर अधिसूचित किए जाने वाले अन्य मानदंडों के आधार पर 'उचित और उपयुक्त' व्यक्ति नहीं कहलाता।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970/1980 की धारा 9 की उपधारा (3AA) में प्रदत्त शक्तियों का निष्पादन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने अधिसूचना डीबीआर.एपीपीटी.संख्या:9/29.67. 001/2019—20 दिनांकित 2 अगस्त 2019 जारी की है जिसमें बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम,1970/1980 की धारा 9 (3)(i) के प्रावधान के अंतर्गत बैंक के बोर्ड के निदेशकों के तौर पर नियुक्त होने के लिए पूर्ण किए जाने वाले विशेष "उचित व उपयुक्त" मानदंडों का उल्लेख है।

इसके अतिरिक्त, चयनित निदेशकों को प्रसंविदा विलेख कार्यान्वित करना होगा, जोकि बैंक की आचार संहिता के विषयान्तर्गत है एवं इस संदर्भ में भारतीय रिजर्व बैंक / अन्य विनियामक प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की गई वार्षिक घोषणाओं को भरना होगा।

बैंक के निदेशक के पद पर चयन हेत् अपात्रता :

- (क) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना,1970 के खंड 10 के अनुसार व्यक्ति निदेशक के पद पर चयन के लिए अपात्र हो जाएगा, जब
 - i) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या
 - ii) अगर वह दिमागी तौर पर असंतुलित हैं और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या
 - iii) यदि उसे अनैतिकता के आधार किसी अपराध के आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या
 - iv) यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 3 की उप—धारा (1) के तहत भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक के सिवाय अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) के अंतर्गत खंड (ई) व (एफ) के अनुसार प्रबंध निदेशक और निदेशकों सिहत पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण करता है

(ख) यदि वह बैंक के बोर्ड की नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति द्वारा सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंक में गैर—सरकारी निदेशक पर विचार करने हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा उल्लिखित मानदंडों के साथ पठित आरबीआई / डीबीआर / 2019—20 / 71 बैंविवि.नियु.सं.९ / 29.67.001 / 2019—20 मास्टर निदेश दिनांकित 02 अगस्त, 2020 द्वारा जारी भारतीय रिजर्व बैंक (सरकारी क्षेत्र के बैंकों के बोर्ड पर निर्वाचित निदेशकों के लिए 'उचित और उपयुक्त' मानदंड) मास्टर निदेश, 2019 के अनुसार "उचित व उपयुक्त" नहीं पाया जाता है।

शेयरधारकों की सूची:

इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम,1999, यथा संशोधित के विनियम 56 के अनुसार शेयरधारकों की सूची की प्रति शुक्रवार, 6 नवंबर, 2020 से कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नई — 600 014 में उपलब्ध रहेगी। शेयरधारक इंडियन बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट / इंटर ऑफिस इन्सट्रूमेंट / अधिसूचित बैंक के भुगतान आदेश, जोिक चेन्नई में देय होगा, द्वारा 50,000 /— (पचास हजार रुपए) का भुगतान कर यह सूची खरीद सकते हैं। इस सूची को खरीदने के इच्छुक प्रतिभागियों को सहायक महा प्रबन्धक एवं कंपनी सचिव, इंडियन बैंक, निवेशक सेवा कक्ष, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नई — 600 014 को एक आवेदन पत्र भेजना होगा तथा इसके साथ ही एक शपथपत्र, कि इस सूची का प्रयोग केवल चुनाव प्रचार हेतु किया जाएगा एवं इसके अतिरिक्त और किसी उद्देश्य के लिए नहीं किया जाएगा, भी जमा करना होगा।

शेयरधारकों के रजिस्टरों की जांच

शेयरधारकों के रजिस्टर शेयरधारकों द्वारा जांच किए जाने के लिए कॉर्पोरेट कार्यालय, निवेशक सेवा कक्ष, 254—260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नई — 600 014 में सभी कार्यालय दिवसों (रविवार, द्वितीय व चतुर्थ शनिवार तथा बैंक अवकाश को छोड़कर) पर यानि सोमवार से शनिवार अपराहन 03.00 बजे से शाम 05.00 बजे तक खुले रहेंगे।

यदि कोई शेयरधारक किसी चयनित सूचना या सूचना के किसी भाग की प्रति या कंप्यूटर प्रिंट चाहता है या किसी भिन्नात्मक भाग की प्रति की आवश्यकता है तो उसे वह प्रति 1000 शब्द पर 5/- रुपए का प्रभार लगा कर, उस राशि के पूर्व भुगतान किए जाने पर उपलब्ध कराई जा सकती है

चुनाव के लिए प्रतिभागियों का नामांकन :

1. नामांकनों की वैधता :

निदेशक के तौर पर निर्वाचित होने, निदेशक हेतु निर्वाचन के लिए नामांकन देने के लिए इंडियन बैंक (शेयर व बैठक) विनियम, 1999 यथा संशोधित के विनियम 57, आरबीआई निर्देश व भारत सरकार के दिशानिर्देश एवं इसके अतिरिक्त संशोधन, या असमय जारी हुए ऐसे निर्देश बशर्ते :

- ए) वह शेयरधारक, जोकि निर्वाचन में प्रतिभागिता करने वाले शेयरधारकों की पात्रता को तय करने की बैंक की निर्धारित तारीख 3 नवंबर, 2020 मंगलवार को, बैंक के कम से कम 100 (एक सौ) शेयर रखते हों तथा बैठक की तारीख तक एवं उसके बाद उसके कार्यकाल, निर्वाचित होने पर, के अंत तक निरंतर न्यूनतम 100 शेयर के धारक रहेंगे।
- बी) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख शुक्रवार, 13 नवंबर, 2020 को वह अधिनियम / विनियम अधिनियम / योजना / विनियम / भारिबैं दिशानिर्देशों / भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक बनने के लिए अपात्र न हो।
- सी) निदेशक निर्वाचित करने के लिए नामांकन लिखित रूप में किया गया हो और वह कम से कम एक सौ पात्र शेयरधारकों अथवा उनके द्वारा विधिवत गठित अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित हो, बशर्ते, नामांकन यदि किसी ऐसे शेयरधारक द्वारा किया गया हो, जो एक कंपनी है तो उक्त कंपनी के निदेशकों द्वारा संकल्प पारित किया गया और जिस बैठक में संकल्प पारित किया गया है उसके अध्यक्ष द्वारा संकल्प की प्रमाणित सत्य प्रति के रूप में अधिप्रमाणित किया गया हो, बैंक के कार्पोरेट कार्यालय, को महाप्रबंधक—सीएफओ, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254— 260, अव्वै षण्मुगम साले, रायपेट्टा, चेन्नै 600 014 को संबोधित करते हुए जमा किया जाएगा और ऐसी प्रति को उस कंपनी की ओर से किया गया नामांकन माना जाएगा।
- डी) नामांकन के साथ किसी न्यायाधीश / मजिस्ट्रेट / आश्विासनों के रिजस्ट्रार / सब रिजस्ट्रार / अन्य राजपत्रित अधिकारी / भारतीय रिजर्व बैंक / किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के अधिकारी के समक्ष हस्ताक्षरित नोटिस में दिए नामांकन और घोषणा के नमूने के अनुसार यह घोषणा शामिल होनी चाहिए कि वह नामांकन स्वीकार करता / करती है और निर्वाचन में खड़े होने के लिए इच्छुक है और कि वह अधिनियम / विनियम अधिनियम / योजना / विनियम / भारिबें दिशानिर्देशों / भारत सरकार के प्रयोज्य दिशानिर्देशों के अंतर्गत निदेशक के लिए अयोग्य नहीं है और वह अपने व्यक्तिगत विवरण (बायो डाटा) में विधिवत हस्ताक्षर कर यह प्रतिज्ञा करते हुए घोषणा करेगा / करेगी कि यह विवरण उसकी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है और यह वचन देगा / देगी कि वह घोषणा के बाद में होने वाली घटनाओं, जो प्रासंगिक हों, की पूर्ण जानकारी यथाशीघ्र बैंक को देगा / देगी।

- ई) विनियम द्वारा यथानिर्धारित किए नामांकन पत्र और घोषणा पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप के अनुसार दिए गए हैं। (यह प्रोफार्मा संपूर्ण नोटिस के साथ बैंक की वेबसाइट www.indianbank.in पर भी उपलब्ध है।)
- एफ) नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि यथास्थिति शुक्रवार, 13 नवंबर, 2020 तक को वे बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 या किसी अधिनियम, किसी योजना, विनियम, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश, भारत सरकार के दिशानिर्देश या निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए समय—समय पर जारी ऐसे अन्य निर्देश के अधीन अयोग्य नहीं हों।

II. नामांकन फॉर्मो की प्रस्तुतिः

शेयरधारकों में से बैंक के निदेशकों के चुनाव लड़ने के इच्छुक शेयरधारकों को, केंद्र सरकार के अतिरिक्त,

- ए. विधिवत रूप से भरा गया घोषणा-पत्र
- बी. चुनाव में भाग लेने हेतु न्यूनतम 100 शेयरधारकों से नामांकन
- सी. इस नोटिस के साथ संलग्न प्रारूप में व्यक्तिगत सूचना, घोषणा—पत्र तथा वचन—पत्र, जिसके साथ संबंधित दस्तावेज, प्रमाणपत्र अर्थात स्व सत्यापित बायोडाटा, शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाणपत्र, अनुभव आदि संलग्न हो, को निम्नलिखित दस्तावेज सीलबंद लिफाफे में महाप्रबंधक— सीएफओ, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254—260, अव्वैषण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै 600014 को असाधारण सामान्य बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम 14 कार्य दिवस पूर्व अर्थात शुक्रवार, 13 नवंबर, 2020 को साय 5.00 बजे तक या इससे पूर्व जमा कराए जाएँ।

उपर्युक्त नामांकन फॉर्म व अन्य दस्तावेज़ सभी तरह से पूर्ण होने चाहिए और ऐसा न होने पर नामांकन अस्वीकार किया जा सकता है ।

III. नामांकनों की जांच तथा निदेशकों का चुनावः

- ए) नामांकन प्राप्त होने के लिए निर्धारित तारीख के बाद के प्रथम कार्य दिवस सोमवार, 16 नवंबर, 2020 को बैंक द्वारा नामांकनों की जाँच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया गया तो उसका कारण दर्ज करने के पश्चात उसे अस्वीकृत कर दिया जाएगा ।
- बी) वैध नामांकन भी आरबीआई के निदेशों तथा भारत सरकार के दिशा—निर्देशों के तहत बोर्ड की नामांकन तथा पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) द्वारा जाँच के अध्यधीन होंगे । जैसा कि आरबीआई निदेशों / अधिसूचनाओं के अनुसार लगाया गया प्रतिबंध तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश प्रकृति में एक जैसे हैं, अतः बैंक उम्मीदवारों की योग्यता अथवा उनकी समुचित स्थिति का निर्धारण करते समय दोनों में सबसे सख्त प्रक्रिया का प्रयोग कर सकता है।
- सी) बैंक नामांकन के जाँच के समय अथवा बोर्ड की नामांकन समिति की सलाह पर प्रत्याशी से उसकी उम्मीदवारी के समर्थन में आगे की जानकारी, दस्तवेजों की मांग कर सकता है।
- डी) यदि चुनाव द्वारा भरी जाने वाली एक रिक्ति हेतु केवल एक ही वैध नामांकन प्राप्त हो तो इस प्रकार नामित प्रत्याशी उसी समय से निर्वाचित समझा जाएगा और उसके नाम तथा पते को निर्वाचित निदेशक के रूप में प्रकाशित किया जायेगा । ऐसी स्थिति में शेयरधारक निदेशकों के निर्वाचन से संबन्धित कार्यसूची मद की चर्चा असाधारण सामान्य बैठक में नहीं की जाएगी। नव निर्वाचित निदेशक 21 दिसंबर 2020 को ही पदभार ग्रहण करेंगे।
- ई) यदि वैध नामांकन एक से अधिक हो तो प्रत्याशियों के नाम समाचार —पत्रों में प्रकाशित किए जाएंगे तथा चुनाव कराया जाएगा और चुनाव में रिमोट ई वोटिंग तथा बैठक में वोटिंग के माध्यम से सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले प्रत्याशी निर्वाचित होंगे और उनके नाम बैठक में घोषित किये जाएंगे तथा समाचार — पत्रों में भी प्रकाशित किये जाएंगे।

IV. अभ्यर्थिता वापस लेनाः

यदि कोई अभ्यर्थी अपना नामांकन वापस लेना चाहता है तो उसे महाप्रबंधक—सीएफओ, कार्पोरेट कार्यालय, 254—260 अव्यै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै —600 014 के पते पर, ई—मेल cfo@indianbank.co.in पर और बाद में कूरियर / स्पीड पोस्ट / रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेज कर मंगलवार, 24 नवंबर 2020 को बैंक के कार्य समय की समाप्ति से पहले किसी समय अपराह्न 05.00 बजे या उससे पहले ऐसा करने के पात्र होंगे।

V. ईजीएम में वोटिंग प्रक्रिया

कार्यसूची की मदों के लिए / ईजीएम के दौरान मतदान ई—वोटिंग के माध्यम से किया जाएगा और यह बैठक के अध्यक्ष द्वारा घोषणा किए जाने के तुरंत बाद शुरू किया जाएगा। वोटों की संख्या निर्दिष्ट तिथि 03 नवंबर 2020 को उनके शेयरधारिता की संख्या के बराबर होगी।

उसके बाद वोटों की सारणीबद्ध जानकारी ली जाएगी और परिणाम की घोषणा बैठक के अध्यक्ष या इस संबंध में प्राधिकृत बैंक के किसी अन्य अधिकारी द्वारा की जाएगी।

VI. विवाद:

किसी विवाद की स्थिति में उसका निपटान यथासंशोधित इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999, यथासंशोधित के विनियम 59 के अनुसार किया जाएगा।

VII. सारांशः

शेयरधारकों की सुविधा हेतु प्रयोज्य अधिनियम/विनियम अधिनियम/योजना/विनियम/भारिबैं दिशानिर्देश/भारत सरकार के दिशानिर्देशों का संगत सारांश संलग्न है।

निदेशकों का हितः

बैंक के निदेशक अपनी शेयरधारिता की सीमा तक और ऐसे निदेशक जो नामांकन दाखिल करते हैं उनकी व्यवसाय की उपर्युक्त मदों में संबद्धता अथवा हित समझा जा सकेगा।

निदेशकों का निर्वाचन – प्रासंगिक अधिनियमों, योजनाओं और विनियमों आदि का सारांश

शेयरधारक निदेशकों के चुनाव और केन्द्र सरकार के अतिरिक्त शेयरधारकों द्वारा चुने जाने वाले ऐसे निदेशकों की संख्या से संबंधित प्रावधान बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 9(3)(i) में समाविष्ट हैं। बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, अथवा राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम, 1999 के प्रासंगिक प्रावधान, यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या डीबीओडी. बीसी.सं. 95 / 29.39.001 / 2010—11 दिनांक 23.05.2011 के

राष्ट्रीयकृत बेक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970, इंडियन बेक (शयर और बेठक) विनियम, 1999 के प्रासिंगिक प्रावधान, यथासंशोधित, अधिसूचना संख्या डीबीओडी. बीसी.सं. 95 / 29.39.001 / 2010—11 दिनांक 23.05.2011 के साथ पिठत भारिबें अधिसूचना संख्या 46 और 47 / 29.39.001 / 2007—08 दिनांक 01.11.2007 के तहत जारी 'उपयुक्त एवं समुचित' मानदंड और अंशकालिक गैर शासकीय निदेशक के चयन हेतु दिनांक 01.06.2011 दिशानिर्देश (भारत सरकार के निदेश) 25.03.2015 तथा 08.07.2016 को संशोधित जिसे भारत सरकार के दिनांक 03.09.2013 के कार्यालय ज्ञापन द्वारा शेयरधारक निदेशकों के लिए भी प्रयोज्य बनाया गया है का प्रासंगिक सारांश नीचे प्रस्तुत है।

बैकिंग विनियमन अधिनियम, 1949

सारभूत हित – धारा 5(एनई):

- (i) कंपनी के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति अथवा उसके पित / पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल रूप से या एकसाथ उसके शेयरों के रूप में, प्रदत्त पूंजी राशि जो रुपए पांच लाख से अधिक अथवा कंपनी की प्रदत्त पूंजी के दस प्रतिशत, जो भी कम हो, लाभकारी हित धारण करना।
- (ii) फर्म के संबंध में, तात्पर्य है किसी व्यक्ति अथवा उसके पित / पत्नी अथवा अवयस्क संतान द्वारा, एकल रूप से या एकसाथ जो उक्त फर्म के सभी साझेदारों द्वारा अभिदत्त कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता हो, लाभकारी हित धारण करना।

सामान्य निदेशकों पर प्रतिबंध— धारा 16(1):

भारत में निगमित कोई भी बैंकिंग कंपनी अपने निदेशक मंडल में निदेशक के रूप में ऐसे किसी व्यक्ति को शामिल नहीं करेगी जो अन्य बैंकिंग कंपनी में निदेशक हो।

ऋणों और अग्रिमों पर प्रतिबंध- धारा 20:

- 1) कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 77 में समाहित किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी कोई भी बैंकिंग कंपनी निम्नलिखित कार्य नहीं करेगी—
- क) अपने स्वयं के शेयरों की प्रतिभृति पर कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना
- ख) निम्न को अथवा उनकी ओर से कोई ऋण या अग्रिम प्रदान करना अथवा प्रतिबद्धता करना
- (i) अपने किसी निदेशक को
- (ii) किसी ऐसी फर्म को जिसमें इसके किसी निदेशक का साझेदार, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीकर्ता के रूप में हित हो, अथवा
- (iii) ऐसी कोई कंपनी जो बैंकिंग कंपनी की अनुषंगी नहीं है अथवा कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) की धारा 25 के तहत पंजीकृत कंपनी अथवा ऐसी सरकारी कंपनी जिसकी अथवा जिसकी अनुषंगी की अथवा होल्डिंग कंपनी जिसमें बैंकिंग कंपनी का कोई निदेशक, प्रबंध एजेंट, प्रबंधक, कर्मचारी अथवा गारंटीदाता है अथवा जिसमें उसका सारभूत हित है।
- (iv) ऐसा कोई व्यक्ति, जिसके संबंध में इसके निदेशकों में से कोई निदेशक उसका साझेदार अथवा गारंटीदाता है।

2) जहाँ बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत कोई ऋण या अग्रिम इस प्रकार का है कि इसे स्वीकृत करने के लिए प्रतिबद्धता नहीं की गई हो, यदि उपधारा (1) का खंड (बी) उस तारीख को, जब ऋण अथवा अग्रिम किया गया था, प्रभावी होता, अथवा बैंकिंग विधि (संशोधन) अधिनियम, 1968 (1968 का 58) की धारा 5 प्रारंभ होने के पश्चात बैंकिंग कंपनी द्वारा स्वीकृत किया गया है किंतु ऐसे प्रारंभ से पहले की गई प्रतिबद्धता के अनुसरण में ऋण अथवा अग्रिम की स्वीकृति के समय उसके संबंध में निर्धारित अवधि के भीतर उस पर देय अथवा जहां ऐसी अवधि निर्धारित नहीं की गई है, उक्त धारा 5 के प्रारंभ होने से एक वर्ष की अवधि समाप्ति होने से पहले, ऋण अथवा अग्रिम के कारण बैंकिंग कंपनी को देय मूल के साथ ब्याज, यदि कोई है, की वसूली के लिए उपाय किए जाएंगे, परंतु यदि बैंकिंग कंपनी द्वारा इस संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक को किसी मामले में लिखित आवेदन किया गया हो तो भारतीय रिजर्व बैंक ऋण अथवा अग्रिम की वसूली की अवधि ऐसी तारीख तक बढ़ा सकता है, जो उक्त धारा 5 के आरंभ से 3 वर्ष की अवधि के बाद की तारीख नहीं होगी और ऐसे नियम एवं शर्तों के अध्यधीन होगी, जैसा भारतीय रिजर्व बैंक उचित समझेगा।

परंतु यह भी कि यह उपधारा तब लागू नहीं होगी जब संबंधित निदेशक बैंकिंग कंपनी के निदेशक पद को या तो मृत्यु, सेवानिवृत्ति त्यागपत्र अथवा अन्यं किसी कारण से रिक्त न कर दे।

- 3) उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा उसका कोई भाग भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बिना प्रेषित नहीं किया जाएगा और ऐसे अनुमोदन के बिना कोई भी प्रेषण अवैध एवं अप्रभावी माना जाएगा।
- 4) जहां उपधारा (2) में संदर्भित कोई ऋण अथवा अग्रिम, किसी व्यक्ति द्वारा देय, उस उपधारा में विनिर्दिष्ट अविध के भीतर बैंकिंग कंपनी को चुकता नहीं किया गया है, तब ऐसा व्यक्ति, यदि उक्त अविध की समाप्ति पर ऐसी बैंकिंग कंपनी का निदेशक है, तो उसे इस कारण उक्त तारीख को अपना कार्यभार रिक्त न किया हुआ समझा जाएगा।

इस धारा का स्पष्टीकरणः

- 'ऋण अथवा अग्रिम' में ऐसा कोई संव्यवहार शामिल नहीं होगा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक संव्यवहार की प्रकृति, संव्यवहार के कारण संभावित देय राशि की वसूली, चुनौती के ढंग और परिस्थितियों, जमाकर्ताओं के हित और अन्य संबद्ध खातों को ध्यान में रखते हुए, सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकता है कि यह इस धारा के प्रयोजन के लिए ऋण अथवा अग्रिम नहीं है;
- 'निदेशक' का तात्पर्य बैंकिंग कंपनी द्वारा भारत में गठित किसी निदेशक मण्डल अथवा सिमिति के सदस्य से है जो इसका प्रबंध करने के प्रयोजन के लिए है अथवा इसके सभी या किन्हीं मामलों के प्रबंधन के संबंध में परामर्श देने के लिए है।
- 5) यदि यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई संव्यवहार इस धारा के प्रयोजन से ऋण या अग्रिम है या नहीं, तो उस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक को संदर्भित किया जाएगा और उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा ।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनयम, 1956 से संबंधित उपर्युक्त प्रावधानों के तहत किए गए किसी भी संदर्भ को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार दिये गए संदर्भों के रूप में माना जाएगा ।

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम , 1970

मताधिकार के संबंध में प्रतिबंध:

धारा 3 (2ई): तदनुरूपी नए बैंक का कोई शेयरधारक, केन्द्रीय सरकार के अतिरिक्त अपने द्वारा धारित किन्हीं शेयरों के विषय में तदनुरूपी नए बैंक के सभी शेयरधारकों के कुल मताधिकार के दस प्रतिशत से अधिक मताधिकार का प्रयोग करने के लिए हकदार नहीं होगा ।

निदेशक मंडल का गठनः

धारा 9 (3) (i): जहां पूंजी धारा 3 की उपधारा (2बी) के खंड (सी) के तहत जारी की गयी है :-

- क) कुल चुकता पूंजी के सोलह प्रतिशत से अधिक नहीं है, तो एक निदेशक
- ख) सोलह प्रतिशत से अधिक परंतु कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अनधिक, दो निदेशक
- ग) कुल चुकता पूंजी के बत्तीस प्रतिशत से अधिक है, तो तीन निदेशक केन्द्रीय सरकार से इतर शेयरधारकों द्वारा अपने में से चुने जाएंगे ।

बशर्ते कि इस खंड के तहत किसी ऐसे निदेशक के चुनाव के बाद कार्यभार ग्रहण करने पर, खंड (एच) के तहत नामित उतने ही निदेशक इस प्रकार सेवानिवृत्त होंगे, जैसे कि योजना में विनिर्दिष्ट किया गया है। यह भी प्रावधान है कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) तथा वित्तीय संस्थान कानून (संशोधन) अधिनियम, 2006 के प्रारंभ पर या उससे पहले निर्वाचित निदेशकों कि संख्या, तदनुरूप नये बैंक में उप — खंड(i), या उप— खंड (ii) या उप — खंड (iii), जैसे भी मामला हो, में विनिर्दिष्ट निदेशकों की संख्या से बढ़ जाती है तो ऐसे प्रारंभ से पहले निर्वाचित ऐसे अतिरिक्त संख्या के निदेशक, योजना में दर्शाए गए तरीके से सेवानिवृत्त होंगे और ऐसे निदेशक अपने कार्यदायित्वों से समयपूर्व सेवानिवृत्त के कारण किसी क्षतिपूर्ति के दावे के पात्र नहीं होंगे।

धारा 9 (3 ए): उक्त खंड(i) के तहत निर्वाचित किए जाने वाले निदेशक:

क. निम्नलिखित में से किसी एक या अधिक विषय(यों) में विशेष ज्ञाता या अनुभवी होना चाहिए :

- i. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था
- ii बैंकिंग
- iii. सहकारिता
- iv. अर्थव्यवस्था
- v. वित्त
- vi. कानून
- vii. लघु स्तर उद्यम
- viii. या अन्य किसी विषय का विशेष ज्ञान और अनुभव जोकि भारतीय रिजर्व बैंक के विचार से बैंक के लिए उपयुक्त होगा।

(आरबीआई ने दिनांक 24 नवंबर, 2016 के अपने परिपत्र संख्या डीबीआर.एपीपीटी.बीसी.संख्या.39 / 29.39.001 / 2016 व 2017 के माध्यम से निम्न क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विशेषज्ञता क्षेत्र में विस्तार किया है — (i) सूचना प्रौद्योगिकी (ii) भुगतान और निपटान प्रणाली (iii) मानव संसाधन (iv) जोखिम प्रबंधन और (v) व्यवसाय प्रबंधन ताकि बैंकों में निदेशक की नियुक्ति हेतु इन क्षेत्रों से संबंधित व्यक्तियों पर विचार किया जा सके।

- ख) जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों; अथवा
- ग) किसानों, कामगारों एवं शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हों
- धारा 9 (3 एए) : उप—धारा 3 (ए) के प्रावधान पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना और अधिनियम में निहित अन्य कानून में विरोधाभास होने के बावजूद, उप—धारा(3) के खंड (i) के तहत कोई भी व्यक्ति निदेशक के रूप में निर्वाचित होने के लिए पात्र नहीं होगा जब तक वह ट्रैक रिकॉर्ड, अखंडता और इस संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा समय—समय पर सूचित इस तरह के अन्य मानदंडों के आधार पर 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति वाला व्यक्ति नहीं है ।
- धारा 9 (3एबी) : भारतीय रिज़र्व बैंक भी उप—धारा 3 (एए) के तहत जारी अधिसूचना में प्राधिकरण को 'उपयुक्त एवं उचित' स्थिति का निर्धारण करने, इस तरह के निर्धारण का तरीका, ऐसे निर्धारण का पालन किए जाने वाली प्रक्रिया ऐसे निर्धारण और ऐसे अन्य मामलों के लिए जिन्हें आवश्यक या आकरिमक उपचार माना जा सकता है के लिए निर्दिष्ट कर सकता है।
- धारा 9 (3 बी): जहां रिजर्व बैंक के विचार में उप—धारा (3) के खंड (i) के तहत चुने गए किसी भी तत्संबंधित बैंक के किसी भी निदेशक द्वारा उप—धारा (3 ए) और (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा नहीं किया जाता है, बैंक को अपनी बात रखने का उचित अवसर देने के बाद आदेश द्वारा ऐसे निदेशक हटाया जा सकता है और इस तरह के निष्कासन पर, निदेशक मंडल किसी अन्य व्यक्ति को उप—धारा (3 ए) एवं (3 एए) की आवश्यकता को पूरा कर उस व्यक्ति को हटाए गए निदेशक के स्थान पर निदेशक बनने का विकल्प प्रदान करेगा जब तक किसी निदेशक को अगली वार्षिक आम बैठक में तत्संबंधित बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत निर्वाचित नहीं किया जाता है और तब तक चुने गए व्यक्ति को तत्संबंधित बैंक के शेयरधारकों द्वारा विधिवत रूप से चुना गया निदेशक माना जाएगा।

निष्ठा और गोपनीयता का दायित्व :

धारा 13 (2): प्रत्येक निदेशक, किसी स्थानीय बोर्ड या समिति का सदस्य, या लेखा परीक्षक, सलाहकार, अधिकारी या तत्संबंधित बैंक के अन्य कर्मचारी कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व, तीसरी अनुसूची में निर्धारित प्रपत्र में निष्ठा और गोपनीयता की घोषणा करेंगे।

राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970

निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि:

खण्ड 9 (4) :

निर्वाचित निदेशक तीन वर्षों के लिए पद धारण करेगा और पुनः निर्वाचन के लिए पात्र होगा। बशर्ते कि ऐसा कोई भी निदेशक छह साल से अधिक की अवधि के लिए लगातार पद धारण नहीं करेगा।

निदेशकों की अयोग्यता:

खण्ड 10 :

किसी व्यक्ति को निदेशक के रूप में नियुक्त होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा :-

- i) यदि उसे किसी भी समय दिवालिया घोषित कर दिया गया है या उसने भुगतान निलंबित कर दिया है या अपने लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है या
- ii) अगर वह दिमागी तौर पर असंतुलित हैं और एक सक्षम अदालत द्वारा ऐसा घोषित किया गया है या
- iii) यदि उसे अनैतिकता के आधार किसी अपराध के आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया है या
- iv) यदि वह किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 3 की उप—धारा (1) के तहत भारतीय स्टेट बैंक में या भारतीय स्टेट बैंक (सब्सिडियरी बैंक) अधिनियम, 1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी अनुषंगी बैंक के सिवाय अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा (3) के अंतर्गत खंड (ई) व (एफ) के अनुसार प्रबंध निदेशक और निदेशकों सहित पूर्णकालिक निदेशक के अतिरिक्त कोई लाभ का पद धारण करता है

निदेशकों के पद की रिक्ति :

खण्ड 11 :

- 1. यदि कोई निदेशक खंड 10 में निर्दिष्ट किसी भी अपात्रता के अनुसार अयोग्य पाया जाता है या बोर्ड की छुट्टी के बिना लगातार तीन से अधिक बैठकों के लिए अनुपस्थित रहता है, तो ऐसा माना जाएगा कि उसने पद त्याग कर दिया है और उसके बाद उसका पद रिक्त हो जाएगा।
- 2. अध्यक्ष या प्रबंध निदेशक या निदेशक सिहत एक पूर्णकालिक निदेशक, जो अधिनियम की धारा 9 की उपधारा 3 के तहत खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) में निर्दिष्ट है, केंद्र सरकार को लिखित रूप में नोटिस देकर अपने पद से इस्तीफा दे सकता है और सरकार द्वारा इस्तीफा स्वीकार किए जाने पर यह माना जाएगा कि उसने अपना पद त्याग कर दिया है और कोई अन्य निदेशक केंद्र सरकार को लिखित रूप से नोटिस देकर अपने कार्यालय से इस्तीफा दे सकता है और इस तरह का इस्तीफा केंद्र सरकार द्वारा इस्तीफ की सूचना प्राप्ति पर प्रभावी होगा।
- 3. पूर्वगामी उप—खंड के प्रावधान पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा 3 के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट किसी निदेशक का कार्यकाल या राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी के अलावा, जिसके वे निदेशक हैं के पद समाप्ति के साथ ही निदेशक का पद समाप्त हो जाएगा।
- 4. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के अलावा किसी निदेशक के कार्यालय में कोई रिक्ति होती है, वह अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा (3) के अनुसार भरी जाएगी।

निर्वाचित निदेशक को पद से हटाया जाना

खण्ड 11ए:

केंद्र सरकार के अतिरिक्त अन्य शेयरधारक, ऐसे शेयरधारकों द्वारा धारित कुल शेयर पूंजी की कम से कम आधी पूंजी को धारित करने वाले शेयरधारकों के बहुमत से एक संकल्प पास करके धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(i) के अंतर्गत चुने गए किसी भी निदेशक को हटा सकते हैं और रिक्ति को भरने के लिए किसी अन्य व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं।

निर्वाचित निदेशक के रिक्त पद को भरना

खण्ड 11बी :

1. जहां किसी निर्वाचित निदेशक के पद की अवधि समाप्त होने से पहले कोई रिक्ति उत्पन्न होती है, वहाँ रिक्त पद निर्वाचन द्वारा भरा जाएगा।

बशर्ते रिक्ति की अवधि छह महीने से कम होने की संभावना है, रिक्ति शेष निदेशकों द्वारा भरी जा सकती है।

2. उप खंड (1) के तहत निर्वाचित या उप—निर्वाचित व्यक्ति, जैसा भी मामला हो, अपने पूर्ववर्ती के पद की शेष समयावधि के लिए पदधारण करेगा।

निदेशकों द्वारा हितों का प्रकटीकरण : खंड 12 (8)

कोई निदेशक जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध है या किसी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव में रुचि रखता है या राष्ट्रीयकृत बैंक की ओर से दर्ज कराए जाने के लिए प्रस्तावित है या प्रस्तावित किया गया है, प्रासंगिक परिस्थितियों के बाद अपने संज्ञान में आने पर जितनी जल्दी हो सके बोर्ड के प्रति अपनी रुचि की प्रकार को स्पष्ट करेगा और तब तक बोर्ड की बैठक में उपस्थित नहीं होगा जब तक ऐसे अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर चर्चा की जाती है जब तक कि उसकी उपस्थित अन्य निदेशकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से आवश्यक न हो और किसी निदेशक का इस तरह के किसी भी अनुबंध, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव पर मतदान करना आवश्यक होगा:

बशर्ते इस उप-खंड में निहित कुछ भी ऐसे निदेशक पर केवल इसीलिए लागू नहीं होगा, यदि वह :

i. कंपनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) में परिभाषित किसी सार्वजनिक कंपनी या तत्समय भारत में किसी कानून के द्वारा या अधीन स्थापित निगम या किसी सहकारी समिति, जिसके साथ राष्ट्रीयकृत बैंक ने कोई करार, ऋण, व्यवस्था या प्रस्ताव किया या ऐसा कुछ किया जाना प्रस्तावित है , मैं उसकी चुकता पूंजी का 2 प्रतिशत से अधिक का धारण करता हो ।

ii. राष्ट्रीयकृत बैंक का कोई अधिकारी या अन्य कर्मचारी, यदि वह अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड (ई) या खंड (एफ) में निर्दिष्ट निदेशक है।

इंडियन बैंक (शेयर एवं बैठकें) विनियम, 1999, यथा संशोधित के अनुसार,

संयुक्त धारकों के अधिकारों का प्रयोग :

विनियमन 10:

यदि कोई शेयर दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम पर है, तो पहले रिजस्टर में नामित प्रथम धारक ही शेयरों के हस्तांतरण को छोड़कर, मतदान, लाभांश की प्राप्ति, नोटिस का निष्पादन एवं इंडियन बैंक से जुड़े अन्य मामलों हेतु एकमात्र धारक माना जाएगा ।

आम बैठक में चुने जाने वाले निदेशक : विनियमन 55 :

- पंजीकृत शेयरधारकों, केंद्र सरकार के अलावा, द्वारा उन्हीं में से किसी एक को अधिनियम की धारा 9 की उप–धारा
 3 के खंड (i) के तहत एक निदेशक, निर्वाचित किया जाएगा ।
- ii. जहां निदेशक का चुनाव किसी भी आम बैठक में होना है, वहाँ बैठक की सूचना देने वाले नोटिस को बैठक में शामिल किया जाएगा। ऐसे प्रत्येक नोटिस में निर्वाचित किए जाने वाले निदेशकों की संख्या निर्दिष्ट की जाएगी और चुनाव के लिए रिक्तियों का विवरण दिया जाएगा।

शेयरधारकों की सूची :

विनियमन 56:

- इन विनियमों के विनियमन 55 के उप—नियमन (i) के तहत किसी निदेशक के चुनाव हेतु उन पंजीकृत शेयरधारकों की सूची तैयार की जाएगी जिनके द्वारा निदेशक का चुनाव किया जाना है
- ii. इस सूची में शेयरधारकों के नाम, उनके पंजीकृत पते, उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या व पंजीकृत की गई दिनांक पर शेयरों की संख्या और वोटों की संख्या जिसके लिए वे चुनाव हेत् बैठक की तय तारीख पर हकदार

होंगे, यह सूची बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम तीन सप्ताह पहले प्रधान कार्यालय को आवेदन भेजे जाने पर, बोर्ड या प्रबंध समिति द्वारा निर्धारित मूल्य पर उपलब्ध कराई जाएगी ।

निर्वाचन के लिए अभ्यर्थियों का नामांकन :

विनियमन 57:

- i. निदेशक के रूप में चुनाव के लिए अभ्यर्थी का कोई भी नामांकन तब मान्य होगा जब तक कि,
- क) वह इंडियन बैंक में कम से कम 100 (एक सौ) शेयरों का धारक हो।
- ख) वह नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तिथि पर, अधिनियम या योजना के तहत निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं है।
- ग) उसने अपने पास रखे बैंक के शेयरों के संबंध में सभी मांगों चाहे वह एकल हो या दूसरों के साथ संयुक्त रूप से, मांग के भुगतान के लिए निर्धारित अंतिम तिथि से पहले या उससे पहले, का भुगतान किया है;
- घ) यह नामांकन अधिनियम के तहत निदेशकों का चयन करने के लिए पात्र कम से कम सौ शेयरधारकों द्वारा हस्ताक्षरित लिखित रूप से या उनके विधिवत नियुक्त वकील द्वारा हस्ताक्षरित है, बशर्ते नामांकन करने वाला शेयरधारक यदि कंपनी हो तो यह नामांकन कंपनी के निदेशकों द्वारा पारित संकल्प से किया जाए जिस बैठक में यह संकल्प पारित हुआ है उस बैंक के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित इस संकल्प की प्रमाणित मूल प्रति को बैंक के प्रधान कार्यालय को भेज दिया जाएगा और इस तरह की प्रति को कंपनी की ओर से नामांकन माना जाएगा।
- च) नामांकन में न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, अशुरेंस रजिस्ट्रार या के उप-रजिस्ट्रार या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के किसी अधिकारी के समक्ष उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा शामिल होनी चाहिए, कि वह नामांकन स्वीकार करता है और निर्वाचन में प्रतिभागिता का इच्छुक है और यह कि वह अधिनियम या योजना या इन विनियमों के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य नहीं है।
- ii. कोई भी नामांकन तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि वह सभी संबंधित दस्तावेजों जो सभी तरह से पूर्ण न हो और बैठक के लिए तय की गई तारीख से कम से कम चौदह दिन पहले इंडियन बैंक के प्रधान कार्यालय में प्राप्त नहीं किया गया हो।

नामांकन की जांच : विनियमन 58 :

- i. नामांकन की प्राप्ति के लिए निर्धारित तिथि के बाद प्रथम कार्य दिवस पर नामांकन की जांच की जाएगी और यदि कोई नामांकन वैध नहीं पाया जाता है, तो उसके कारण को दर्ज करने के बाद उसे खारिज कर दिया जाएगा। यदि चुनाव द्वारा भरे जाने वाले किसी विशेष पद के लिए केवल एक ही मान्य नामांकन है, तो नामांकित उम्मीदवार को निर्वाचित माना जाएगा और उसका नाम और पता निर्वाचित रूप में प्रकाशित किया जाएगा। इस तरह के आयोजन में इस उद्देश्य के लिए बुलाई गई बैठक में कोई चुनाव नहीं होगा और यदि बैठक को पूर्वोक्त चुनाव के उद्देश्य से पूरी तरह से बुलाया गया था, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा।
- ii. चुनाव होने की स्थिति में, यदि वैध नामांकन, निर्वाचित होने वाले निदेशकों की संख्या से अधिक है, तो अधिकांश मत पाने वाले अभ्यर्थी को निर्वाचित माना जाएगा।
- iii. मौजूदा रिक्ति को भरने के लिए चुने गए एक निदेशक को उस तारीख से पदभार ग्रहण समझा जाएगा, जिस दिन वह निर्वाचित माना जाता है।

निर्वाचन विवाद:

विनियमन 59:

- i. यदि निर्वाचित माने गए या निर्वाचित घोषित किए जाने वाले की योग्यता या अयोग्यता पर या निदेशक के निर्वाचन की वैधता पर कोई संदेह या सवाल उठता है तो उस स्थिति में अभ्यर्थी बनने का इच्छुक कोई व्यक्ति या इस निर्वाचन में मतदान का हकदार कोई शेयर धारक चुनाव के परिणाम की घोषणा की तारीख के सात दिनों के भीतर, बैंक के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक को लिखित रूप में दे सकता है और उक्त सूचना में पूर्ण विवरण दिया जाए जिसके आधार पर वह चुनाव की वैधता पर संदेह या विवाद उत्पन्न करता है।
- ii. उप—नियमन (i) के अंतर्गत, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक या उनकी अनुपस्थिति में, बैंक के कार्यपालक निदेशक इस संदेह या विवाद को संबन्धित समिति जिसमें अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक होंगे या उनकी अनुपस्थिति में कार्यपालक निदेशक एवं अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड(ख) व (ग) के तहत नामांकित कोई दो निदेशक होंगे, के समक्ष निर्णय लिए जाने हेतु प्रस्तुत करेंगे।

- iii. उप—नियमन (ii) में उल्लिखित समिति यह जांच करेगी क्योंकि यह बहुत आवश्यक है और यदि यह पता चलता है कि चुनाव एक वैध चुनाव था, तो यह चुनाव के घोषित परिणामों की पुष्टि करेगी, या यदि यह पाता है कि एक वैध चुनाव नहीं हुआ था तब यह जांच शुरू होने के तीस दिनों के भीतर, परिस्थितियों को देखते हुए नए चुनाव कराने का आदेश और निर्देश देगी।
- iv. इस विनियमन के अनुसरण में ऐसी समिति का आदेश और निर्देश निर्णायक होगा।

शेयरधारकों के मतदान अधिकार:

विनियमन 60:

मतदान के अधिकार का निर्धारण :

- i. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो सामान्य बैठक की तारीख से पहले रजिस्टर प्रविष्टि के बंद होने की तारीख पर एक शेयरधारक के रूप में पंजीकृत किया गया है, उसे इस तरह की बैठक में हाथ उठाकर मतदान किए जाने की स्थिति में वह केवल एक मत का धारक होगा।
- ii. अधिनियम की धारा 3 (2 ई) में निहित प्रावधानों के अधीन, प्रत्येक शेयरधारक जो उपरोक्त के आधार पर वोट देने का अधिकारी है यदि वह कंपनी नहीं है, व्यक्तिगत रूप में या प्रॉक्सी के माध्यम से मौजूद है या जो कंपनी होने के नाते विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में मौजूद है, वे हाथ उठाकर मतदान किए जाने की स्थिति में केवल एक मत का धारक होंगे तथा मतदान किए जाने की स्थिति में उप नियमन(i) के अनुसार प्रत्येक शेयर पर एक मत का धारक होगा ।

स्पष्टीकरण– इस अध्याय में, "कंपनी" का अर्थ कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट है।

एक आम बैठक में भाग लेने और मतदान करने के हकदार बैंक के शेयरधारक किसी अन्य व्यक्ति (चाहे वह शेयरधारक हो या नहीं) को उसके बजाय उपस्थित होने और मतदान करने के लिए अपने प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त करने का हकदार होगा; लेकिन नियुक्त किए गए प्रॉक्सी को बैठक में बोलने का कोई अधिकार नहीं होगा।

विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा मतदान :

विनियमन 61:

- i. एक शेयरधारक, केंद्र सरकार या कंपनी होने के नाते, किसी संकल्प द्वारा, जैसा कि मामला हो सकता है, अपने किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को शेयरधारकों की किसी भी सामान्य बैठक में अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए अधिकृत करता है और वह अधिकृत (इन संदर्भित विनियमों में "विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि" के रूप में उल्लिखित) केंद्र सरकार या कंपनी की ओर से उन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने का हकदार होगा जिनका वह प्रतिनिधित्व करता है, चाहे वह बैंक का एक व्यक्तिगत शेयरधारक ही हो। अधिकरण विकल्प दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है और ऐसे मामले में कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार / कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है।
- ii. कोई भी व्यक्ति कंपनी के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैंक के शेयरधारकों की किसी भी बैठक में भाग नहीं लेगा या मतदान नहीं करेगा, जब तक कि उसे विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने वाला संकल्प जिस बैठक में पारित किया गया हो उस अध्यक्ष के द्वारा प्रमाणित मूल न हो तथा इसे इसे बैठक की नियत तिथि से चार दिन पूर्व बैंक के प्रमुख कार्यालय में प्रस्तुत किया गया हो ।

प्रॉक्सी

विनियमन 62:

I. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक वैध नहीं होगी, जब तक वैयक्तिक शेयरधारकों के मामलें में शेयरधारक या उसके अटर्नी द्वारा लिखित रूप में विधिवत् प्राधिकृत नहीं किया जाता है या संयुक्तधारकों के मामले में रिजस्टर में प्रथक् नामित शेयरधारक या उनके द्वारा लिखित रूप से विधिवत् प्राधिकृत अटर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है या निर्गमित निकाय के मामले में उसके अधिकारी या लिखित में विधिवत् प्राधिकृत किसी अटर्नी द्वारा हस्ताक्षर किए जाते है।

बशर्तें प्रॉक्सी की लिखत किसी शेयरधारक द्वारा जो किसी कारणवश अपना नाम नहीं लिख सकता / सकती है तो यदि उसका चिह्न / निशान उस पर लगाया जाता है और किसी जज, मजिस्ट्रेट, रजिस्ट्रार या एश्यूरेंस सब रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या इंडियन बैंक के अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तो उसे पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित माना जाएगा।

- II. कोई भी प्रॉक्सी तब तक बैध नहीं होगी जब तक उस पर विधिवत् रूप से मुहर न हो और इस संबंध में इसकी एक प्रित बैंक के प्रधान कार्यालय या बैंक द्वारा अधिसूचित किसी अन्य स्थान पर बैठक के लिए तय तिथि से कम से कम चार दिन पूर्व मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार के साथ (यदि कोई हो) जिसके अंतर्गत वह हस्ताक्षरित हो या मुख्तारनामे या अन्य प्राधिकार की प्रति जो कि किसी नोटरी पब्लिक या मिजस्ट्रेट द्वारा सत्य प्रति के रूप में प्रमाणित किया गया हो जब तक कि ऐसा मुख्तारनामा या अन्य प्राधिकारी द्वारा पहले ही जमा किया गया हो और बैंक के साथ पंजीकृत किया गया हो।
- III. प्रॉक्सी की कोई भी लिखत तब तक मान्य नहीं होगी, जब तक वह प्रपत्र "बी" में न हो ।
- IV. बैंक के पास जमा की गई प्रॉक्सी की लिखत अपरिवर्तनीय और अंतिम होगी।
- V. दो अनुदानकर्ताओं के पक्ष में वैकल्पिक रूप में दी गई प्रॉक्सी की लिखत के मामलें में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किए जाएगें।
- VI. ऐसे शेयरधारक जिन्होनें प्रॉक्सी की लिखत निष्पादित की हो, संबंधित बैठक में जिसमें ऐसी लिखत संबंधित हो व्यक्तिगत रूप से मतदान करने के लिए हकदार नहीं होगें।
- VII. ऐसे किसी व्यक्ति को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या एक प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा जो कि इंडियन बैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो।
- VIII. प्रॉक्सी फॉर्म में सभी परिवर्तन विधिवत रूप से प्राधिकृत होने चाहिए।

भारतीय रिज़र्व बैंक (पीएसबीएस के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए "उपयुक्त एवं उचित" मापदण्ड) दिशा—निर्देश, 2019:

भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) ने अपनी अधिसूचना संख्या आरबीआई / डीबीआर / 2019–20 / 71 मास्टर दिशा–निर्देश डीबीआर एप्ट नंबर: 9 / 29.67.001 / 2019–20 दिनांकित 02 अगस्त, 2019 द्वारा बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम 1970 / 1980 की धारा 9 की उप–धाराओं (3 एए) के तहत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक की (उपयुक्त एवं उचित) पीएसबी के बोर्डों पर निर्वाचित निदेशकों के लिए मानदंड) दिशा–निर्देश, 2019 अधिसुचित कर दिये है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों की मुख्य विशेषताए:-

"उपयुक्त एवं उचित" स्थिति आदि को निर्धारित करने वाले प्राधिकारी,प्रक्रिया एवं मापदण्ड निम्नानुसार है:--

(क) प्राधिकार

सभी बैंकों को एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करना आवश्यक है (इसके बाद से समिति के रूप में संदर्भित किया जाएगा) जिसके निदेशक मंडल में कम से कम तीन गैर—कार्यकारी निदेशक शामिल हों ख्बाद में बोर्ड के रूप में संदर्भित, जिसमें कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे और बोर्ड के जोखिम प्रबंधन समिति के कम से कम एक सदस्य को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अिधनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उपधारा (3) के खंड के तहत निदेशक के रूप में चुने जाने के लिए व्यक्तियों के 'उचित और उपयुक्त' के निर्धारण हेतु उचित प्रक्रिया को चलाने के लिए शामिल किया जाना चाहिए। भारत सरकार नामित निदेशक और बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अिधनियम, 1970 / 1980 धारा 9 (3) (ग) के तहत नामित निदेशक समिति का हिस्सा नहीं होंगे। बैंक के गैर—कार्यकारी अध्यक्ष समिति के सदस्य हो सकते हैं परन्तु समिति के अध्यक्ष नहीं। बोर्ड उनके बीच से किसी एक को समिति का अध्यक्ष नामित करेगी। कोरम पूरा करने के लिए अध्यक्ष सहित तीन की आवश्यकता है। किसी भी नामित सदस्य की अनुपस्थित में कोरम पूरा करने के लिए, बैठक के लिए उनके स्थान पर किसी अन्य गैर—कार्यकारी निदेशक को बोर्ड नामित कर सकता है। समिति के गठन के समय, बोर्ड अपने कार्यकाल पर निर्णय ले सकता है।

(ख) प्रणाली और प्रक्रिया

चयन के लिए नामांकन दाखिल करने वाले व्यक्तियों से बैंकों को आवश्यक जानकारी, और एक घोषणा और वचन पत्र संलग्न प्रारूप में (अनुलग्नक 1) प्राप्त करना होगा। समिति नामांकन की स्वीकृति के लिए निर्धारित अंतिम तिथि के बाद बैठक करेगी और नीचे दिए गए मानदंडों के आधार पर व्यक्ति की उम्मीदवारी को स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं, निर्धारित करेगी। समिति की चर्चा को बैठक के औपचारिक कार्यवृत्त के रूप में दर्ज किया जाएगा और यदि मतदान किया जाता है, तो यह भी नोट किया जाएगा। हस्ताक्षरित घोषणा में प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, समिति उम्मीदवारी की स्वीकृति या अन्यथा पर निर्णय लेगी और जहां आवश्यक हो, उपयुक्त प्राधिकारी / व्यक्तियों को संदर्भित करेगा कि दर्शाए गए आवश्यकताओं के अनुरूप उम्मीदवारी है।

(ग) मानदंड

समिति यहां उल्लिखित व्यापक मानदंडों के आधार पर प्रस्तावित उम्मीदवारों की 'उचित और उपयुक्त' स्थिति का निर्धारण करेगी:

- I. **आयु** चयन के लिए नामांकन जमा करने की निर्धारित तिथि के अनुसार उम्मीदवार की आयु 35 से 67 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- II. शैक्षणिक योग्यता उम्मीदवार कम से कम रनातक होना चाहिए।
- III. अनुभव और विशेषज्ञता का क्षेत्र उम्मीदवार को भारतीय रिज़र्व बैंक के दिनांक 24 नवंबर 2016 के परिपत्र डीबीआर.एपीपीटी.बीसी सं.39 / 29.39.001 / 2016—17 के साथ पठित बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 (3क)(क)में उल्लिखित अनुसार एक या अधिक मामलों के संबंध में, जैसा भी मामला हो, विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव हो।
- IV. **अयोग्यता** : राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान), 1970 / 80 योजना के खंड 10 'निदेशकों की अयोग्यता' के अलावा :
- (क) उम्मीदवार किसी भी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (एफआई) या बीमा कंपनी या किसी अन्य बैंक के एनओएफएचसी के बोर्ड का सदस्य नहीं होने चाहिए।
 - स्पष्टीकरण : इस उप-पैरा और उप-पैरा (ग) के प्रयोजन के लिए, अभिव्यक्ति "बैंक" में एक बैंकिंग कंपनी, एक नया बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एक सहकारी बैंक और एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शामिल होंगे।
- (ख) किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति को पीएसबी के बोर्ड में निर्वाचित निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए मान्य नहीं होंगे। हालांकि, ऐसी संस्थाओं के निवेशकों को निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे उनमें किसी प्रबंधकीय नियंत्रण में नहीं हो।
- (ग) ऐसा कोई व्यक्ति निर्वाचित / पुन: निर्वाचित नहीं हो जिन्होंने छ: वर्ष तक लगातार अथवा अंतराल पर किसी भी बैंक / वित्तीय संस्था / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में निदेशक के रूप में सेवा प्रदान की हो।
- (घ) उम्मीदवार स्टॉक ब्रोकिंग के व्यवसाय से जुड़ा नहीं होना चाहिए।
- (च) उम्मीदवार संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों का सदस्य नहीं होना चाहिए। (अन्य स्थानीय निकायों से तात्पर्य है कि नोटिफाइड एरिया काउंसिल, सिटि काउंसिल, पंचायत, ग्राम सभा, ज़िला परिषद, आदि।)
- (छ) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में किसी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो।
- (ज) उम्मीदवार ऐसी किसी चार्टर्ड एकाउंटेंट फर्म के साझेदार के रूप में कार्य न कर रहा हो जो वर्तमान में उस बैंक में सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रही हो, जिसमें चयन के लिए नामांकन दाखिल किया गया है।

V. कार्यावधि – निर्वाचित निदेशक तीन साल के लिए पद धारण करेंगे और पुनः चयन के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि ऐसे कोई भी निदेशक, निरंतर या अंतराल सहित, छह वर्ष से अधिक की अवधि के लिए पद धारण नहीं करेंगे।

VI. व्यावसायिक प्रतिबंध -

- (क) उम्मीदवार का न तो संबंधित बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं सिहत) होना चाहिए और न ही ऐसी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए, जिसके परिणामस्वरूप उस बैंक के साथ व्यावसायिक हितों का टकराव हो सकता है।
- (ख) उम्मीदवार का किसी बैंक या किसी अन्य बैंक को धारित करने वाली एनओएफ़एचसी के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं होना चाहिए।
- (ग) बशर्ते कि चयन के लिए नामांकन दाखिल करते समय किसी बैंक के साथ इस तरह के संबंध रखने वाले उम्मीदवार को मद (ख) की अपेक्षाओं को पूर्ण करने वाला माना जाएगा, और उम्मीदवार समिति को यह घोषणा प्रस्तुत करेगा कि यदि वह निदेशक के रूप में निर्वाचित होता है तो बैंक के साथ संबंध समाप्त कर देगा और निर्वाचित होने पर बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्ति से पहले ऐसे संबंध समाप्त कर देता है।
- VII. ट्रैक रिकॉर्ड और सत्यनिष्ठा उम्मीदवार को किसी भी विनियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी की प्रतिकूल निगरानी के तहत नहीं होना चाहिए और किसी भी ऋणदाता संस्था का चूककर्ता नहीं होना चाहिए।

बैंक निर्वाचित निदेशक से निम्नलिखित प्राप्त करेगा:

- (क) ऐसे व्यक्ति द्वारा निदेशक का पद ग्रहण करने से पहले, अनुबंध में दिए गए फॉर्मेट (अनुबंध 2) में निष्पादित प्रसंविदा विलेख: पीएसबीएस के बोर्ड में चुने गए निदेशकों के लिए "उपयुक्त एवं उचित" मापदण्ड
- (ख) हर वर्ष 31 मार्च की स्थिति के अनुसार इस आशय की एक साधारण घोषणा कि ऐसे व्यक्ति द्वारा पहले से उपलब्ध कराई गई जानकारी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।
- (ग) जहां निर्वाचित निदेशक ने सूचित किया है कि पहले दी गई सूचना में परिवर्तन है, बैंक ऐसे निदेशक से नया अनुबंध 1 प्राप्त करेगा जिसमें सभी परिवर्तन शामिल हों।

बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 20 का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे। साथ ही,

- (क) सुरक्षा उपायों की एक प्रणाली बनाएँगे, जिसमें निर्वाचित सीए निदेशक के / उसकी फर्म के ग्राहकों और उसके / उसकी फर्म के ग्राहकों से संबंधित बैंक के ऋण / निवेश निर्णयों में भाग नहीं लेने संबंधी उपयुक्त प्रकटीकरण शामिल होंगी। निर्वाचित सीए निदेशक से अपेक्षित है कि इस पूरी प्रक्रिया से खुद को अलग रखें और इस आशय की प्रसंविदा पर हस्ताक्षर करें।
- (ख) निर्वाचित निदेशक द्वारा व्यावसायिक संस्थाओं में अपने हितों और निदेशक—पद का पूर्ण और उचित प्रकटीकरण अपेक्षित है, साथ ही जिन संस्थाओं में उनके हित हैं, उनसे जुड़े बैंक के ऋण / निवेश निर्णयों से निदेशक व्यक्तिगत रूप से खुद को अलग रखें और भाग नहीं लें।
- (ग) ऐसे निदेशक के रूप में पद छोड़ने के बाद दो साल की अविध तक बैंक किसी व्यक्ति को, जो उस बैंक का निर्वाचित निदेशक रह चुका है, को कोई व्यावसायिक कार्य आवंटित नहीं करेगा।

जहां निर्वाचित निदेशक:

- (क) निम्नलिखित में असफल रहते हैं,
- i. प्रसंविदा विलेख या घोषणा जमा करने में; या
- ii. उपयुक्त प्रकटीकरण करने में; या
- iii. जहां उनके हित जुड़े हैं, वहां ऋण / निवेश निर्णयों में भाग लेने से; या
- (ख) अधूरे या गलत प्रकटीकरण करते हैं; या
- (ग) ऐसी गतिविधियों में शामिल हैं, जो उन्हें उपर्युक्त मानदंडों के अनुसार ष्डचित और उपयुक्त नहींष् बनाते हैं, ऐसे निदेशक को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 / 1980 की धारा 9 की उपधारा (3 एए) की अपेक्षाओं को पूरा करने वाला नहीं माना जाएगा और वह इसके परिणामों के लिए उत्तरदायी होगा।

समिति नए निदेशकों के रूप में चयन के लिए उम्मीदवारों के नामांकन (नियुक्ति / पुनः नियुक्ति) की जांच करते समय उपर्युक्त संशोधित मानदंडों को अपनाएगी। तथापि, मौजूदा निर्वाचित निदेशकों को संशोधन— पूर्व मानदंडों के अनुसार अपना वर्तमान कार्यकाल पूरा करने की अनुमति दी जाए।

अंशकालिक गैर-सरकारी निदेशक के निर्वाचन हेतू दिशा-निर्देश:

भारत सरकार ने 3 सितंबर 2013 के अपने पत्र द्वारा यह निर्देशित किया है कि बोर्ड की नामांकन समिति शेयरधारक निदेशकों के 'उचित व उपयुक्त' स्टेटस का निर्धारण करते समय गैर सरकारी निदेशकों के लिए भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखेगी। भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2015 के अपने पत्र द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को संशोधित दिशा—निर्देश दिनांक 25 मार्च, 2015 को एवं अपनी पत्र संख्या 20 जुलाई, 2015 द्वारा संशोधनों को दिनांक 8 जुलाई, 2016 को अग्रेषित कर दिया है, जिसके मुख्य बिन्दु निम्नानुसार है:

(ए) सामान्य:

- 1. नामांकन संबंधित अधिनियमों / नियमों के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।
- नामांकितों की उपयुक्तता का आकलन औपचारिक योग्यता और विशेषज्ञता, ट्रैक रिकॉर्ड, सत्यनिष्ठा आदि के आधार पर किया जाएगा। सत्यनिष्ठा और उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, आपराधिक रिकॉर्ड, वित्तीय स्थिति, व्यक्तिगत ऋणो के लिए किए गए सिविल कार्रवाई, प्रवेश से इनकार या पेशेवर निकायों से निष्कासन, नियामकों और इसी तरह के निकायों द्वारा लागू प्रतिबंधों और पिछले संदिग्ध व्यवसायिक क्रिया—कलापों आदि पर भरोसा किया जाएगा।

(बी) अनुभव:

- 1. कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, व्यवसाय प्रबंधन, मानव संसाधन, वित्त, कॉर्पोरेट कानून, जोखिम प्रबंधन, उद्योग और आईटी के क्षेत्रों में विशेष शैक्षणिक प्रशिक्षण या व्यावहारिक अनुभव वाले व्यक्तियों पर आमतौर पर विचार किया जाएगा। 20 साल तक किसी उद्योग के एक वरिष्ठ पद का अनुभव, संबंधित क्षेत्रों में स्थापित विशेषज्ञता (सफलतापूर्वक एक प्रतिष्ठित संगठन का नेतृत्व किया हो, एक असफल संगठन को सफल संगठन के रूप में परिवर्तित करने में नेतृत्व योगदान प्रदान किया हो) को प्राथमिकता दी जाएगी।
- 2. सेवानिवृत्त विरष्ठ सरकारी अधिकारी जिनके पास 20 वर्ष का कुल अनुभव हो और संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारी जिनका न्यूनतम 10 वर्षों का अनुभव हो । सार्वजिनक क्षेत्र के बैंकों के सेवानिवृत्त सीएमडी / ईडी, सेवानिवृत्ति के एक वर्ष बाद। पूर्व सीएमडी / ईडी को सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए नहीं माना जाएगा, जहां से वे सेवानिवृत्त हुए हैं। सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक के सीएमडी / ईडी की सेवा किसी अन्य सार्वजिनक क्षेत्र के बैंक के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नहीं मानी जाएगी।
- 3. प्रमुख प्रबंधन बैंकिंग संस्थानों के अकादिमक निदेशक और प्रोफेसर जिनको 20 वर्ष से अधिक का अनुभव है।
- 4. चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको 20 साल का अनुभव हो (ऑडिट के अनुभव को छोड़कर) को भी प्राथमिकता दी जाएगी।
- 5. हालांकि, मामले की गुण—अवगुण के आधार पर असाधारण मामलों में वित्त मंत्री की मंजूरी से अनुभव मानदंड में ढील दी जा सकती है।
- 6. जहाँ तक संभव हो महिलाओं और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति समुदाय के व्यक्तियों को भी प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है।

(सी) शिक्षा:

एक गैर सरकारी निदेशक को कम से कम व्यवसाय प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, वित्त, मानव संसाधन और आईटी में विशेषज्ञता के साथ किसी भी क्षेत्र में स्नातक होना चाहिए।

(डी) उम्र:

निदेशक की आयु, सर्च / नामांकन समिति द्वारा सिफारिश की तिथि पर 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(ई) काम के अनुभव:

पेशेवर / शिक्षाविद जिनको आमतौर पर अपने विशेष क्षेत्र में 20 साल के कार्य का अनुभव हो।

(एफ) अयोग्यताएं :

- 1. किसी भी श्रेणी के बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिजर्व बैंक / बीमा कंपनी में पहले से ही निदेशक होने पर, किसी भी अन्य बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिजर्व बैंक / बीमा कंपनी में गैर—सरकारी निदेशक के रूप में नामांकन हेतु विचार नहीं किया जा सकता है।
- 2. किराया— खरीद, वित्तपोषण निवेश, पट्टे और अन्य पैरा—बैंकिंग गतिविधियों से जुड़े व्यक्ति, सांसद, विधायक, एमएलसी और स्टॉक ब्रोकर को बैंकों / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिजर्व बैंक / बीमा कंपनियों के बोर्ड में गैर—सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा। गैर—सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए किराया— खरीद, वित्त पोषण, निवेश, पट्टे और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों में निवेशकों को अयोग्य घोषित नहीं किया जाएगा, अगर वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं। गैर सरकारी निदेशक, यदि वे ऐसी कंपनियों में कोई प्रबंधकीय नियंत्रण नहीं रखते हैं।
- 3. किसी भी व्यक्ति को बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में फिर से नामांकित नहीं किया जा सकता है, जिसमें उसने पूर्व में निदेशक के रूप में किसी भी श्रेणी में दो कार्यकाल अथवा छह वर्ष, जो भी अधिक हो, के लिए सेवा दी हो।
- 4. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, यदि उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।
- 5. एक चार्टर्ड एकाउंटेंट, यदि उनका फर्म वर्तमान में किसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में वैधानिक शाखा लेखा परीक्षक या समवर्ती लेखा परीक्षक के रूप में कार्य कर रहा हो।

(जी) अवधि:

बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी बोर्ड में निदेशक के रूप में नामांकन के लिए उस गैर सरकारी निदेशक पर विचार नहीं किया जाएगा, जो निदेशक पहले से ही किसी अन्य बैंक / एफआई / आरबीआई / बीमा कंपनी के बोर्ड में लगातार या अंनिरंतर पर छह साल के लिए गैर सरकारी निदेशक / शेयरधारक—निदेशक रहे चुके हैं।

(एच) व्यावसायिक प्रतिबंध:

राष्ट्रीयकृत बैंक योजना (प्रबंधन और विधिक प्रावधान) योजना, 1970 के खंड 10 (डी) के तहत किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में व्यावसायिक प्रतिबंध के साथ—साथ कार्यालय लाभ की अलग से जांच की जाय।

(आई) क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व:

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बोर्डों में देश के सभी छह क्षेत्रों—उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, मध्य और उत्तर—पूर्व का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाना चाहिए।

जैसा कि आरबीआई निर्देशों के अनुसार लगाया गया प्रतिबंध तथा भारत सरकार के दिशानिर्देश प्रकृति में एक जैसे हैं, अतः अभ्यर्थियों के उचित व उपयुक्त स्टेटस का निर्धारण करते समय बैंक उपरोक्त दोनों से अधिक कड़े मानदंड प्रयोग करे।

निदेशक मंडल के आदेश से

स्थान : चेन्नै

दिनांक : 02.11.2020

् (पद्मजा चुन्डूरू)

प्रबन्ध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

अपनी फोटो यहाँ लगाए

बैंक का नाम : इंडियन बैंक

प्रस्तावित निदेशक (अभ्यर्थी) द्वारा 'घोषणापत्र और वचनपत्र' ् (यथोचित अनुलग्नकों सहित)

क्र.सं.	विवरण	दी जानेवाली सूचना		ना
l. व्यत्ति	ज्गत विवरण			
1.	नाम (पूर्ण)	प्रथम नाम	मध्य नाम	अंतिम नाम
2.	पिता का नाम			
3.	लिंग (एम/एफ/अन्य)			
4.	वर्तमान पता			
5.	ई—मेल पता और वैकल्पिक ई—मेल पता : एसटीडी कोड सहित दूरभाषा नं.: मोबाइल नं.:			
6.	राष्ट्रीयता			
7.	जन्म तिथि (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई) और आयु			
8.	शैक्षणिक योग्यता			
9.	निदेशक पहचान संख्या (डीआईएन)	//	वः	र्व माह
10.	आधार संख्या (वैकल्पिक)			
11.	(ए) स्थायी खाता संख्या (पैन) (बी) चार्ज जहां प्रस्तावित निदेशक के कर का मूल्यांकन किया जाता है (आयकर क्षेत्र) / आयकर सर्किल / वार्ड का नाम और पता (सी) पिछले 3 वर्षों में दाखिल किए गए रिटर्नों और भुगतान की गई करों का विवरण			
12.	स्थायी पता	दाखिल करने की तिथि	भुगतान की ग (आईएनआर)	ई कर की राशि
13.	लेखा, कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, बैंकिंग, सहकारिता, अर्थशास्त्र, वित्त, कानून, लघु उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी, भुगतान और निपटान प्रणाली, मानव संसाधन, जोखिम प्रबंधन, व्यवसाय प्रबंधन जैसे किसी एक या अधिक मामलों के संबंध में प्रासंगिक ज्ञान या अनुभव पर एक संक्षिप्त लेख के रूप में विवरण, या किसी अन्य मामले के बारे में विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव, जो रिजर्व बैंक की राय में बैंकिंग कंपनी के लिए उपयोगी हो।			

	T	I			
14.	वर्तमान पेशा (पदनाम, संस्था का नाम और अनुभव पर संक्षिप्त लेख)				
15.	विगत न्यूनतम दस वर्षों से जिस संगठन(ओं) में कार्यरत रहे हों, उसका पूर्ण पता, कार्यभार ग्रहण करने की तिथि, कार्यमुक्त होने की तिथि (कारणों सहित), पदनाम, आदि।				
16.	सनदी लेखाकार के मामले में, निम्नलिखित को इंगित करें:				
	(ए) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) की सदस्यता संख्याः				
	(ख) आईसीएआई में पंजीकरण की तिथि:				
	(ग) पंजीकृत फर्म(ओं) का नाम और पता:				
	(घ) वर्तमान में फर्म(ओं) या आपके द्वारा प्रस्तुत लेखापरीक्षा(ओं) का विवरण :				
17.	जहां आप एक प्राथमिक खाता धारक हैं, उस	बैंक का नाम	शाखा	खाते का प्रकार	खाता संख्या
	शाखा का नाम और खाता संख्या (बचत / चालू / ऋण खाते) के साथ बैंकर का	प्रा नान		प्रकार	संख्या
	नाम:				
18.	यदि किसी संस्था में आपके या पति / पत्नी और आपके नाबालिग बच्चे द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में हिस्सेदारी हो तो उसका विवरण दें। (डीमैट / शेयरहोल्डिंग प्रमाण-पत्र संलग्न करें)				
19.	बैंक के निदेशन हेतु कोई अन्य प्रासंगिक जानकारी:				
	II- प्रस्तावित निदेशक के संगत संबंध				
20.	ऐसे रिश्तेदारों की सूची जो किसी भी बैंक से जुड़े हों, कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 2 (77) और कंपनी नियम, 2014 (परिभाषा की विशेषता) का नियम 4 देखें, यदि कोई हो :				
21.	संस्थाओं की सूची जिसमें :				
	(ए) इच्छुक {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 का संदर्भ लें}:				
	(बी) लाभार्थ स्वामित्व {कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के रूप में एमसीए के लागू महत्वपूर्ण लाभार्थ स्वामित्व नियमों का संदर्भ लें}:				
	(सी) ट्रस्टी (किसी ट्रस्ट के संदर्भ में किसी अन्य संबंध का भी उल्लेख करें):				

		I	
22.	मौजूदा और प्रस्तावित संस्थाओं की सूची,	कंपनी /फर्म का नाम	
	जिसमें बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949 की	संस्थापन का देश	
	धारा 5 (एनई) के अंतर्गत सारभूत हित	शेयरों की संख्या	
	संरक्षित हो ।	प्रत्येक शेयर का	
		अंकित मूल्य	
		शेयर होल्डिंग का	
		कुल अंकित मूल्य	
		कुल चुकता पूंजी के प्रतिशत	
		के रूप में शेयरधारिता	
		लाभकारी हित (मूल्य के	
		साथ–साथ प्रतिशत)	
		क्या संस्था कंपनी अधिनियम,	
		2013 के तहत धारा 8 के दर्ज	
		की कंपनी है?	
23.	विदेशों में स्थापित संस्थाओं और भारत में कारोबार के क्षेत्र में अर्जित स्थान का विवरण दें।		
0.4	बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य कंपनी का		
24.	नाम जिसमें वर्तमान में या पूर्व में		
	बोर्ड / सलाहकार आदि का सदस्य है। (उस		
	अवधि का ब्योरा दें जिसके दौरान ऐसे		
	कार्यालय संचालित हो रहे हों/थे)।		
	I .	1	

एक कंपनी के संबंध में ' सारभूत हित' (i) का अर्थ है एक व्यक्ति या उसके पित / पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा संरक्षित लाभार्थ हित, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, शेयरों में, भुगतान की गई राशि, कंपनी की चुकता पूंजी जोिक पांच लाख रुपये या कंपनी की चुकता पूंजी की दस प्रतिशत से अधिक है, जो भी कम होय (ii) एक फर्म के संबंध में, किसी व्यक्ति या उसके पित / पत्नी या नाबालिग बच्चे द्वारा संरक्षित लाभार्थ हित, चाहे वह अकेले हो या एक साथ, जो उक्त फर्म के सभी भागीदारों द्वारा निर्धारित कुल पूंजी के दस प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

25.	यदि संस्था का कोई उपक्रम किराया खरीद, वित्तपोषण, निवेश, पट्टादारी और अन्य पैरा बैंकिंग गतिविधियों (संबंध की प्रकृति का उल्लेख किया जाए) के साथ जुड़ा हुआ है।	
26.	यदि स्टॉक ब्रोकर या शेयर ब्रोकिंग गतिविधियों में संलग्न किसी भी संस्थासे जुड़ा हुआ है, तो उसका विवरण दें।	
27.	वर्तमान में (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध संस्थाओं और / या व्यक्तिगत रूप से प्राप्त की गयी निधि एवं गैर—निधि आधारित सुविधाओं का विवरण, यदि कोई हो ।	
28.	यदि कोई ऐसे मामले हों, जहां एक व्यक्ति या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाओं ने, बैंक / एनबीएफसी / किसी अन्य ऋण देने वाली संस्था से प्राप्त ऋण का भुगतान न किया हो या उसे इरादतन चूककर्ता घोषित किया गया है ।	

III- व्यवसायिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड

निदेशन हेतु व्यावसायिक उपलब्धियाँ

IV- प्रस्तावित निदेशक के खिलाफ कार्यवाही, यदि कोई हो,

1V- XXI	वित निदशक के खिलाफ कायवाहा, याद	पगर्घा,
29.	(क) एक व्यवसायिक संघ/निकाय के सदस्य के रूप में यदि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई लंबित है या शुरू की गई है या जिसके परिणामस्वरूप पूर्व में दोषी ठहराया गया है या किसी भी समय किसी भी पेशे/व्यवसाय में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, तो उसका विवरण दें। (ख) यदि व्यक्तिगत पेशेवर आचरण या गतिविधियों	
	के बारे में किसी भी लिखित शिकायत या आरोप का विषय है, तो उसका विवरण दें।	
30.	आर्थिक कानूनों और नियमों के उल्लंघन के लिए लंबित या शुरू किए गए या जिसके परिणामस्वरूप स्वयं को या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाओं को दोषी ठहराया गया हो, यदि ऐसे कोई अभियोजन हो, तो उसका विवरण दें।	
31.	यदि कोई आपराधिक अभियोजन हो जो लंबित हो या जिसकी शुरुआत की गई हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो, तो उसका विवरण दें।	
32.	यदि कोई आपराधिक अभियोजन हो जो लंबित हो या जिसकी शुरुआत की गई हो या जिसके परिणामस्वरूप सजा हुई हो, तो उसका विवरण दें।	
33.	यदि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत उल्लिखित नियमों के अनुसार किसी भी प्रकार से अयोग्य हैं, तो उसका विवरण दें।	
34.	यदि दिवालिया हो गया है या भुगतान निलंबित कर दिया है या लेनदारों के साथ समझौता कर लिया है, तो उसका विवरण दें।	
35.	यदि कोई मानसिक रूप से असक्षम हो और यह न्यायालय द्वारा घोषित किया गया हो, तो उसका विवरण दें।	
36.	(ए) यदि एक आपराधिक न्यायालय द्वारा नैतिक क्रूरता या अन्यथा के अपराध में दोषी ठहराया जाता है, तो उसका विवरण दें।	
37.	(ख) यदि किसी न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया जाता है, तो उसका विवरण दें।यदि किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के अधीन किसी भी कार्यालय में एक पूर्णकालिक निदेशक के पद को छोड़कर, लाभार्थ पद पर पदस्थ हों, तो उसका विवरण द ।	
38.	यदि एक व्यक्ति या (21) से (26) के अंतर्गत सूचीबद्ध उपरोक्त संस्थाएं पिछले नियोक्ता या सरकारी विभागों या एजेंसी द्वारा किसी भी जांच / सतर्कता /मामलों के संबंध में जांच के अधीन हैं, तो उसका विवरण दें।	
39.	यदि सीमा शुल्क / उत्पाद शुल्क / आयकर / विदेशी मुद्रा / अन्य राजस्व अधिकारियों द्वारा नियमों / विनियमों / विधायी आवश्यकताओं के उल्लंघन का दोषी पाया गया हो, तो उसका विवरण दें।	

40.	यदि व्यावसायिक नियामक गतिविधियों के कारण सेबी, आईआरडीएआई, पीएफआरडीए आदि, व्यावसायिक संगठन, सरकारी एजेंसी, या अदालत जैसे किसी भी नियामक द्वारा निंदा की गई हो, निलंबित किया गया हो, प्रतिबंधित किया गया हो, रोक लगाया गया हो, वर्जित किया गया हो, आदेश जारी किया गया हो, या अन्य कोई हो, तो उसका विवरण दें।	
41.	हालांकि उम्मीदवार के लिए उन आदेशों और निष्कर्षों के बारे में कॉलम में उल्लेख करना आवश्यक नहीं होगा, जो बाद में परिवर्तन किए गए हैं / निरस्त कर दिए गए हैं, परिवर्तन / निरस्त करने के मामलों का उल्लेख तब आवश्यक है जबिक यह तकनीकी कारण जैसे परिसीमा या अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण हुए हों एवं योग्यता के आधार पर नहीं है। यदि आदेश अस्थाई रूप से रुके हुए हैं एवं अपील / न्यायालय प्रक्रिया लंबित है तो इसका उल्लेख आवश्यक है।	
V-	सामान्य जानकारी	
42.	चार्टर्ड अकाउंटेंट, एडवोकेट आदि जैसे पेशेवर यदि वर्तमान में किसी भी बैंक में किसी भी प्रकार का व्यावसायिक कार्य कर रहे हों / किया हो, तो बैंक के नाम और बैंक में कार्यकाल की अवधि सहित विवरण प्रदान करें।	
43.	यदि कोई, सांसद/एमएलए/एमएलसी या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों में राजनीतिक पद धारण करता है, तो उसका विवरण प्रदान करें।	
'योग्य ३ प्रासंगिव	कटीकरण और पारदर्शिता के हित में, और उचित' का आकलन करने के लिए क कोई अन्य जानकारी होनी चाहिए, इसके प्रदान करें।	
	वचन–पत्र	<u> </u>
पश्चात घ अवगत क	। ति की पुष्टि करता हूं कि उपरोक्त जानकारी मेरे संज्ञ ।टित सभी घटनाओं, जो ऊपर दी गई जानकारी पर जराने का वचन देता हूँ ।	आधारित हैं, से बैंक को शीघ्रतिशीघ्र पूर्ण रूप से
मैं आवश्य	किता पड़ने पर बैंक के साथ एक 'वचन विलेख' निष्प	
	स्थान :	प्रस्तावित निदेशक का हस्ताक्षर (उम्मीदवार)
	दिनांक :	
	उपरोक्त जानकारी की सत्यता एवं पूर्णता पर संतुष्ट होने के पश्चात नामांकन और पारिश्रमिक समिति (एनआरसी) की टिप्पणियाँ।	
	स्थान :	एनआरसी के अध्यक्ष का हस्ताक्षर
	दिनांक :	



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

घोषणा पत्र (उम्मीदवार द्वारा)

में,	शी / श्रीमती
	का / की पुत्र / पुत्री / पत्नी
	का / की निवासी यह पुष्टि करता / करती हूँ कि :
(बी)	मैं, मंगलवार, 3 नवंबर, 2020 यानी चुनाव में भाग लेने की निर्दिष्ट तिथि को फोलियो सं / डीपीआईडी सं के अंतर्गत रु.10 / प्रति शेयर के अंकित
	मूल्य के शेयर का शेयरधारक हूँ और बैंक के निदेशक के रूप में चुने जाने पर कार्यकाल के अंत तक शेयरों को संरक्षित रखने का वचन देता हूँ ।
(सी)	*मुझे (प) कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था, (पप) बैंकिंग, (पपप) सहकारिता, (पअ) अर्थशास्त्र, (अ) वित्त (अप) कानून, (अपप) लघु उद्योग, (अपपप) आईटी / भुगतान और निपटान प्रणाली / मानव संसाधन / जोखिम प्रबंधन / व्यवसाय प्रबंधन आदि या भारतीय रिजर्व बैंक की राय में बैंक के लिए उपयोगी किसी अन्य विषय का विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है तथा मैं अधिनियम की धारा 9 की उप—धारा 3ए के संदर्भ में जमाकर्ताओं या किसानों, श्रमिकों और कारीगरों के हित का प्रतिनिधित्व करता हूं और इसके साक्ष्य के रूप में, मैं संबंधित विवरण प्रस्तुत करता हूं, तथा
(*जो	लागू न हों उसे मिटा दें)
(डी)	मैं नामांकन संख्या स्वीकार करता हूं ; तथा
(ई)	मैं इंडियन बैंक के निदेशक के पद के लिए चुनाव लड़ने को इच्छुक हूं ; तथा
(एफ)) मैं, बैंकिंग विनियमन अधिनियम,1949, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और हस्तांतरण) अधिनियम,1970, राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना,1970, इंडियन बैंक (शेयर और बैठकें) विनियम,1999, यथा संशोधित, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी संबन्धित अधिसूचनाओं तथा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के गैर सरकारी निदेशकों के संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के प्रावधानों के तहत बैंक के निदेशक पद के लिए अयोग्य नहीं हूँ तथा
(जी)	में कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के तहत अयोग्य नहीं हूँ : तथा
(एच)	में न तो किसी लाभार्थ पद पद पर पदस्थ हूँ और न ही मैं भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम,1955 की धारा 3 की उप—धारा (1) के तहत गठित किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक का कर्मचारी हूँ या भारतीय स्टेट बैंक (सहायक बैंक) अधिनियम,1959 की धारा 3 में परिभाषित किसी भी सहायक बैंक का कर्मचारी हूँ ।
आगे	, मैं घोषणा करता / करती हूं किः
(आई) मैं किसी भी समय एक दिवालिया के रूप में घोषित नहीं किया गया या भुगतान निलंबित कर दिया गया या मेरे लेनदारों के साथ समझौता किया गया; तथा
जे)	मुझे अस्वस्थ चित्त नहीं पाया गया है या एक सक्षम अदालत द्वारा इस प्रकार घोषित किया गया है और कोई अपराध, के लिए किसी भी आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषी नहीं ठहराया गया है जिसमें नैतिक संकीर्णता शामिल है; तथा
के)	मुझे किसी भी आर्थिक अधिकारी या न्यायिक मजिस्ट्रेट या उच्च न्यायालय या किसी अन्य अदालत द्वारा अपराधी घोषित नहीं किया गया है; तथा
एल)	मैं पूर्व में इस बैंक के बोर्ड में निदेशक नहीं रहा हूँ, किसी भी श्रेणी के तहत दो कार्यकाल या छह साल के लिए, जो भी लंबा हो; तथा
एम)	में चुने जाने पर बैंक के साथ व्यावसायिक संबंध यदि कोई हो तो, को तत्काल समाप्त करूंगा, और निदेशक के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान और उसके बाद दो वर्षों के लिए बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रखूँगा; तथा
एन)	मैं किसी भी बैंक या रिज़र्व बैंक या वित्तीय संस्थान (FI) या बीमा कंपनी या एनओएफ़एचसी (NOFHC) के किसी अन्य बैंक के बोर्ड का सदस्य नहीं हूं।
ओ)	में किसी भी किराया खरीद, वित्तपोषण, धन उधार, निवेश, पट्टेदारी और अन्य पैरा-बैंकिंग गतिविधियों से

पी) मैंने किसी बैंक / वित्तीय संस्थान / भारतीय रिजर्व बैंक / बीमा कंपनी के बोर्ड में पूर्व में, किसी भी श्रेणी में छह साल के लिए, चाहे लगातार या अंतराल पर, निदेशक के रूप में कार्य नहीं किया है।

जुड़ा नहीं हूं;

- क्यू) मैं स्टॉक ब्रोकिंग कारोबार नहीं कर रहा हूं।
- आर) मैं संसद या राज्य विधानमंडल या नगर निगम या नगर पालिका या अन्य स्थानीय निकायों के सदस्य का पद नहीं संभाल रहा हूँ (अन्य स्थानीय निकायों का अर्थ है अधिसूचित क्षेत्र परिषद, नगर परिषद, पंचायत, ग्राम सभा, जिला परिषद, आदि।)
- एस) मैं सनदी लेखाकार फर्म के एक भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक या भारतीय स्टेट बैंक के वैधानिक केंद्रीय लेखा परीक्षक के रूप में संलग्न है।
- टी) मैं किसी सनदी लेखाकार फर्म के भागीदार के रूप में कार्य नहीं कर रहा हूं जो वर्तमान में इंडियन बैंक के सांविधिक शाखा लेखा परीक्षक या संवैधानिक लेखा परीक्षक के रूप में लगी हुई है जिसमें चुनाव के लिए नामांकन दाखिल किया जाता है।
- यू) मेरा इंडियन बैंक के साथ न तो कोई व्यावसायिक संबंध है (कानूनी सेवाओं, सलाहकार सेवाओं आदि सहित) न ही मैं ऐसी गतिविधियों में शामिल हूं, जिसके परिणामस्वरूप इंडियन बैंक के साथ व्यापारिक हितों का टकराव हो सकता है।
- वी) मैं किसी बैंक या किसी एनओएफ़एचसी (NOFHC) के साथ किसी अन्य बैंक के साथ कोई व्यावसायिक संबंध नहीं रख रहा हूं और यदि यदि चुने गए तो निदेशक के रूप में पदभार संभालने से पहले, बैंक के साथ संबंध विच्छेद करने के लिए सहमत हूँ।
- डबल्यू) मैं किसी नियामक या पर्यवेक्षी प्राधिकरण / एजेंसी, या कानून प्रवर्तन एजेंसी के प्रतिकूल नोटिस के अधीन नहीं हूं और मैं किसी भी उधार देने वाली संस्था का डिफाल्टर नहीं हूं।
- एक्स) निदेशक के रूप में पदभार संभालने से पहले मैं प्रसंविदा विलेख (भारतीय रिजर्व बैंक परिपत्र दिनांक 02.08.2019 के निर्धारित प्रारूप में) निष्पादित करने के लिए सहमत हूं;
- वाई) मैं बैंक को इस घोषणा के बाद होने वाली घटनाओं को, यदि कोई हो तो, यथाशीघ्र, पूरी तरह से अवगत कराने के लिए तैयार हूँ, जो कि सूचना के लिए प्रासंगिक हैं, बशर्ते कि वह बैंक के निदेशक के रूप में मेरे चुने जाने पर प्रसंविदा विलेख निष्पादित करने के लिए सहमत हूं; तथा
- ज़ेड) जब तक मैं बैंक के निदेशक के रूप में इस पद को धारण करता हूं, तब तक मैं सेबी(सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ) विनियम, 2015, यथासंशोधित, के प्रासंगिक प्रावधानों का पालन करने का वचन देता हूं; तथा
- एए) मैं अपने व्यक्तिगत विवरणों को संलग्न करता हूं जो मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य हैं और सभी प्रकार से पूर्ण है; तथा

कंपनी / बैंक का नाम	निदेशक पद के विवरण जैसे — कार्यकाल, अवधि इत्यादि

(यदि आवश्यक हो, अतिरिक्त शीट जोड़ें) (जो भी लागू नहीं हो, उसे हटाएं।)

स्थानः **हस्ताक्षरः** दिनांकः **नामः**

मेरे सामने उपरोक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए गए।

न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, आश्वासनों के रजिस्ट्रार या उप-रजिस्ट्रार, या अन्य राजपत्रित अधिकारी या भारतीय रिजर्व बैंक या इंडियन बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के एक अधिकारी कीमुहर के साथ हस्ताक्षर।

(जो भी लागू नहीं हो उसे हटाएं।)

* तारीख के साथ हस्ताक्षर और मुहर



कॉर्पोरेट कार्यालय, 254-260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै - 600 014

नामांकन प्रपत्र

(शेयरधारक द्वारा)			
सेवा में,	क्रमांक संख्या		
प्रबंध निदेशक एवं सीईओ, इंडियन बैंक, कॉर्पोरेट कार्यालय, 254— 260, अव्वै षण्मुगम सालै, रायपेट्टा, चेन्नै	T —600 014.		
प्रिय महोदय / महोदया,			
	निदेशकगण का चुनाव		
आपके नोटिस दिनांक2020 के संदर्भ में, मैं,			
वाली बैंक के शेयरधारकों की असाधारण आम बैठक में चुने जाने के लिए के निवासी, श्री / श्रीमती पुत्र / पुत्री / पत्नी को नामित करता / करती हूं।			
हस्ताक्षर			
नाम			
शेयरों			
की संख्या			
पंजीकृत फोलियो सं / डीपी आईडी एवं क्लाईंट आईडी			
स्थान			
दिनांक			
टिप्पणीः			
•	गया है, तो नामांकन प्रपत्र बोर्ड के निदेशक मंडल की बैठक में पारित क के अध्यक्ष के हस्ताक्षर सहित होना चाहिए, जिस बैठक में यह पारित		

- किया गया था।
- 2) उम्मीदवार को नामांकित करने वाले शेयरधारकों के हस्ताक्षर, बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर के साथ मेल होना चाहिए। (जैसा कि शेयरहोल्डर्स रजिस्टर / डिपॉजिटरी रिकॉर्ड्स में दर्ज है)।
- 3) यदि ऊपर दिया गया कोई भी कॉलम खाली है या विवरण गलत पाए गए हैं, तो नामांकन अस्वीकार कर दिया



Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN, that an Extraordinary General Meeting of the Shareholders of Indian Bank will be held on **Monday, the 30th November, 2020** at 11.00 a.m. through Video Conferencing (VC) / Other Audio-Visual Means (OAVM) to transact the following business (es):

Agenda Item No. 1 (Special Resolution):

Appropriation of accumulated losses of ₹18,975.53 Crore from Share Premium Account of the Bank.

To consider and if thought fit, to pass the following resolution as a **Special Resolution**:

"RESOLVED THAT pursuant to Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("the Act"), Section 17(2) of The Banking Regulation Act, 1949 (B R Act), including any statutory amendments or re-enactments thereof, Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("the Scheme"), as amended vide Government of India, Gazette Notification No. CG-DL-E-23032020-218862 (S.O. 1200 E) dated March 23, 2020 referred to as Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020 and subject to any other approval, if required, consent of the shareholders of the Bank be and is hereby accorded to utilize an amount of ₹18,975,52,95,417.96 (Rupees eighteen thousand nine hundred seventy five crore fifty two lakh ninety five thousand four hundred seventeen and paise ninety six only) out of an amount aggregating to ₹19,833,14,85,004.17 (Rupees nineteen thousand eight hundred thirty three crore fourteen lakh eighty five thousand four and paise seventeen only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as at April 01, 2020 by transfer to the accounts representing accumulated losses under Reserves & Surplus of the Indian Bank, (Amalgamated Bank) for adjustment of the debit balance (accumulated losses) aggregating to ₹18,975,52,95,417.96 (Rupees eighteen thousand nine hundred seventy five crore fifty two lakh ninety five thousand four hundred seventeen and paise ninety six only) as at April 01, 2020, reducing the debit balance in the Profit & Loss Account accordingly and take the same into account during current Financial Year 2020-21."

"RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above resolution, the Board be and is hereby authorized to do all such acts, deeds, matters and things as it may at its absolute discretion deem necessary or desirable for effectively implementing the resolution and to settle any questions, difficulties or doubts that may arise in this regard as it may in its absolute discretion deem fit."

Agenda Item No. 2

To elect one Director from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government in terms of Section 9 (3)(I) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "the Act") read with the Banking Regulation Act, 1949 (hereinafter referred to as "the B R Act") and Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "the Scheme") and Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended (hereinafter referred to as "the Regulations") made pursuant to Section 19 of the Act and Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and further amendment thereto, if any (hereinafter referred to as "RBI Directions") and

Notification No.F.No.16/83/2013-BO.I dated 3rd September, 2013, F.No.16/51/2012-BO.I dated April 28, 2015 and dated July 20, 2016 of the Government of India read with the criteria laid down by the Government of India for consideration as Non-Official Director of Public Sector Banks on March 25, 2015, July 08, 2016 and any further amendment thereto, (hereinafter referred to as the "GOI Guidelines") and to pass the following resolution with or without modification(s):-

"RESOLVED THAT one Director elected from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government, pursuant to Section 9(3)(I) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Banking Regulation Act, 1949, relevant Scheme, Regulations made there under, RBI Directions and Government Guidelines, be and is hereby appointed as Director of the Bank for a period of three years from Monday, the 21st December 2020.

By order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date : 02.11.2020

(Padmaja Chunduru)

Managing Director & CEO

NOTES:

1. EXPLANATORY STATEMENT (S):

The Explanatory Statement (s) setting out the material facts in respect of the business (es) of the meeting is annexed hereto and form part of the Notice.

2. VOTING RIGHTS:

Agenda Item No. 1 - Appropriation of Accumulated Losses from Share Premium account:

The Bank has fixed **Monday**, **the 23**rd **November**, **2020** as **the Cut-Off Date** for determining the voting rights of shareholders for the said agenda item.

In terms of sub-section (2E) of Section 3 of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the corresponding new Bank, other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the Bank.

Further, as per Regulation 10 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, if any share stands registered in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are held in the names of joint holders, then first named person is only eligible to nominate and contest.

Item No. 2- Election of Shareholder Director:

The Bank has fixed **Tuesday, the 03**rd **November 2020 as the Specified Date** for the purpose of ascertaining eligibility of the shareholders to participate (nominate, contest and vote) in the election of Directors from amongst the shareholders of the Bank other than the Central Government pursuant to Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and other applicable laws, rules, regulations, Reserve Bank of India Direction and Govt. of India Guidelines in this regard and to exercise their voting rights on the agenda item of the Extraordinary General Meeting pertaining to election of Shareholder Directors.

Subject to the restrictions under Section 3 (2E) of the Banking Companies (Acquisitions & Transfer of Undertakings) Act, 1970, shareholder other than Central Government who has been registered as a shareholder on the Specified Date will be entitled to vote in the Election of upto one Shareholder Director of the Bank (Elections) and shall have one vote for each share held by him/her as on that Date.

3. APPOINTMENT OF PROXY:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, Shareholder can attend and vote at the meeting directly and there is no requirement to appoint a Proxy to attend or vote on his / her behalf.

In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased and in the event the Meeting is conducted at an Auditorium (Venue) and the Shareholders are entitled to attend the meeting, Shareholders may appoint Proxies (other than the employees of the Bank) and submit the same to the Company Secretary, Indian Bank, Investors' Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 25th November, 2020.

4. APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE:

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorized representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorized representative, certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, has been deposited at the Corporate Office of the Bank with the Company Secretary, Indian Bank, Investors' Services Cell, Wing 2-C, 2nd Floor, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 or a scanned certified to be a true copy of the aforesaid Resolution is emailed to scrutinizer@snaco.net and a copy to investors@indianbank.co.in , not less than FOUR DAYS before the date of the Extraordinary General Meeting i.e. on or before the closing hours of the Bank on Wednesday, the 25th November, 2020

5. ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS:

As the Meeting is being conducted through VC/OAVM, no Attendance Slip is required to attend the EGM.

In the event lockdown is lifted in entirety or assembly restrictions are eased and in the event the Meeting is conducted at the Auditorium and the Shareholders are entitled to attend the meeting, the Attendance Slip Cum entry Pass will be made available at the Venue for the benefit of the Shareholders.

6. COMMUNICATION WITH REGISTRAR AND SHARE TRANSFER AGENT:

The Shareholders holding shares in physical form are requested to approach the Registrar and Share Transfer Agent (RTA) of the Bank, to intimate changes, if any, in their registered address, to lodge request for transmission, issue of duplicate share certificate, ECS Mandate etc. at the following address:-

Cameo Corporate Services Limited (Unit : Indian Bank) Subramanian Building No.1, Club House Road Chennai - 600 002

Tele:- 044-28460390/91/92/93/94 (5 Lines)

Email:-investor@cameoindia.com, cameo@cameoindia.com

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Indian Bank has set up an Investors' Services Cell at its Corporate Office, Chennai. Shareholders and investors may contact this Cell at the under mentioned addresses for any assistance:

The General Manager-CFO, Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai,Royapettah, Chennai- 600 014 Telephone No.-044-28134574 E-mail-cfo@indianbank.co.in

The Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Investors' Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014 Telephone No.044-28134698 Email-ibinvestorrelations@indianbank.co.in

7. GREEN INITIATIVE:

To support the 'Green Initiative', shareholders who have not yet registered/updated their email addresses are requested to register/update the same with their DPs in case the shares are held by them in electronic form and with Cameo Corporate Services Limited in case the shares are held by them in physical form.

8. PROCESS FOR ATTENDING THE MEETING:

- 1. Shareholder will be provided with a facility to attend the EGM through VC/OAVM through the CDSL e-Voting system. Shareholders may access the same at https://www.evotingindia.com under shareholders/members login by using the remote e-voting credentials. The link for VC/OAVM will be available in shareholder/members login where the EVSN of Bank will be displayed.
- 2. The Shareholders can join the EGM through the VC/OAVM mode 15 minutes before and after the scheduled time of the commencement of the Meeting by following the procedure mentioned in the Notice. The facility of participation at the EGM through VC/OAVM will be made available for 1,000 shareholders on first come first served basis
- 3. Shareholders are encouraged to join the Meeting through Laptops / iPads for better experience.
- 4. Further Shareholders will be required to allow Camera and use Internet with a good speed to avoid any disturbance during the meeting.
- 5. Please note that Participants Connecting from Mobile Devices or Tablets or through Laptop connecting via Mobile Hotspot may experience Audio/Video loss due to Fluctuation in their respective network. It is therefore recommended to use Stable Wi-Fi or LAN Connection to mitigate any kind of aforesaid glitches.
- 6. Shareholders who would like to express their views/ask questions during the meeting may register themselves as a speaker by sending their request in advance on or before 23.11.2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in The shareholders who do not wish to speak during the EGM but have queries may send their queries in advance on or before 23.11.2020 mentioning their name, demat account number/folio number, email id, mobile number at investors@indianbank.co.in. These queries will be replied to by the Bank suitably at the EGM or by email.
- 7. Those shareholders who have registered themselves as a speaker will only be allowed to express their views/ask questions during the meeting.
- 8. The shareholders attending the EGM through VC/OAVM will be counted for the purpose of guorum.

9. EXERCISE OF VOTING RIGHTS THROUGH E-VOTING:

In terms of Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, shareholders entitled to attend and vote at the meeting, can exercise their voting rights through Remote e-voting.

Remote e-voting is optional.

The voting rights of the shareholders/beneficial owners shall be reckoned as under:

- (a) For the Agenda Item No. 1 pertaining to appropriation of accumulated losses of ₹18,975.53 Crore from Share Premium Account of the Bank, on the equity shares held by him/her as on 23.11.2020 (Cut-Off Date fixed for the purpose).
- (b) For the Agenda Item No. 2 pertaining to election of Shareholder Director, on the equity shares held by him/her as on 03.11.2020 (Specified Date for the purpose).

The Bank has appointed Central Depository Services (India) Limited (CDSL) as agency for providing the e-voting platform.

10.SCRUTINIZER FOR E-VOTING:

The Bank has appointed M/s S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting and voting at EGM process in a fair and transparent manner.

11. PROCESS AND MANNER FOR E-VOTING:

The instructions for members for voting electronically are as under:-

The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) – Agenda item No. 1: Appropriation of accumulated losses from Share Premium Account	201103010
The Electronic Voting Sequence Number (EVSN) – Agenda item No. 2: Election of one Director from amongst the shareholders of the Bank,other than Central Government	201103009

- (i) The voting rights of Shareholders shall be in proportion to their shares in the paid up equity share capital of the Bank as on:
- (a) 03.11.2020 (Specified Date for the purpose) for the Agenda Item pertaining to election of Shareholder Director.
- (b) 23.11.2020 (Cut-Off Date fixed for the purpose) for the Agenda Item pertaining to appropriation of accumulated losses of ₹18,975.53 Crore from Share Premium Account of the Bank.
- (ii) The Remote e-voting period will commence at 10.00 a.m. on 26th November, 2020 and will end at 5.00 p.m. on 29th November, 2020. The Remote e-voting module shall also be disabled by CDSL at 5.00 p.m. on the same day.
- (iii) The shareholders should log on to the e-voting website www.evotingindia.com.
- (iv) Click on "Shareholders" module.
- (v) Now enter your User ID:
- (a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID,
- (b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID,
- (c) Shareholders holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

OR

Alternatively, if you are registered for CDSL's EASI/EASIEST e-services, you can log-in at https://www.cdslindia.com from Login - Myeasi using your login credentials. Once you successfully log-in to CDSL's EASI/ EASIEST e-services, click on e-Voting option and proceed directly to cast your vote electronically.

- (vi) Next enter the Image Verification as displayed and Click on Login.
- (vii) If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier e-voting of any company, then your existing password is to be used.
- (viii) If you are a first time user follow the steps given below:

	For Shareholders holding shares in Demat Form and Physical Form	
PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric *PAN issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders).	
	*Shareholders who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the sequence number sent by Bank/RTA or contact Bank/RTA.	
Dividend Bank Details	Enter the Dividend Bank Details or Date of Birth (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login.	
OR Date of Birth (DOB)	If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id / folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (v).	

- (ix) After entering these details appropriately, click on "SUBMIT" tab.
- (x) Shareholders holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, shareholders holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders for voting for resolutions of any other company on which they are eligible to vote, provided that company opts for e-voting through CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
- (xi) For shareholders holding shares in physical form, the details can be used only for e-voting on the resolutions contained in this Notice.
- (xii) Click on the EVSN for the relevant < Company Name > on which you choose to vote.
- (xiii) On the voting page, you will see "RESOLUTION DESCRIPTION" and against the same the option "YES/NO" for voting. Select the option YES or NO as desired. The option YES implies that you assent to the Resolution and option NO implies that you dissent to the Resolution.

- (xiv) Click on the "RESOLUTIONS FILE LINK" if you wish to view the entire Resolution details.
- (xv) After selecting the resolution you have decided to vote on, click on "SUBMIT". A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on "OK", else to change your vote, click on "CANCEL" and accordingly modify your vote.
- (xvi) Once you "CONFIRM" your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.
- (xvii) You can also take a print of the votes cast by clicking on "Click here to print" option on the Voting page.
- (xviii) If a demat account holder has forgotten the login password then Enter the User ID and the image verification code and click on Forgot Password & enter the details as prompted by the system.
- (xix) Shareholders can also cast their vote using CDSL's mobile app "m-Voting". The m-Voting app can be downloaded from respective Store. Please follow the instructions as prompted by the mobile app while Remote Voting on your mobile.
- (xx) Note for Non-Individual Shareholders and Custodians:
- Non-Individual shareholders (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodians are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves in the "Corporates" module.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a Compliance User should be created using the admin login and password. The Compliance User would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts linked in the login should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution and Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.
- Alternatively Non Individual shareholders are required to send the relevant Board Resolution/ Authority letter etc. together with attested specimen signature of the duly authorized signatory who are authorized to vote, to the Scrutinizer and to the Bank at the email address viz; murali@cameoindia.com and investors@indianbank.co.in, if they have voted from individual tab & not uploaded same in the CDSL e-voting system for the scrutinizer to verify the same.

If case of any queries or issues regarding attending EGM and/or e-Voting from the e-Voting System, please refer the Frequently Asked Questions ("FAQs") and e-voting manual available at www.evotingindia.com, under help section or write an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542).

All grievances connected with the facility for voting by electronic means may be addressed to Mr. Rakesh Dalvi, Manager, (CDSL,) Central Depository Services (India) Limited, A Wing, 25th Floor, Marathon Futurex, Mafatlal Mill Compounds, N M Joshi Marg, Lower Parel (East), Mumbai-400013 or send an email to helpdesk.evoting@cdslindia.com or call on 022-23058542/43.

- (xxi) PROCESS FOR THOSE SHAREHOLDERS WHOSE EMAIL ID ARE NOT REGISTERED WITH THE DEPOSITORIES FOR OBTAINING LOGIN CREDENTIALS FOR E-VOTING FOR THE RESOLUTIONS PROPOSED IN THIS NOTICE:
- (a) For Physical shareholders- please provide necessary details like Folio No., Name of shareholder, scanned copy of the share certificate (front and back), PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) by email to Bank/RTA email id: murali@cameoindia.com.
- (b) For Demat shareholders -, please provide Demat account detials (CDSL-16 digit beneficiary ID or NSDL-16 digit DPID + CLID), Name, client master or copy of Consolidated Account statement, PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar Card) to Bank/RTA email id: murali@cameoindia.com.

12. VOTING AT THE EGM:

After discussion on the agenda items, the Bank will conduct voting in respect of the agenda items. Voting will be conducted and supervised by Scrutinizer(s) appointed for the purpose. The share holder(s)/Proxy(ies)/Authorized Representative(s) attending the meeting through VC/OAVM or in case physical meeting is held the shareholders present at the venue of the general meeting can exercise their votes through voting process. However, the shareholders who have already cast their votes through remote e-voting will not be entitled to participate in the voting process during the meeting/at the venue of the meeting.

13. INSTRUCTIONS FOR SHAREHOLDERS FOR E-VOTING DURING THE EGM ARE AS UNDER:-

- 1. The procedure for e-Voting on the day of the EGM is same as the instructions mentioned above for Remote e-voting.
- 2. Only those shareholders, who are present in the EGM through VC/OAVM facility and have not casted their vote on the Resolution through remote e-Voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-Voting system available during the EGM.
- 3. If any Votes are cast by the shareholders through the e-voting available during the EGM and if the same shareholders have not participated in the meeting through VC/OAVM facility, then the votes cast by such shareholders shall be considered invalid as the facility of e-voting during the meeting is available only to the shareholders attending the meeting.
- 4. Shareholders who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the EGM. However, they will not be eligible to vote at the EGM.

14. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND E-VOTING AT EGM:

The Results of the voting during the meeting/at the meeting aggregated with the results of remote e-voting will be announced by the Bank on its website and also informed to the stock exchanges.

By order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date: 02.11.2020

(Padmaja Chunduru) Managing Director & CEO

EXPLANATORY STATEMENT (S)

AGENDAITEM NO. 1:

Appropriation of accumulated losses of ₹18,975.53 Crore from Share Premium Account of the Bank.

Reserves of Indian Bank (IB), erstwhile Allahabad Bank (e-AB) as on 31.03.2020 and of combined entity as on 01.04.2020 are as below:

(Amount ₹ in crore)

Reserve Heads	IB 31.03.2020	e-AB 31.03.2020	Combined 01.04.2020
Statutory Reserve	4,694.20	3,204.39	7,898.59
Revaluation Reserve	2,987.84	2,909.99	5,897.83
Capital Reserves - Others	388.55	476.75	865.30
Special Reserve U/S 36(1)(viii)	725.52	1,450.00	2,175.52
Special Reserve U/S 36(1)(viii a)	58.20	1.91	60.11
Revenue Reserve	7,448.29	3,221.79	10,670.08
General Reserve of All Bank Finance Ltd., (ABFL) the wholly owned subsidiary of e-AB merged into e-AB in March 2018.	0.00	0.08	0.08
Profit/ (Loss)	99.16	-19131.97	-19,032.81
Profit/(Loss) of ABFL	0.00	57.28	57.28
Investment reserve	47.79	138.59	186.38
Share Premium	4,026.65	15,806.50	19,833.15
Investment Fluctuation Reserve	566.99	0.00	566.99
Foreign Currency Translation Reserve	437.26	0.00	437.26
Total	21,480.45	81,35.31	29,615.76
Amalgamation Reserve	0.00	0.00	4,006.92
Total			33,622.68

As per the opening Balance Sheet of the Indian Bank (amalgamated entity) as on April 01, 2020, an amount of ₹19,833.15 crore is standing to the credit of Share Premium Account, as a result of earlier share issues made at premium. Further, as on April 01, 2020, an aggregate amount of ₹18,975.53 is outstanding as net accumulated losses under Reserves & Surplus of the amalgamated entity.

The Bank proposes to utilize the amount standing in the Share Premium Account for the purpose of setting off the accumulated losses.

Accordingly, during the current Financial Year 2020-21, the Bank proposes to utilize an amount of ₹18,975,52,95,417.96 (Rupees eighteen thousand nine hundred seventy five crore fifty two lakh ninety five thousand four hundred seventeen and paise ninety six only) out of an amount of ₹19,833,14,85,004.17 (Rupees nineteen thousand eight hundred thirty three crore fourteen lakh eighty five thousand four and paise seventeen only) being the balance standing to the credit of 'Share Premium Account' as on the Opening Balance Date of the amalgamated entity i.e. as on April 01, 2020, by transfer of the credit balance in the Share Premium account to the debit balance (accumulated losses) of ₹18,975,52,95,417.96 (Rupees eighteen thousand nine hundred seventy five crore fifty two lakh ninety five thousand four hundred seventeen and paise ninety six only) in the Profit & Loss A/c and the Share Premium account will accordingly get reduced.

The effect of the aforesaid proposed Share Premium Reduction, if approved and finalized, would be that the accumulated losses, which as on April 01, 2020 stood ₹18,975,52,95,417.96 will be set off.

The Bank is of the view that this is the most practical and economically efficient option available to the Bank in the present scenario so as to present a true and fair view of the financial position of the Bank.

The Bank will be able to represent its true financial position which would benefit shareholders as their holding will yield better value and also enable the Bank to explore opportunities to the benefit of the

shareholders of the Bank including in the form of dividend payment as per the applicable provisions within a reasonable timeframe. The proposal will also place the Bank in a better position to achieve its Turnaround Plan in a time-bound manner.

The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 provides for reducing its paid-up capital by cancelling any paid-up capital which is lost, or is unrepresented by available assets. Further, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 as amended by (Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Amendment Scheme, 2020) allows a nationalized bank to appropriate any sum from its share premium account by following the same procedure for reduction of paid-up capital referred to in The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970.

As the proposed utilization of Share Premium account of the Bank for the purpose of setting off accumulated losses would be deemed to be a capital reduction, approval of the shareholders of the Bank by way of a Special Resolution is being sought pursuant to provisions of Section 3(2BBA) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

Section 17(2) of The Banking Regulations Act, 1949 provides that where the Bank appropriates any sum or sums from the Share Premium account, it shall within twenty-one days from the date of such appropriation, report the fact to the Reserve Bank of India, explaining the circumstances relating to such appropriation. The Bank will comply with this requirement within the prescribed time period.

The reduction of Share Premium account which involves set off of debit balance in P&L account by reducing the amount standing to the credit of the Share Premium account does not entail discharge of any consideration by the Bank to its shareholders. Accordingly, the Bank's equity capital structure and shareholding pattern post reduction of Share Premium account will remain unchanged. The Book Value of the shares will also remain unchanged.

Shareholding Pattern:

SI. No.	Category	Prior to the Reduction of Share Premium Account		After the Reduction of Share Premium Account	
		No. of Shareholding Shares held Percentage (%)		No. of shares held	Shareholding Percentage (%)
А	Promoter's Holding: Government of India	994549600	88.06	994549600	88.06
В	Non Promoter Holding: Public	134816970	11.94	134816970	11.94
	Total	1129366570	100.00	1129366570	100.00

The rights of the shareholders and creditors are not prejudicially affected.

The Board of Directors has approved the above proposal of utilization of Share Premium account in the best interests of the Bank and its shareholders and therefore recommends the same for approval by the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS AND OTHER KEY MANAGERIAL PERSONS

None of the Directors and Key Managerial Persons of the Bank including their relatives is interested or concerned in the aforementioned Resolution.

AGENDAITEM NO. 2:

Election of one Shareholder Director:

Section 9 (3) (i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (The Act) provides for election of Directors from amongst Shareholders other than the Central Government and the section inter alia provides that one Director to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves, if the capital issued to public by the Bank is not more than 16% of total paid-up capital.

Dr. Bharath Krishna Sankar was elected as shareholder Director and assumed office of Director on December 21, 2017 for a period of three years. Accordingly his three years term will expire on December 20, 2020.

As the public shareholding in the Bank is below 16% of the total paid-up capital of the Bank, the Bank is entitled to elect one Shareholder Director.

With a view to fill the vacancy that will arise due to expiry of the tenure of the existing Shareholder Director, an Extraordinary General Meeting of the Bank has been called for election of one Director representing shareholders (other than the Central Government) of the Bank.

The shareholders (other than the Central Government) are therefore entitled to send their nominations as per the procedure detailed in relevant Act/ Regulation Act/Scheme/Regulations/ RBI Directions/Directions from the Central Government, the relevant extracts/portions of which have been reproduced elsewhere.

LEGAL PROVISIONS:

The following table indicates the provisions contained in various Acts/Regulation/ Scheme/Notifications applicable in this regard:

ACT/SCHEME / REGULATIONS/ NOTIFICATIONS	PROVISIONS		SHORTPARTICULARS
The Banking Regulation	Section 5 (ne)	-	Substantial Interest
Act, 1949	Section 16 (1)	•	Prohibition of common Directors
	Section 20	•	Restrictions for granting loan or advance to or on behalf of any of its directors
The Banking	Section 3 (2E)	-	Restriction on voting rights
Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970	Section 9(3)(I)	•	No. of directors to be elected by the shareholders
Ondertakings/Act, 1970	Section 9 (3A) (A) to (C)	•	Special knowledge in certain fields
	Section 9(3AA) &	•	No person shall be eligible to be elected
	Section 9(3AB)		as director unless he is a person having fit and proper status based upon track record, integrity and such other criteria as RBI may prescribe.
	Section 9(3B)	•	Right of RBI to remove a director so elected who does not fulfill the requirements of Section 9(3A) and 9(3AA) of the said Act.
	Section 13(2)	•	Obligation as to fidelity and secrecy
The Nationalized Banks	Clause 9(4)		Term of office of elected directors
(Management and Miscellaneous Provisions) Scheme,	Clause 10	•	Disqualifications from being elected as a Director of the Bank
1970	Clause 11	•	Vacation of office of Director
	Clause 11A	-	Removal from office of an elected Director
	Clause 11B	-	Filling of casual vacancy in the office of an elected Director
	Clause 12(8)	•	Disclosure of interest by directors in certain arrangements in which they are interested.

Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended Reserve Bank of India ('Fit	Regulation 10 Regulation 53 Regulation 55 Regulation 56 Regulation 57 Regulation 58 Regulation 59 Regulation 60 Regulation 61 Regulation 62 Pursuant to Section	 Exercise of rights of joint holders Voting at General Meetings Directors to be elected at General Meetings List of Shareholders Nomination of candidates for election Scrutiny of nominations Election disputes Determination of voting rights Voting by duly authorized representative Proxies Reserve Bank of India ('Fit and Proper'
and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 is sued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/ 29.67.001/ 2019-20 dated August 02, 2019	9(3AA) and Section 9(3AB) of The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act,1970	Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019.
Letter dated 3 rd September, 2013 vide Ref F.No.16/83/2013- (GOI), Ministry of Finance, Department of Financial Services and Revised Guidelines issued by the Government of India approved by Appointment Committee of the Cabinet for appointment of part time non official director dated 25 th March 2015 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I.dated 28 th April 2015 and Revised Guidelines dated 8 th July 2016 forwarded vide GOI letter F.No.16/51/2012-BO.I. dated 20 th July 2016 and subsequent amendments thereto, if any.		GOI guidelines for appointment of part-time non-official Directors in Public Sector Banks
RBI Master Circular RBI/2015-16/95 DBR No.DIR.BC.10/13.03. 00/2015-16 datedJuly1 st ,2015		Granting loans and advances to relatives of Directors
SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015		Provisions relating to Independent Director

For the convenience of the shareholders, the relevant extracts from the Act, Regulation Act, the Scheme, Regulation, Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with RBI circular No. DBR. Appt. BC. No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 and GOI Guidelines will be hosted on the Bank's website www.indianbank.in. Such extracts will also be e-mailed to the intending candidates on receipt of a request addressed to the Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Investor Services Cell, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014 on or before the last date fixed for submission of nomination forms viz. Friday, the 13th November 2020.

PARTICIPATION IN ELECTION:

As already indicated earlier, those shareholders whose names appear on the Register of Shareholders/Beneficial Owners as on the Specified Date i.e., on Tuesday, the 03rd November, 2020, shall be entitled to participate i.e. nominate, contest and vote in election of directors from amongst Shareholders other than the Central Government.

QUALIFICATIONS REQUIRED FOR BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

In terms of Section 9(3A) of the Act, a candidate, being a shareholder of the Bank and who desires to be elected as Director of the Bank under Section 9(3)(i) of the Act shall

- A. have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the following matters namely:-
- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-Operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- B. Represents the interest of depositors; or
- C. Represents the interest of farmers, workers and artisans.

In terms of Section 9(3AA) of the Act, no person shall be eligible to be elected as Director under Section 9 (3) (i) of the Act, unless he is a person having "Fit and Proper" status based on track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980 has issued notification DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated 02nd August 2019 laying down specific "Fit and Proper" Criteria to be fulfilled by the persons being elected as directors on the Board of the Banks under the provisions of Section 9 (3)(i) of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970/1980.

Further, the elected Directors will have to execute deed of covenants, be subjected to Code of Conduct of the Bank and are required to furnish annual declarations as prescribed by the Reserve Bank of India/ other regulatory authorities in this regard.

DISQUALIFICATIONS FROM BEING ELECTED AS A DIRECTOR OF THE BANK:

- (A) In terms of Clause 10 of the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, a person shall be disqualified for being appointed, as and for being a Director:
- i) if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- ii) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- iii) if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- iv) if he holds any office of profit under any nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India, Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of whole time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from among the employees of the Bank and
- (B) If he is not found to be 'Fit and Proper' person in terms of Reserve Bank of India ('Fit and Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 issued vide RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019 read with the criteria laid down by the Central Government for consideration as a Non-official Director in Public Sector Banks, by the Nomination and Remuneration Committee of the Board of the Bank.

LIST OF SHAREHOLDERS:

As provided in Regulation 56 of the Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, a copy of the List of Shareholders (in electronic form i.e. CD/Pen Drive or such other media) will be available at Corporate Office of the Bank at Investor Services Cell 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014, from Friday 06th November 2020 onwards for purchase by Shareholders on payment of ₹50,000 (Rupees fifty thousand only) by Demand Draft/Inter Office Instrument/Pay Order of Scheduled Bank in favour of "Indian Bank" payable at Chennai. The candidates desirous of purchasing the said list shall have to give a request letter addressed to "The Asst. General Manager & Company Secretary, Indian Bank, Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014 with an undertaking that the list will be used in canvassing for the election and shall not be used for any other purpose whatsoever.

INSPECTION OF THE REGISTER OF SHAREHOLDERS:

The Register of Shareholders will be open for inspection by the shareholders at the Corporate Office, Investor Services Cell, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014 on all working days (other than Sundays, 2nd & 4th Saturdays and Bank Holidays) i.e. Monday to Saturday between 3.00 p.m. to 5.00 p.m.

If any shareholder requires a copy or computer print of select/part information, the same shall be supplied to him on prepayment at the rate of $\frac{75}{-(\text{Rupees five only})}$ for every 1,000 words or fractional part thereof required to be copied.

NOMINATION OF CANDIDATES FOR ELECTION:

I. VALIDITY OF NOMINATIONS:

In terms of Regulation 57 of Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI Directions and GOI Guidelines and any further amendment thereto or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a director, nomination of a candidate for election as a Director shall be valid provided:

- a) He/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares of the Bank as on Tuesday, the 03rd November 2020 being the Specified Date fixed for the purpose of determining the eligibility of shareholders for participating in the election and continues to hold a minimum of 100 shares till the date of the meeting and thereafter till the end of his/her tenure, if he/she is elected.
- b) As on Friday, the 13th November, 2020, being the last date for receipt of nomination, he/she is not disqualified to be Director under the Act/ Regulation Act/Scheme/ Regulation / RBI Directions/GOI Guidelines.
- c) The nomination is in writing signed by at least one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by shareholder who is a company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched / deposited to the Corporate Office of the Bank addressed to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014 and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company.
- d) The nominations is accompanied by or contain a declaration signed by the candidate before a Judge/ Magistrate/Registrar or Sub-Registrar of Assurances /other Gazetted Officer/an officer of the Reserve Bank of India / any Nationalized Bank, that he/she accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he / she is not disqualified either under the Act/Regulation Act/Scheme/ Regulation /RBI Directions/applicable GOI guidelines from being a Director along with his/her personal details (bio-data) duly signed and affirming to the effect that such details are true to the best of his/her knowledge and belief and also his/her undertaking to keep the Bank fully informed as soon as possible of such events which are relevant to the information, subsequent to the declaration.
- e) The nomination forms and declaration form are as prescribed by the Regulation and as per the proforma annexed to this Notice (The proforma is also available on the Bank's website www.indianbank.in along with full Notice).
- f) As on Friday, the 13th November,2020 being the last date for receipt of nominations, he / she is not disqualified under the Banking Regulation Act, 1949 or the Act, the Scheme, Regulations, RBI Directions, GOI Guidelines or such other directives as may be issued from time to time for being elected as a Director.

II. SUBMISSION OF NOMINATION FORMS:

Shareholders desirous of contesting the election of the Directors of the Bank from amongst the shareholders, other than the Central Government, should submit:

- a. Duly filled in Declaration Form;
- b. Nominations from minimum of one hundred shareholders entitled to participate in the election;
- c. Personal Information, Declaration and Undertaking in the formats annexed to the Notice together with the connected documents, testimonials, viz. self attested copies of Bio-data, Certificate of Educational Qualifications, Experience, etc. in formats annexed to this Notice, in a sealed envelope to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014, on any working day not less than fourteen days before the date fixed for the Extraordinary General Meeting i.e., on or before closing hours of the Bank at 5.00 p.m., on Friday, the 13th November 2020.

The said nomination forms and other documents should be complete in all respects failing which, the nominations are liable to be rejected.

III. SCRUTINY OF NOMINATIONS AND ELECTION OF DIRECTORS:

- a) The scrutiny of Nominations shall commence on Monday, the 16th November 2020, i.e. the first working day following the last date fixed for the receipt of the nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reasons there for.
- b) Valid Nominations shall also be subjected to scrutiny by the Nomination & Remuneration Committee (NRC) of the Board in terms of the RBI Directions and GOI Guidelines. As the restrictions imposed by RBI Direction/Notification and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates.
- c) The Bank may at the time of scrutiny of Nominations or as advised by the NRC of the Board seek further information, documents from the candidates in support of his / her candidature.
- d) If there are only one valid nomination for the one vacancy to be filled by the election, the candidates so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his / her name and address shall be published as so elected. In such an event, agenda item relating to Election of Shareholder Directors will not be taken up at the Extraordinary General Meeting. The newly elected directors will assume office on the date of vacancy i.e. December 21, 2020.
- e) If there are more than one valid nominations, the names of the candidates shall be published in the newspapers and Election will be held and the candidate in receipt of the majority of the votes in his/her favour i.e. aggregate of remote e-voting and voting at the meeting will be deemed to have been elected and his/her name will be announced and also published in newspapers.

IV. WITHDRAWAL OF CANDIDATURE:

If any candidate desires to withdraw his/her nomination, he/she would be entitled to do so at any time prior to closing hours of the Bank i.e., on or before 5.00 p.m. Tuesday, the 24th November, 2020 by sending a letter addressed to the General Manager-CFO, Corporate Office, 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai-600 014 by email at cfo@indianbank.co.in, followed by dispatch of the same by Courier/Speed Post/ Registered Post.

V. VOTING PROCESS AT / DURING THE EGM

The voting on the agenda items at/during the EGM shall be done through E Voting and will commence immediately after an announcement is made by the Chairman of the meeting. The number of votes will be equivalent to the number of shares held by them on 03rd November 2020, the Specified Date.

The tabulation of votes would be taken up thereafter and result will be announced by the Chairman of the Meeting or any other Official of the Bank authorized in this behalf..

VI. DISPUTES:

If there is any dispute, the same will be settled as per Regulation 59 of the Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended.

VII. EXTRACTS:

Extracts of the relevant portions of the applicable Act/Regulation Act/Scheme/Regulations/RBI Directions/GOI Guidelines are reproduced hereinafter for the benefit of the shareholders.

INTEREST OF DIRECTORS:

Directors of the Bank to the extent of their shareholding and such Director who file his nomination may be deemed to be concerned or interested in the aforesaid item of business.

ELECTION OF DIRECTORS - EXTRACTS OF RELEVANT ACTS, SCHEME AND REGULATIONS, ETC.

The provisions regarding Election of Shareholder Directors and number of such Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government are contained in Section 9(3)(I) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970.

The relevant Sections of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and the relevant regulations of Indian Bank (Shares and Meetings) Regulations, 1999, as amended, RBI's Fit and Proper Criteria issued vide RBI Notification No. 46 and 47 /29.39.001/2007-08 dated 01.11.2007 read with Notification No. DBOD. BC.No.95/ 29.39.001/2010-11 dated 23.05.2011and Guidelines for selection of part-time Non-official Director (GOI Guidelines) dated 01.06.2011 revised on 25.03.2015 and 08.07.2016 and made applicable to the Shareholder Directors vide GOI Office Memorandum dated 03.09.2013 are reproduced below for the information of the shareholders.

THE BANKING REGULATION ACT, 1949

Substantial Interest - Section 5(ne):

- (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together in the shares thereof, the amount paid-up on which exceeds five lakh of rupees or ten per cent of the paid-up capital of the company, whichever is less;
- (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

Prohibition of Common Directors - Section 16(1):

No Banking Company incorporated in India shall have as a Director on its Board of Directors, any person who is a Director of any other Banking Company.

Restrictions on Loans and Advances - Section 20:

- 1) Notwithstanding anything to the contrary contained in Section 77 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), no Banking Company shall-
- a) grant any loans or advances on the security of its own shares, or
- b) enter into any commitment for granting any loan or advance to or on behalf of-
- (i) any of its Directors
- (ii) any firm in which any of its Directors is interested as partner, manager, employee or guarantor, or
- (iii) any company not being a subsidiary of the Banking Company or a Company registered under Section 25 of the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or a Government Company of which or the subsidiary or the holding company of which any of the Directors of the Banking Company is a Director, Managing Agent, Manager, Employee or guarantor or in which he holds substantial interest, or
- (iv) any individual in respect of whom any of its Directors is a partner or guarantor.
- 2) Where any loan or advance granted by a Banking Company is such that a commitment for granting it could not have been made if Clause (b) of sub-section (1) had been in force on the date on which the loan or advance was made or is granted by a Banking Company after the commencement of Section 5 of the Banking Laws (Amendment) Act, 1968 (58 of 1968), but in pursuance of a commitment entered into before such commencement, steps shall be taken to recover the amounts due to the Banking Company on account of the loan or advance together with interest, if any, due thereon within the period stipulated at the time of the grant of loan or advance or where no such period has been stipulated, before the expiry of one year from the commencement of the said Section 5; Provided that the Reserve Bank may, in any case on

application in writing made to it by the Banking Company in this behalf, extend the period for the recovery of the loan or advance until such date, not being a date beyond the period of three years from the commencement of the said Section 5 and subject to such terms and conditions, as the Reserve Bank may deem fit:

Provided further that this sub-section shall not apply if and when the Director concerned vacates the office of the Director of the Banking Company, whether by death, retirement, resignation or otherwise.

- 3) No loan or advance, referred to in sub-section (2), or any part thereof shall be remitted without the previous approval of the Reserve Bank, and any remission without such approval shall be void and of no effect.
- 4) Where any loan or advance referred to in sub-section (2), payable by any person, has not been repaid to the Banking Company within the period specified in that sub-section, then, such period shall, if he is a Director of such Banking Company on the date of the expiry of the said period, be deemed to have vacated his office as such on the said date.

Explanation in this Section:

- "Loan or advance" shall not include any transaction which the Reserve Bank of India may, having regard to the nature of the transaction, the period within which, and the manner and circumstances in which, any amount due on account of the transaction is likely to be realized, the interest of the depositors and other relevant considerations, specify by general or special order as not being a loan or advance for the purpose of this Section;
- "Directors" includes a member of any Board or Committee in India constituted by Banking Company for the purpose of managing or for the purpose of advising it in regard to the management of all or any of its affairs.
- 5) If any question arises whether any transaction is a loan or advance for the purpose of this Section, it shall be referred to the Reserve Bank, whose decision thereon shall be final.

Further, any reference made under aforesaid provisions pertaining to the Companies Act, 1956 shall be suitably construed as references made under relevant provisions under the Companies Act, 2013.

THE BANKING COMPANIES (ACQUISITION AND TRANSFER OF UNDERTAKINGS) ACT, 1970

Restrictions on Voting Rights:

Section 3(2E): No shareholder of the corresponding new Bank other than the Central Government shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him in excess of ten per cent of the total voting rights of all the shareholders of the corresponding new Bank.

Composition of the Board of Directors:

Section 9(3) (i): Where the capital issued under clause (c) of sub-section (2B) of Section 3 is:-

- a) not more than sixteen per cent of the total paid up capital, one Director
- b) more than sixteen per cent, but not more than thirty two per cent of the total paid up capital, two Directors.
- c) more than thirty two per cent of the total paid-up capital, three Directors to be elected by the shareholders other than the Central Government from amongst themselves.

Provided that on the assumption of charge after election of any such director under this clause, equal number of directors nominated under clause (h) shall retire in such manner as may be specified in the Scheme.

Provided further that in case the number of directors elected, on or before the commencement of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) and Financial Institutions Laws (Amendment) Act, 2006, in a corresponding new Bank exceed the number of directors specified in sub-clause (I) or sub-clause (II) or sub-clause (III), as the case may be, such excess number of directors elected before such commencement shall retire in such manner as may be specified in the scheme and such directors shall not be entitled to claim any compensation for the premature retirement of their term of office.

Section: 9(3A): The Directors to be elected under the said clause (i) shall-

- (A) have special knowledge or practical experience in respect of the one or more of the following matters, namely-
- i. Agricultural and rural economy
- ii. Banking
- iii. Co-operation
- iv. Economics
- v. Finance
- vi. Law
- vii. Small scale industry

viii. any other matter the special knowledge of, and practical experience in which, would, in the opinion of the Reserve Bank of India be useful to the Bank.

(RBI vide its circular no.DBR.Appt.BC.No.39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016 has extended the fields of specialization to include (i) Information Technology (ii) Payment & Settlement Systems (iii) Human Resources (iv) Risk Management and (v) Business Management, for persons who could be considered for appointment of director in the banks)

- (B) Represent the interests of depositors; or
- (C) Represent the interest of farmers, workers and artisans

Section 9(3AA): Without prejudice to the provision of sub-section 3(A) and notwithstanding anything to the contrary contained in the Act or in other law for the time being in force, no person shall be eligible to be elected as a Director under Clause (i) of Sub-Section (3) unless he is a person having 'fit and proper status' based upon the track record, integrity and such other criteria as the Reserve Bank of India may notify from time to time in this regard.

Section 9(3AB): The Reserve Bank of India may also specify in the notification issued under sub-section 3(AA), the Authority to determine the 'Fit and Proper' status, the manner of such determination, the procedure to be followed for such determination and such other matters as may be considered necessary or incidental thereto.

Section 9(3B): Where the Reserve Bank is of the opinion that any Director of a corresponding new Bank elected under clause (i) of sub-section (3) does not fulfill the requirements of sub-section (3A) and (3AA), it may after giving to such Director and the Bank a reasonable opportunity of being heard, by order, remove such Director and on such removal, the Board of Directors shall co-opt any other person fulfilling the requirement of sub-section (3A) and (3AA) as a Director in place of the person so removed till a Director is duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank in the next Annual General Meeting and the person so co-opted shall be deemed to have been duly elected by the shareholders of the corresponding new Bank as a Director.

Obligation as to Fidelity and Secrecy:

Section 13(2): Every Director, member of a local Board or a Committee, or Auditor, Advisor, Officer or other employee of a corresponding new Bank shall before entering upon his duties, make a declaration of fidelity and secrecy in the form set out in the Third Schedule.

THE NATIONALISED BANKS (MANAGEMENT AND MISCELLANEOUS PROVISIONS) SCHEME, 1970

Term of office of elected Director:

Clause 9(4):

An elected Director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election. Provided that no such Director shall hold office continuously for a period exceeding six years.

Disqualification of Directors:

Clause 10:

Aperson shall be disqualified for being appointed as and for being a Director:-

- if he has at any time been adjudicated an insolvent or has suspended payment or has compounded with his creditors; or
- b) if he has been found to be of unsound mind and stands so declared by a competent court; or
- if he has been convicted by criminal court of an offence which involves moral turpitude; or
- d) if he holds any office of profit under any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959, except for holding the post of a whole-time Director, including the Managing Director and Directors nominated under clauses (e) and (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act from amongst the employees of the corresponding new Bank

Vacation of office of Directors:

Clause 11:

- 1. If a Director becomes subject to any of the disqualifications specified in clause 10 or is absent without leave of the board for more than three consecutive meetings thereof, he shall be deemed to have vacated his office as such and thereupon his office shall become vacant.
- 2. The Chairman or a whole-time Director including the Managing Director or a Director referred to in clause (b) or clause (c) or clause (d) of sub section 3 of Section 9 of the Act may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and on such resignation being accepted by that Government shall be deemed to have vacated his office; and any other Director may resign his office by giving notice thereof in writing to the Central Government and such resignation shall take effect on the receipt of the communication of the resignation by the Central Government.
- 3. Without prejudice to the provision of the foregoing sub-clauses, the office of a Director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall become vacant as soon as the Director ceases to be a workman or an employee other than workman of the Nationalized Bank of which he is a Director.
- 4. Where any vacancy occurs in the office of a Director other than an elected Director, it shall be filled in accordance with sub-section (3) of Section 9 of the Act.

Removal from office of an elected Director

Clause 11A:

The shareholders, other than the Central Government, may, by a resolution passed by the majority of the votes of such shareholders holding in the aggregate, not less than one half of the share capital held by all such shareholders, remove any Director elected under Clause (i) of the sub-section (3) of Section 9 and elect in his stead another person to fill the vacancy.

Filling of vacancy in the office of an elected Director

Clause 11B:

- 1. Where any vacancy occurs before the expiry of the term of office of an elected Director, the vacancy shall be filled by election.
 - Provided that where the duration of vacancy is likely to be less than six months, the vacancy may be filled by the remaining Directors
- 2. A person elected or co-opted, as the case may be, under sub clause (1) shall hold office for the unexpired portion of the term of his predecessor.

Disclosure of interest by Directors:

Clause 12(8):

A Director who is directly or indirectly concerned or interested in any contract, loan, arrangement or proposal entered into or proposed to be entered into by or on behalf of the Nationalized Bank shall, as

soon as possible after the relevant circumstances have come to his knowledge disclose the nature of his interest to the Board and shall not be present at the meeting of the Board when any such contract, loan, arrangement or proposal is discussed unless his presence is required by the other Directors for the purpose of eliciting information and no Director so required to be present shall vote on any such contract, loan, arrangement or proposal:

Provided that nothing contained in this sub-clause shall apply to such Director by reason only of his being:

- i. a shareholder (other than a Director) holding not more than two percent of the paid up capital in any public Company as defined in the Companies Act, 1956 (1 of 1956), or any Corporation established by or under any law for the time being in force in India or any Co-operative society, with which or to which the Nationalized Bank has entered into or made, or proposed to enter into or make, a contract, loan, arrangement or proposal; or
- ii. an officer or other employee of the Nationalized Bank, if he is a director referred to in clause (e) or clause (f) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.

INDIAN BANK (SHARES AND MEETINGS) REGULATIONS, 1999, AS AMENDED

Exercise of rights of joint holders:

Regulation 10:

If any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall as regards voting, receipt of dividends, service of notices and all or any other matters connected with Indian Bank except the transfer of shares be deemed to be the sole holder thereof.

Directors to be elected at general meeting: Regulation 55:

- A Director under clause (i) of sub-section 3 of Section 9 of the Act shall be elected by the shareholders on the register, other than the Central Government, from amongst themselves in the General Meeting of the Bank.
- ii. Where an election of a Director is to be held at any general meeting, the notice thereof shall be included in the notice convening the meeting. Every such notice shall specify the number of directors to be elected and the particulars of vacancies in respect of which the election is to be held.

List of shareholders:

Regulation 56:

- i. For the purpose of election of a Director under sub-regulation (i) of Regulation 55 of these regulations, a list shall be prepared of shareholders on the register by whom the director is to be elected.
- ii. The list shall contain the names of the shareholders, their registered addresses, the number and denoting numbers of shares held by them with the dates on which the shares were registered and the number of votes to which they will be entitled on the date fixed for the meeting at which the election will take place and copies of the list shall be available for purchase at least three weeks before the date fixed for the meeting at a price to be fixed by the Board or the Management Committee, on application at the Head Office.

Nomination of candidates for election:

Regulation 57:

- i. No nomination of a candidate for election as a director shall be valid unless,
- a) he/she is a shareholder holding not less than 100 (One hundred) shares in Indian Bank.
- he/she is on the last date for receipt of nomination, not disqualified to be a Director under the Act or under the Scheme.
- c) he/she has paid all calls in respect of the shares of the Bank held by him, whether alone or jointly with others, on or before the last date fixed for the payment of the call:

- d) the nomination is in writing signed by atleast one hundred shareholders entitled to elect Directors under the Act or by their duly constituted attorney, provided that a nomination by a shareholder who is a Company may be made by a resolution of the Directors of the said Company and where it is so made, a copy of the resolution certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall be dispatched to the Head Office of the Bank and such copy shall be deemed to be a nomination on behalf of such Company;
- e) the nomination accompanies or contains a declaration signed by the candidate before a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Gazetted Officer or an Officer of the Reserve Bank of India or any Nationalized Bank, that he accepts the nomination and is willing to stand for election, and that he is not disqualified either under the Act or the Scheme or these regulations from being a Director.
- ii. No nomination shall be valid unless it is received with all the connected documents complete in all respects and received, at the Head office of Indian Bank on a working day not less than fourteen days before the date fixed for the meeting.

Scrutiny of nominations: Regulation 58:

- i. Nominations shall be scrutinized on the first working day following the date fixed for receipt of nominations and in case any nomination is not found to be valid, the same shall be rejected after recording the reason thereof. If there is only one valid nomination for any particular vacancy to be filled by election, the candidate so nominated shall be deemed to be elected forthwith and his name and address shall be published as so elected. In such an event there shall not be any election at the meeting convened for the purpose and if the meeting had been called solely for the purpose of the aforesaid election it shall stand cancelled.
- ii. In the event of an election being held, if valid nominations are more than the number of Directors to be elected, the candidate polling the majority of votes shall be deemed to have been elected.
- iii. A Director elected to fill an existing vacancy shall be deemed to have assumed office from the date following that on which he is or is deemed to be elected.

Election disputes:

Regulation 59:

- i. if any doubt or dispute shall arise as to the qualification or disqualification of a person deemed, or declared to be elected, or as to the validity of the election of a Director, any person interested, being a candidate or shareholder entitled to vote at such election, may, within seven days of the date of the declaration of the result of such election, give intimation in writing thereof to the Chairman and Managing Director of the Bank and shall in the said intimation give full particulars of the grounds upon which he doubts or disputes the validity of the election.
- ii. On receipt of an intimation under sub-regulation (i) the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director of the Bank shall forthwith refer such doubt or dispute for the decision of a committee consisting of the Chairman and Managing Director or in his absence, the Executive Director and any two of the Directors nominated under clauses (b) and (c) of sub-section (3) of Section 9 of the Act.
- iii. The committee referred to in sub-regulation (ii) shall make such enquiry as it deems necessary and if it finds that the election was a valid election, it shall confirm the declared results of the election, or if it finds that the election was not a valid election, it shall, within thirty days of the commencement of the enquiry, make such order and give such directions including the holding of fresh election as shall in the circumstances appear just to the committee.
- iv. An order and direction of such committee in pursuance of this regulation shall be conclusive.

Voting Rights of Shareholders:

Regulation 60:

Determination of voting rights:

i. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, each shareholder who has been registered as a shareholder on the date of the closure of the register prior to the date of a general meeting shall, at such meeting, have one vote on show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him.

ii. Subject to the provisions contained in Section 3 (2E) of the Act, every shareholder entitled to vote as aforesaid who, not being a Company, is present in person or by proxy or who being a Company is present by a duly authorized representative, or by proxy shall have one vote on a show of hands and in case of a poll shall have one vote for each share held by him as stated herein above in sub-regulation (I).

Explanation-for this chapter, "Company" means any Body Corporate.

Shareholders of the Bank entitled to attend and vote at a general meeting shall be entitled to appoint another person (whether a shareholder or not) as his proxy to attend and vote instead of himself; but a proxy so appointed shall not have any right to speak at the meeting.

Voting by duly Authorized Representative:

Regulation 61:

- i. A shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorize any of its officers or any other person to act as its representative at any general meeting of the shareholders and the person so authorized (referred to as a "duly authorized representatives" in these regulations) shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he represents, as if he were an individual shareholder of the Bank. The authorization so given may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as a duly authorized representative of the Central Government/ Company.
- ii. No person shall attend or vote at any meeting of the shareholders of the Bank as the duly authorized representative of the Company unless a copy of the resolution appointing him as a duly authorized representative certified to be a true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed shall have been deposited at the Head Office of the Bank not less than four days before the date fixed for the meeting.

Proxies:

Regulation 62:

- i. No instrument of proxy shall be valid unless, in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or by his/ her attorney, duly authorized in writing, or in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his/her attorney, duly authorized in writing, or in the case of a body corporate signed by its officer or an attorney duly authorized in writing.
 - Provided that an instrument of Proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his/her name, if his/her mark is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of the Indian Bank.
- ii. No proxy shall be valid unless it is duly stamped and a copy thereof deposited at the Head Office of the Bank or at any other place duly notified by the Bank in this regard, not less than FOUR DAYS before the date fixed for the meeting, together with the Power of Attorney or other authority (if any) under which it is signed or a copy of that Power of Attorney or other authority certified as a true copy by a Notary Public or a Magistrate, unless such a power of attorney or the other authority is previously deposited and registered with the Bank.
- iii. No instrument of the proxy shall be valid unless it is in Form "B"
- iv. An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
- v. In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one Form shall be executed.
- vi. The grantor of an instrument of proxy under this regulation shall not be entitled to vote in person at the Meeting to which such instrument relates.
- vii. No person shall be appointed as duly authorized representative or a proxy who is an officer or an employee of Indian Bank.
- viii. All alterations in the Proxy Form should be duly authenticated.

RESERVE BANK OF INDIA ('FIT AND PROPER' CRITERIA FOR ELECTED DIRECTORS ON THE BOARDS OF PSBS) DIRECTIONS, 2019:

Reserve Bank of India (RBI), in exercise of powers conferred on it under sub-sections (3AA) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of undertakings) Act 1970/1980 notified Reserve Bank of India ('Fit And Proper' Criteria for Elected Directors on the Boards of PSBs) Directions, 2019 vide their Notification No. RBI/DBR/2019-20/71 Master Direction DBR. Appt. No: 9/29.67.001/2019-20 dated August 02, 2019.

SALIENT FEATURES OF THE RBI DIRECTIONS:

The Authority, Manner/Procedure and Criteria for deciding the "Fit and Proper" status etc., are as under:

(a) Authority:

All the nationalized banks are required to constitute a "Nomination and Remuneration Committee" (Committee) consisting of a minimum of three non-executive directors from amongst the Board of Directors out of which not less than one-half shall be independent directors and should include at least one member from Risk Management Committee of the Board, for undertaking a process of due diligence to determine the 'fit and proper' status of the persons to be elected as directors under clause (i) of sub-section (3) of Section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980. The Government of India nominee director and the director nominated under section 9(3)(c) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 shall not be part of the Committee. The non-executive Chairperson of the bank may be appointed as a member of the Committee but shall not chair such Committee. The Board should also nominate one among them as Chairman of the Committee. The quorum required is three, including the Chairman. In case the absence of any nominated member results in want of quorum, the Board may nominate any other non-executive director in his place for the meeting. At the time of constituting the Committee, the Board can decide on its tenure.

(b) Manner and procedure:

The banks shall obtain necessary information, and a declaration & undertaking, in the format annexed (Annex 1), from the persons who file their nominations for election. The Committee shall meet after the last date prescribed for acceptance of nominations and determine whether or not the person's candidature should be accepted, based on the criteria mentioned below. The Committee's discussions shall be properly recorded as formal minutes of the meeting and the voting, if done, shall also be noted. Based on the information provided in the signed declaration, the Committee shall decide on the acceptance or otherwise of the candidature and shall make references, where considered necessary, to the appropriate authority / persons, to ensure that the candidate conforms to the requirements indicated.

(c) Criteria:

The Committee shall determine the 'fit and proper' status of the proposed candidates based on the broad criteria mentioned hereunder:

- (i) **Age-**The candidate's age should be between 35 to 67 years as on the cut-off date fixed for submission of nominations for election.
- (ii) Educational qualification-The candidate should at least be a graduate.
- (iii) **Experience and field of expertise-**The candidate shall have special knowledge or practical experience in respect of one or more of the matters enumerated in section 9(3A)(A) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, as the case may be, read with RBI Circular DBR.Appt.BC No 39/29.39.001/2016-17 dated November 24, 2016.
- (iv) **Disqualifications:** In addition to 'Disqualifications of Directors' as prescribed in Section 22 of the SBI Act, 1955 / Clause 10 of Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970/80:
- (a) The candidate should not be a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.
 - Explanation: For the purpose of this sub-para and sub-para (c), the expression "bank" shall include a banking company, a corresponding new bank, State Bank of India, a co-operative bank and a regional rural bank.

- (b) Aperson connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities shall not be considered for appointment as elected director on the board of a PSB. However, investors of such entities would not be disqualified for appointment as directors if they do not enjoy any managerial control in them.
- (c) No person may be elected/ re-elected on the Board of a bank if he/she has served as director in the past on the board of any bank (It includes the bank in which he/she has served as director in the past)/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- (d) The candidate should not be engaging in the business of stock broking.
- (e) The candidate should not be holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.
- (f) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- (g) The candidate should not be acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the bank in which nomination for election is filed.
- (v) Tenure-An elected director shall hold office for three years and shall be eligible for re-election: Provided that no such director shall hold office for a period exceeding six years, whether served continuously or intermittently.
- (vi) Professional Restrictions-
- (a) The candidate should neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the concerned bank nor should be engaged in activities which might result in a conflict of business interests with that bank.
- (b) The candidate should not be having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank.
- (c) Provided that a candidate having any such relationship with a bank at the time of filing nomination for election shall be deemed to be meeting the requirement under item (b), the candidate shall submit a declaration to the Committee that such relationship with the bank shall be severed if he is elected as a director, and upon being elected, severs such relationship before appointment as a director of the bank.
- (vii) Track record and integrity-The candidate should not be under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and should not be a defaulter of any lending institution.

The banks shall obtain from the elected director:

- (a) a Deed of Covenant executed in the format annexed (Annex 2), before such person assumes office of director; Fit & Proper Criteria for Elected Directors on the Boards of Public Sector Banks
- (b) a simple declaration every year as on 31st March to the effect that the information already provided by such person has not undergone any change.
- (c) Where the elected director informs that there is change in the information provided earlier, the bank shall obtain from such director a fresh Annex 1 incorporating the changes.

The banks shall also ensure compliance to Section 20 of the Banking Regulation Act, 1949. In addition,

- (a) Put in place a system of safeguards, including proper disclosure of the elected CA director's/his firm's clients, and not participating in bank's credit/investment decisions involving his/firm's clients. The elected CA director should be required to compulsorily Disassociate himself from the entire process and sign a covenant to this effect.
- (b) Require the elected director to make a full and proper disclosure of his interests and directorships in business entities, with the director personally distancing himself from and not participating in the bank's credit/investment decisions involving entities in which he is interested.
- (c) Not allot any professional work to a person who was an elected director of that bank, for a period of two years after demitting office as such director.

Where the elected director:

- (a) fails to:
- (i) submit the Deed of Covenant or declaration; or
- (ii) make proper disclosures; or
- (iii) refrain from participating in credit/investment decisions, where he is interested; or
- (b) makes incomplete or incorrect disclosures, or
- (c) involves in such activities that render him/her 'not fit and proper' as per the criteria mentioned above,

such director shall be deemed to be not fulfilling the requirements of sub-section (3AA) of section 9 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980 and shall be liable for the consequences thereof.

The Committee shall adopt the revised criteria stated above while scrutinizing the nomination of candidates seeking election as new directors (appointment/re-appointment). However, existing elected directors may be allowed to complete their current terms as per the pre-revised criteria.

GUIDELINES FOR SELECTION OF PART-TIME NON-OFFICIAL DIRECTOR:

GOI, vide its letter dated 3rd September 2013 advised that the Nomination Committee of the Board may keep in mind guidelines issued by GOI for Non Official Directors (NOD), while determining "Fit and Proper Status" of the Shareholder Directors also. The GOI has forwarded revised guidelines dated 25th March 2015 to Public Sector Banks vide its letter dated 28th April 2015 and amendments dated 8th July 2016 vide its letter dated 20th July 2016, the gist of which are as under:

A) GENERAL:

- 1. Nominations will be made keeping in view the provisions of the relevant Acts/Rules.
- 2. The suitability of nominees may be assessed in terms of formal qualification and expertise, track record, integrity etc. For assessing integrity and suitability, information on criminal records, financial position, civil actions undertaken to pursue personal debts, refusal of admission to or expulsion from professional bodies, sanctions applied by regulators and similar bodies and previous questionable business practices etc. will be relied upon.

B) EXPERIENCE:

- 1. Persons with special academic training or practical experience in the fields of agriculture, rural economy, banking, cooperation, economics, business management, human resources, finance, corporate law, risk management, industry and IT will ordinarily be considered. 20 years of industry experience at a senior position, established expertise in respective areas (successfully led a reputed organization, brought turnaround in a failing organization) would be preferred.
- Retired senior Government officials with total experience of 20 years and minimum 10 years of
 experience at Joint Secretary and above level. Retired CMDs/EDs of Public Sector Banks after one
 year of retirement. The ex-CMDs/ EDs will not be considered for appointment as NOD on the Board of
 the PSB from which they have retired. Serving CMDs/EDs of PSB will not be considered as NOD on
 the Board of any other PSB.
- 3. Academicians Directors of premier Management Banking Institutes and Professors having more than 20 years of experience.
- 4. Chartered Accountants with 20 years' experience (excluding audit experience) would also be preferred.
- 5. However, the experience criteria may be relaxed with the approval of the Finance Minister in exceptional cases based on merits of the case.
- 6. As far as possible representation may also be given to women and the persons belonging to SC/ST community.

C) EDUCATION:

An NOD should at least be a graduate in any stream preferably with specialization in Business Management, Risk Management, Finance, Human Resources and IT.

D) AGE:

The age of the Director, on the date of recommendation by Search/Nomination Committee should not be more than 67 years.

E) WORK EXPERIENCE:

Professionals/academicians should ordinarily have 20 years of work experience in their particular field.

F) DISQUALIFICATIONS:

- 1. A director already on a Bank/Financial Institution (FIs)/RBI/Insurance Company, under any category, may not be considered for nomination as NOD in any other Bank/FI/RBI/Insurance Company.
- Persons connected with hire purchase, financing investment, leasing and other para-banking activities, MPs, MLAs, MLCs and Stock Brokers will not be appointed as non-official directors on the boards of Banks/Fls/RBI/Insurance Companies. Investors in a hire purchase, financing investment, leasing and other para banking activities would not be disqualified for appointment as NOD, if they are not having any managerial control in such companies.
- 3. No person may be re- nominated as an NOD on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company on which he/she has served as Director in the past under any category for two terms or six years whichever is longer.
- 4. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in any Public Sector Bank as a Statutory Central Auditor.
- 5. A Chartered Accountant if his/her firm is currently engaged in the Bank as a Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor.

G) TENURE:

An NOD would not be considered for nomination as a Director on the Board of a Bank/FI/RBI/Insurance Company if such Director has already been a NOD/ Shareholder-Director on the board of any other Bank/FI/RBI/Insurance Company for six years, whether continuously or intermittently.

H) PROFESSIONAL RESTRICTION:

The issue of professional restriction vis-à-vis office of profit in any Public Sector Bank under clause 10(d) of the Nationalized Banks Scheme (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 may be separately examined.

I) REGIONAL REPRESENTATION:

Efforts should be made to ensure representation of all the six zones of the country-North, South, East, West, Central and North-East on the boards of Public Sector Banks taken together.

As restriction imposed by RBI Direction and GOI Guidelines are similar in nature, the Bank may consider the stricter of the two while determining the Fit & Proper status of the Candidates

By order of the Board of Directors

Place : Chennai

Date : 02.11.2020

(Padmaja Chunduru)

Managing Director & CEO



Corporate Office : 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

Please Affix your Photograph

Name of Bank: Indian Bank

'Declaration and Undertaking' by a proposed Director (Candidate) (with appropriate enclosures)

Sr No	Particulars	In	formation Disclo	sed
I. Perso	onal Details			
1.	Name in full	First Name	Middle Name	Last Name
2.	Father's name			
3.	Gender (M/F/others)			
4.	Present address			
5.	E-mail address & alternate e-mail address: Telephone Number with STD code: Mobile Number:			
6.	Nationality			
7.	Date of Birth (dd/mm/yyyy) and Age	//	- Age: years	months
8.	Educational qualifications			
9.	Director Identification Number (DIN)			
10.	Aadhaar Number (Optional)			
11.	(a) Permanent Account Number (PAN)			
	(b) Charge where the proposed director	Date of filing	Amount of	tax paid (INR)
	is assessed to tax (Income Tax			
	jurisdiction)/ name and address of Income Tax Circle/Ward			
	(c) Details of filing of return(s) and payment of taxes for past 3 years			
12.	Permanent address			
13.	Details in the form of a brief write up on the relevant knowledge or experience in respect of one or more of the matters namely accountancy, agriculture and rural economy, banking, co-operation, economics, finance, law, small scale industry, information technology, payment and settlement systems, human resources, risk management, business management or any other matter the special knowledge of and practical experience of which would in the opinion of the Reserve Bank be useful to the Banking Company.			

14.	Present occupation (designation, name of the organization and brief write-up on experience)				
15.	Previous occupation covering minimum of past ten years, with complete address of the organization(s) worked in, date of joining, date of relieving (including reasons), designation, etc.				
16.	In case a Chartered Accountant, indicate the following:				
	(a) Membership Number of Institute of Chartered Accountants of India (ICAI):				
	(b) Date of registration with the ICAI:				
	(c) Name and Address of the registered firm/s:				
	(d) Details of the Audit(s) presently undertaken by the firm(s) or by you:				
17.	Name of the banker(s) with Branch and Account Numbers (savings / current/loan accounts) where you are	Bank Name	Branch	Type of A/c	A/c Number
	a primary account holder:				
18.	Details of shareholding, if held in any entity, either in physical or dematerialized form, by you, spouse, and your minor child. (attach demat/shareholding certificate)				
19.	Any other information relevant to directorship of the bank:				
20.	List of relatives, [Refer Section 2(77) of the Companies Act, 2013 and Rule 4 of the Companies (Specification of Definition) Rules, 2014] if any, who are connected with any bank:				
21.	List of entities in which:				
	(a) Interested [Refer Section184 of the Companies Act, 2013]:				
	(b) beneficial ownership [Refer Section 89 of Companies Act, 2013 as also the applicable Significant Beneficial Ownership Rules of MCA]:				
	(c) Trustee (also mention any other relationship with reference to a trust):				

22.	which holding substantial interest within the meaning of Section 5(ne)* of the	Name of the company / firm
		Country of incorporation
		Number of shares
		Face Value of each share
		Total face value of share holding
		Shareholding as % of total Paid up Capital
		Beneficial interest (in value as well as % terms)
		Whether the entity is a Section 8 Company under Companies Act, 2013
23.	Details of holdings in entities incorporated abroad and having a place of business in India.	
24.	Name of Bank/NBFC/any other company in which currently or in the past a member of the Board/ Advisor etc. (giving details of period during which such office is being/ was held).	

*substantial interest" (i) in relation to a company, means the holding of a beneficial interest by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, in the shares thereof, the amount paid up on which exceeds five lakhs of rupees or ten percent of the paid-up capital of the company, whichever is less; (ii) in relation to a firm, means the beneficial interest held therein by an individual or his spouse or minor child, whether singly or taken together, which represents more than ten per cent of the total capital subscribed by all the partners of the said firm.

25.	If connected with any entity undertaking hire purchase, financing, investment, leasing and other para banking activities (nature of association to be mentioned), details thereof.	
26.	If a stock broker or connected with any entity engaged in share broking activities, details thereof.	
27.	Details of fund and non-fund-based facilities, if any, presently availed in person and/or by entities listed in (21) to (26) above.	
28.	Cases, if any, where as an individual or the entities listed at (21) to (26) above have defaulted or declared as willful defaulter in the past in respect of credit facilities Obtained from a bank/NBFC/ any other lending institution.	

III. Records of professional achievements

29. Professional achievements relevant for the directorship.

IV. Proceedings, if any, against the proposed director

30.	 (a) As a member of a professional association / body, details of disciplinary action, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past or whether been banned from entry at any Profession /occupation at any time, details thereof. (b) If subject of any written complaint or accusation regarding individual professional conduct or activities, details thereof. 	
31.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction of self or the entities listed at (21) to (26) above for violation of economic laws and regulations.	
32.	Details of criminal prosecution, if any, pendingor commenced or resulting in conviction.	
33.	If indulged in any breach of AML/CFT guidelines, details thereof.	
34.	If attracting any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies Act, 2013, details thereof.	
35.	If adjudicated insolvent or has suspended payment or has compounded with creditors, details thereof.	
36.	If found to be of unsound mind and stands so declared by a competent Court, details thereof.	
37.	(a) If convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude or otherwise, details thereof.(b) If convicted by any Court of law,	
	details thereof?	
38.	If holding any office of profit under any nationalized bank or State Bank of India, except for holding the post of a whole-time director, details thereof.	
39.	If as an individual or any of the entities at (21) to (26) above have been subject to any investigation/vigilance/ matters of enquiry from any of the previous employers or government departments or agency, details thereof.	

40.	If found guilty of violation of rules/regulations / legislative requirements by Customs/excise/ income tax / foreign exchange/ other revenue authorities, details thereof.	
41.	If reprimanded, censured, restricted, suspended, barred, enjoined, or otherwise sanctioned by any regulator such as SEBI, IRDAI, PFRDA etc., professional organization, government agency, or court because of professional conductor activities, details thereof.	
	(Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings which have been later on reversed/ set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal/ setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, and not on merit. If the order is temporarily stayed and the appellate/ court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
42.	If a professional like Chartered Accountant, Advocate etc. and presently undertaking/ undertaken any professional work in any bank, provide details thereof including the name of the bank and period of association with the bank.	
43.	If a sitting MP/MLA/MLC or holding political position in Municipal Corporation or Municipality or other local bodies, provide details thereof.	
should	he interest of disclosure and transparency, there be any other information relevant for sing 'fit and proper', provide details f.	
	Undertaking	
underta		my knowledge and belief, true and complete. I possible, of all events which take place after my rided above.
I also undertake to execute a 'Deed of Covenant' as required to be executed with the bank.		quired to be executed with the bank.
	Place :	Signature of proposed Director (Candidate)
	Date :	
	Remarks of Nomination and Remuneration Committee (NRC) of having satisfied itself that the above information is true and complete.	
	Place :	Signature of the Chair of the NRC
	Date :	
	Date :	



Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

Declaration (By the Candidate)

I,.....son/daughter/wife of

	Shri/Smta resident of
	hereby confirm that :
b.	I am a Shareholder holding equity shares of face value of ₹10/- each of the Bank under Folio No
	November 2020, i.e., the Specified Date for participating in the election, and undertake to hold the

c. *I have special knowledge or practical experience in (i) agriculture and rural economy, (ii) banking, (iii) co-operation, (iv) economics, (v) finance (vi) law, (vii) small scale industry, (viii) the special knowledge of IT/Payment & Settlement Systems/Human Resources/Risk Management/Business Management etc. or any other matter and practical experience of which in the opinion of Reserve Bank of India would be useful to the Bank) and I represent the interest of the depositors or farmers, workers and artisans, in terms of sub-section 3A of Section 9 of the Act and as an evidence thereof, I submit herewith the relevant testimonials, and

(*Delete whichever is not applicable.)

- d. I accept the nominations numbering; and
- e. I am willing to contest for the election of Director of Indian BANK; and
- f. I am not disqualified from being a director of the Bank under the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, Indian Bank (Shares & Meetings) Regulations, 1999, as amended, relevant Notifications issued by RBI and Guidelines issued by GOI with regard to Non Official Directors of Public Sector Banks and
- g. I am not disqualified under Section 164 of the Companies Act, 2013; and
- h. I neither hold any office of profit nor I am an employee of any Nationalized Bank or State Bank of India constituted under sub-section (1) of Section 3 of the State Bank of India Act, 1955 or any Subsidiary Bank as defined in Section 3 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959.

I further declare that:

- i. I have not been at any time adjudicated as an insolvent or have suspended payment or has compounded with my creditors; and
- j. I have not been found of unsound mind and stands so declared by a competent court and have not been convicted by a Criminal Court of an offence which involves moral turpitude; and
- k. I have not been declared as proclaimed offender by any Economic Officer or Judicial Magistrate or High Court or any other court; and
- I. I have not been a Director on the Board of this Bank, in the past, under any category for two terms or six years whichever is longer; and
- m. I will severe professional relationship, if any, with the Bank forthwith on getting elected and will not undertake any professional relationship with the Bank during my tenure as Director and for a period of two years thereafter; and
- n. I am not a member of the Board of any bank or the Reserve Bank or a Financial Institution (FI) or an Insurance Company or a NOFHC holding any other bank.

- o. I am not connected with hire purchase, financing, money lending, investment, leasing and other para banking activities;
- p. I have not served as director in the past on the board of any bank/FI/RBI/Insurance Company under any category for six years, whether continuously or intermittently.
- q. I am not engaging in the business of stock broking.
- r. I am not holding the position of a Member of Parliament or State Legislature or Municipal Corporation or Municipality or other local bodies (other local bodies means bodies such as Notified Area Council, City Council, Panchayat, Gram Sabha, Zila Parishad, etc.)
- s. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as a Statutory Central Auditor of any nationalised bank or State Bank of India.
- t. I am not acting as a partner of a Chartered Accountant firm which is currently engaged as Statutory Branch Auditor or Concurrent Auditor of the Indian Bank in which nomination for election is filed.
- u. I neither have any business connection (including legal services, advisory services etc.) with the Indian Bank nor I am engaged in activities which might result in a conflict of business interests with Indian Bank.
- v. I am not having any professional relationship with a bank or any NOFHC holding any other bank and undertake sever the relationship with the Bank if elected before assuming charge as a director.
- w. I am not under adverse notice of any regulatory or supervisory authority/agency, or law enforcement agency and I am not defaulter of any lending institution.
- x. I undertake to execute Deed of Covenant (in the prescribed format of RBI circular dated 02.08.2019) before assuming office as a director;
- y. I undertake to keep the Bank fully informed, as soon as possible, of events, if any, which take place subsequent to this declaration which are relevant to the information provided hereto and to execute the Deed of Covenants upon my election as a Director of the Bank; and
- z. I undertake to comply with the relevant provisions of the SEBI (Listing Obligations and Disclosures Requirements) Regulations, 2015, as amended till I hold the position as a Director of the Bank; and
- aa. I enclose my personal details which are to the best of my knowledge and belief true and complete in all respects, and

Name of the Company / Bank	Directorship details viz. tenure, period etc.
(add additional sheets if necessary) (Delete whichever	is not applicable.)

(add additional sheets if necessary) (Delete whichever is	s not applicable.)
ace:	Signature:
Date: The above declaration signed before me.	Name :
Signature with Seal of Judge, Magistrate, Registrar of Assurance, or other Gazetted Officer or an office Bank of India or Indian Bank or any Nationalized Ba	r of the Reserve
(Delete whichever is not applicable.)	Signature & Seal with date



Corporate Office: 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai - 600 014.

NOMINATION FORM (BY THE SHAREHOLDER)

To, The Managing Director & CEO, Indian Bank, Corporate Office 254-260, Avvai Shanmugam Salai, Royapettah, Chennai- 600 014	Serial No			
Dear Sir/Madam,				
ELECTION OF DIRECTORS				
With reference to your Notice dated, 2020 I,				
Shri/Smtson/daughter/wife of				
elected as a Director of Indian Bank representing the shareholders of the Bank as provided in Section 9(3)(i) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 at the Extraordinary General Meeting of the Shareholders of the Bank to be held on Monday, the 30 th November 2020.				
Signature				
Name				
No. of shares				
Regd. Folio No./ DP ID & Client ID				
Place				
Date				

Notes:

- 1) In case nomination is made a Body Corporate, the Nomination Form should be accompanied by a certified true copy of the resolution passed at the meeting of the Board of Directors under the signature of the Chairman of the meeting at which it was passed.
- 2) Signature of the shareholders nominating the candidature should match with the specimen signature available with the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank. (As recorded in the Register of Shareholders/Depository Records).
- 3) If any of the columns above is left blank or the particulars are found to be incorrect, the nomination is liable to be rejected.